समदृष्टि, क्षमताविकास एवं अनुसन्धान मण्डल
सक्षम
अहर्निशं दिव्याङ्गान् सेवामहे
दिव्याङ्गों के सशक्तीकरण हेतु समर्पित राष्ट्रीय सङ्गठन

सक्षम - एक परिचय

समदृष्टि, क्षमताविकास एवं अनुसन्धान मण्डल

प्रकाशक -

समदृष्टि, क्षमताविकास एवम् अनुसन्धान मण्डल

८, शिवम्, रवीन्द्रनगर, नागपुर (महाराष्ट्र) - ४४० ०२२.

दूरभाष / फॅक्स क्र. ०७१२-२२४४९१८

Email : saksham.co2008@gmail.com
Website : www.sakshamseva.in

(व्यक्तिगत उपयोगार्थ)

सहयोग राशि रू. ५०/-

सक्षम - एक परिचय

समदृष्टि, क्षमताविकास एवं अनुसन्धान मण्डल

सम्पादक मण्डल

श्री कमलाकान्त पाण्डे

श्रीमती स्वाती धारे

श्री उमेश अंधारे

स्व. प्रेमसागर गुप्ता

प्रकाशक -

समदृष्टि, क्षमताविकास एवं अनुसन्धान मण्डल

८, शिवम्, रवीन्द्रनगर, नागपुर (महाराष्ट्र) - ४४० ०२२.

दूरभाष / फॅक्स क्र. ०७१२-२२४४९१८

Email : saksham.co2008@gmail.com
Website : www.sakshamseva.in

(व्यक्तिगत उपयोगार्थ)

सहयोग राशि रू. ५०/-

सक्षम - एक परिचय

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक का नाम	पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	मा. भैय्याजी जोशी	1
2.	सक्षम परिचय	श्री दयालसिंह पँवार	2
3.	दिव्यांगता इतिहास एवं भारतीय दृष्टिकोण, भारत मे इतिहास	श्री प्रेमसागर	3
4.	दिव्यांगता एवं संघ परिवार	श्री जयवीर सिंह	4
5.	सक्षम कार्यपद्धति	श्री उमेश अंधारे	11
6.	सक्षम कार्यक्रम रचना	श्री जयशंकर पाण्डेय	15
	संत सूरदास	डॉ. अविनाश अग्निहोत्री	24
	ऋषि अष्टावक्र	श्री. दयालासिंह पँवार	27
7.	क्षमता विकास प्रकोष्ठ		
	1) दृष्टिबाधित प्रकोष्ठ (दृष्टि)	श्री शिरीष दारव्हेकर	29
	2) श्रवणबाधित प्रकोष्ठ (प्रणव)	डॉ. अविनाश वाचासुन्दर और श्री कमलाकान्त पाण्डेय	34
	3) बुद्धिबाधित प्रकोष्ठ (धीमहि)	डॉ प्रदीप दुबे और श्री सुरेश पाटिल	38
	4) रक्तबाधित प्रकोष्ठ (प्राणदा)	श्री काशीनाथ लक्काराजू	43
	5) कुष्टबाधित प्रकोष्ठ (सविता)	श्री शिवा रामकृष्ण	45
	6) शारीरिक निशक्तता प्रकोष्ठ (चरैवेति)	डॉ वेद प्रकाश	47
	7) मानसिक रुग्णता (चेतना)	डॉ. शिव गौतम	49
8.	विविध आयाम		
	1) कला	डॉ दयालसिंह पँवार	51
	2) क्रीड़ा	सौ.मल्लिका नड्डा	53
	3) रोजगार एवं स्वरोजगार	श्री विपुल सोलंकी	57

क्र.	विषय	लेखक का नाम	पृष्ठ क्र.
	4) IDEA	श्री मल्लिकार्जुन	60
	5) पक्ष समर्थन (Advocacy)	श्री अशोक द्विवेदी	62
9.	विविध कार्य विभाग		
	1) सक्षम युवा	श्री कमल कुमार	64
	2) सक्षम मातृ शक्ति	सौ. स्वाति धारे	66
	3) सक्षम प्रचार विभाग	श्री विपुल सोलंकी	68
10.	कोर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान (CAMBA)	डॉ. पवन स्थापक	70
11.	सक्षम के प्रकल्प एवं सम्बद्ध प्रकल्प	श्री उमेश अंधारे	74
12.	दिव्यांग सेवा केन्द्र	श्री दयालसिंह पँवार	80
13.	विविध कार्यक्रमों में अधिकारियों का मार्गदर्शन		
	1) परम पूज्य सरसंघचालक जी		84
	2) माननीय सरकार्यवाह जी		86
	3) मा. दत्तात्रेय होसबले जी		90
	4) मा. कृष्णगोपाल जी		93
14.	अनुबंध (ANNEXURES)		
	1) निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016	श्री संदीप रजक	94
	2) निशक्तता के प्रकोष्ठ शः		97
	3) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार	श्री कमलाकांत पाण्डेय	100
	4) राष्ट्रीय न्यास एवं योजनाए	श्री पंकज मारू	104
	4) भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI)	श्री मुकेश गुप्ता	107
	5) सुप्रसिद्ध विजयी दिव्यांग (सेलेब्रिटीज)	सौ. स्वाती धारे	109

प्रस्तावना

जन्म–मृत्यु के निरन्तर चक्र में ईश्वर की महती कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है । जीवात्मा की यह विकसित होते जाने वाली यात्रा है । जन सामान्य की मान्यता है की पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अगला जन्म मिलता है । भिन्न – भिन्न चिन्तक इस प्रक्रिया को विविध तर्क से प्रस्तुत करते हैं । अतः इस विषय की चर्चा यहाँ पर अप्रस्तुत है।

एक नैसर्गिक – प्राकृतिक क्रम से, जीवात्मा मानव देह धारण करता है । जन्म के पश्चात पंचमहाभूतों से निर्मित शरीर में कुछ त्रुटियाँ – दोष रहते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं , हमारी मान्यता है की इन कमियों का अथवा दोषों का संबन्ध दूर–दूर तक पूर्व जन्म के कर्मों से बिल्कुल नहीं है । यह केवल प्राकृतिक अभाव है। यह बात कई महापुरुषों के जीवन देखने से हमें स्वीकार करने में कठिनाई नहीं है।

शरीर संचालन तो आत्मा के द्वारा होता है,परंतु शरीर में कुछ अंग हैं तो आत्मा के द्वारा सुयोग्य संचालन में बाधाएं अवश्य ही आती है।

दुर्भाग्य से बाधित शरीर रूपी साधन से श्रेष्ठ व्यक्तियों को कई प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करना पड़ता है । हम सबका दायित्व बनता है की अपने ऐसे बाधित बंधु – बहिनों के प्रति संवेदना रखकर उनके जीवन में आनंद निर्माण करने में अपनी भूमिका तय करें।

हम विचार करें की क्या कोई भी व्यक्ति सर्वांग परिपूर्ण है ? उत्तर ''नहीं'' है। त्रुटियों की मात्रा कम अधिक होती है इतना ही अंतर है।

''सक्षम'' का कार्य हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करने की दिशा में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है।

प्रस्तुत पुस्तिका ''सक्षम'' का परिचय देने के लिए पर्याप्त है विश्वास है की पाठकों के मन में दिव्यांग वर्ग के संदर्भ में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करने में उपयुक्त सिद्ध होगी।

मा. भैय्याजी जोशी

समदृष्टि, क्षमता विकास एवम् अनुसन्धान मण्डल (सक्षम)

श्री दयालसिंह पँवार
अखिल भारतीय संरक्षक, सक्षम

दृष्टिकोण: सक्षम का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक मानव दिव्य गुणों तथा क्षमताओं से सम्पन्न है। इसी प्रकार सक्षम की यह भी दृढ़ मान्यता है कि विकलांगता प्रकृति में अन्तर्निहित विविधता का ही एक अंतरंग पक्ष है। विकलांगजन (दिव्यांगजन) के पूर्ण सहभाग एवं समावेशन से न केवल दिव्यांगजनों का अपितु समाज एवं राष्ट्र का महान् हित होगा।

परिकल्पना: सक्षम एक ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ दिव्यांगजन सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इत्यादि जीवन के विविध क्षेत्रों में समरसता का अनुभव करें तथा स्वावलम्बन, आत्मसम्मान तथा गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें एवं राष्ट्र के पुनर्निमाण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकें।

सक्षम की स्थापना और स्वरूप: इन्हीं विविध लक्ष्यों की सिद्धि के लिए नागपुर में 20 जून 2008 को समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसन्धान मण्डल (सक्षम) की स्थापना की गई। सक्षम एक राष्ट्रीय संगठन है, जो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तीकरण हेतु समर्पित है। सभी दिव्यांगजनों तक अपनी पहुँच बनाने के लिए जिला, प्रान्त तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करता है। साथ ही खेल, कला, साहित्य, अनुसन्धान, युवा एवं रोजगार इन आयामों के माध्यम से निरन्तर गतिशील है।

क्षमता विकास प्रकोष्ठ योजना: आर.पी.डी. अधिनियम (RPD Act) के अन्तर्गत 21 प्रकार की विकलांगताओं को सक्षम ने अपने कार्यों के सुचारु संचालन के लिए दृष्टिबाधित(दृष्टि), श्रवणबाधित(प्रणव), बुद्धिबाधित (धीमहि), अस्थिबाधित(चरैवेति), कुष्ठबाधित(सविता), रक्तबाधित (प्राणदा) तथा मानसिक रुग्णता(चेतना) ऐसे सात प्रकोष्ठों की रचना की है तथा प्रकोष्ठशः अनेक कार्यशालाओं का सफल आयोजन भी किया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ निम्नलिखित चार विषयों को लेकर आगे बढ़ रहा है।

1.शिक्षा: दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में विद्यालयों तथा छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल–लिपि, श्रवण–बाधितों के लिए संकेत–भाषा तथा बुद्धिबाधितों के लिए विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कम्प्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता

है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रेल–पुस्तकों का प्रकाशन, पुस्तकों का श्रव्य (ऑडियो) मुद्रण, ई–बुक निर्माण आदि कार्य उल्लेखनीय हैं। दृष्टिबाधितों के लिए श्रुत –लेखकों (scribes) तथा पाठकों की व्यवस्था की जाती है।

2.स्वास्थ्य: दिव्यांगों की शारीरिक न्यूनता के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा–शिविरों का आयोजन किया जाता है। नेत्र जाँच शिविर, अस्थि–रोग शिविर तथा श्रवण जाँच शिविर आदि के अतिरिक्त आँखों का तिरछापन (दृष्टिवक्रता), अल्प–दृष्टि सुधार के लिए उचित मार्गदर्शन, सेरिब्रल पॉल्सी सुधार हेतु पुनर्वसन केन्द्रों के माध्यम से शल्य–चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा (Physiotherapy), वाक् चिकित्सा (Speech Therapy) व्यावसायिकोपचार चिकित्सा (Occupational Therapy) का भी प्रबन्ध किया जाता है।

3.स्वावलम्बन: इस वर्ग के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सक्षम के द्वारा अनेक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगजन के लिए कौशल–विकास केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा लघु उत्पादन केन्द्र चलाए जा रहे हैं। स्वरांजलि के माध्यम से संगीत–प्रस्तुतियों के द्वारा दिव्यांग कलाकार धनार्जन कर रहे हैं। सक्षम निजी तथा सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार–केन्द्रित प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन करता है एवं उद्योगपतियों से सम्पर्क कर, रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। इस विषय को ले कर IDEA (Inclusive Divyangjan Entrepreneur Association) मंच के माध्यम से कार्य हो रहा है।

4.सामाजिक विकास: सक्षम के द्वारा विभिन्न क्रिया–कलापों के माध्यम से दिव्यांगों के अधिकार, सम्मान तथा प्रतिष्ठा के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ क्षमता–विकास का कार्य किया जाता है। उन में अन्तर्निहित प्रतिभा के प्रकटीकरण के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। दिव्यांग युवक–युवतियों को परिणय–सूत्र में बाँधने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विकलांगता–निवारण: विकलांगता की रोकथाम के लिये सक्षम समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। साथ–साथ शीघ्र पहचान (Early detection) तथा उपचार (Early intervention) के लिए कार्य करता है। इस दृष्टि से CAMBA, प्रणव, धीमहि, प्राणदा आदि प्रकल्प उल्लेखनीय हैं।

कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान (CAMBA) और अन्धत्व मुक्त ग्राम अभियान (Avoidable Blindness Free Village) के माध्यम से सम्पूर्ण देश में विविध समाजसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके हजारों जरूरतमंदों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा चुके हैं। सक्षम के द्वारा 10 नेत्र संकलन केन्द्र तथा नेत्र–बैंक चलाए जा रहे हैं और देश भर में नेत्रदान जागरूकता अभियान के माध्यम से नेत्रदान बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नीति–निर्धारण में केन्द्र

तथा राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रयागराज कुंभ में हुआ विशाल नेत्र जाँच शिविर "नेत्रकुंभ" उल्लेखनीय है।

जनजागरण (Awareness) एवं पक्ष–समर्थन कार्यक्रम (Advocacy): समाज में विकलांगता–जनजागरण हेतु विविध–विशेष अवसरों पर उत्सवों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यथा संत सूरदास जयन्ती, सक्षम स्थापना दिवस, रक्षाबन्धन, राष्ट्रीय नेत्रदान जागृति पखवाड़ा, विश्व विकलांग दिवस इत्यादि। दिव्यांगों के अधिकारों का संरक्षण, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, दिव्यांग बंधुओं की चुनौतियाँ आदि विविध न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं जिला स्तर पर ज्ञापन देना, धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन आदि वैध उपायों का सहारा लिया जाता है।

दिव्यांग सेवा केन्द्र: हर जिले में दिव्यांग सेवा केन्द्र संचालित करना सक्षम की प्राथमिकता है। इस केन्द्र में दिव्यांगों को सरकार से प्राप्त होने वाली सुविधाएं यथा विकलांगता–प्रमाणपत्र बनवाना, समय–समय पर विज्ञापित होने वाली नौकरियों के लिए आवेदन करवाना तथा कानूनी सहायता दिलवाना आदि कार्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन इन विषयों पर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाता है।

समन्वय–मंच: सक्षम का यह भी एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है कि वह अन्य समविचारी संगठनों के साथ सहयोग की दृष्टि से समन्वय–मंच के रूप में कार्य करता है और कुछ सेवाभावी संस्थाएं सक्षम से संलग्न भी हैं।

दिव्यांग मित्र योजना: इस पवित्र सेवाकार्य में भागीदार होने के लिए सक्षम आह्वान करता है। आईये! दिव्यांग मित्र बनें। वर्ष में एक–दो बार रक्तदान करें और पांच व्यक्तिओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरणा दें। आप नेत्रदान संकल्प करें और दस व्यक्तिओं से संकल्प करवाएं। सक्षम के विविध प्रकल्पों में तन–मन–धन से जुड़ें।

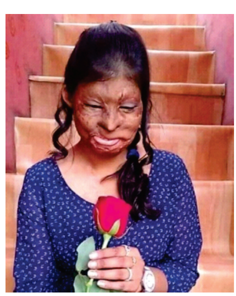

।। सक्षम भारत, समर्थ भारत ।।

दिव्यांगताः भारतीय दृष्टिकोण एवं भारत में इसका इतिहास

श्री प्रेमसागर गुप्ता, जम्मु

भारतीय संस्कृति में स्वाभाविक चिंतन है, **'आत्मवत् सर्वभूतेषु'** अर्थात् एक ही आत्मा सारे विश्व में विद्यमान है। ईश्वर की सृष्टि में विविधता है तो भी सभी एक हैं।

ऋग्वेद में है **"माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः"** अर्थात् भूमि हमारी माता और जो यहाँ बसते हैं वह सभी इसकी संतान हैं। हम सब में रक्त संबंध है। बाहरी विविधता जैसे स्त्री–पुरुष, जाति–पंथ और विकलांगता–सकलांगता में एकता का विषय है। हम सभी एक माता की संतान हैं।

कालगमन दोष और पराधीनता के कारण इस विविधता में विकृत विभेद हो गया है। समाज में अंधविश्वास उभरा कि पूर्वजन्म में किये पाप के कारण विकलांग का जन्म होता है। कर्म सिद्धांत का दुरुपयोग कर समाज अपना दायित्व भूलकर निष्क्रिय हुआ।

इतिहास में झाँके तो भगवान सूर्य के सारथी **'अरुण' ('अणूर')** दिव्यांग है, दोनों के पैर नहीं हैं। वैदिक मंत्रों के रचियता **ऋषि दीर्घतमा** दृष्टिबाधित थे। राजा जनक के अध्यात्मिक गुरु **ऋषि अष्टावक्र** सेरेब्रल पाल्सी और **कृष्णभक्त सूरदास** दृष्टिबाधित थे। यह सभी पाप के कारण नहीं ईश्वर की सृष्टि की विविधता है।

भारत में विकलांगता का इतिहास देखें तो **अथर्ववेद** बताता है की उस काल में विकलांगों के उपचार के लिए जड़ी बूटीयों, योग–चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था।

चौथी सदी में **कौटिल्य के अर्थशास्त्र** में उल्लेख है की विकलांगों के लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए। **गौड़ पतागा** पढ़ने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग उपचार की विधि प्रयोग की। महान चिकित्सक चरक ने मंदबुद्धिता के विभिन्न कारणों को चिह्नित किया और उसके प्रकारों का वर्गीकरण उस काल में हुआ था।

गुप्तकाल में विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता था। बौद्ध **ममतालिसी जातक** में गतिविधियों के माध्यम और व्यावहारिक पद्धति से मंदबुद्धियों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया था। **सम्राट अशोक** के समय मठों में विकलांगजनों को सुविधाएँ प्रदान की जाती थी।

प्रथम सदी में विशेष शिक्षा की विश्व की पहली पाठ्यपुस्तक **'पंचतंत्र'** की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। वह राजा अमरशक्ति के दरबारी थे।

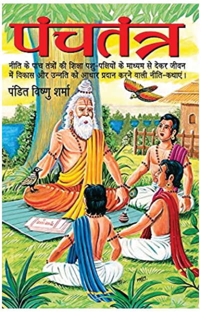

राजा के पांच पुत्रों में से तीन पुत्रों वसुशक्ति, युगशक्ति एवं अभिकशक्ति मंदबुद्धि थे। इनको शिक्षा देने हेतु ही 'पंचतंत्र' की रचना की गई। इसे आज तक इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है।

चौथी सदी में विकलांग बच्चों के लिए सिंहल द्वीप में आश्रम का भी निर्माण हुआ।

17 वीं सदी संत सूरदास का समय था तभी नेत्रहीन अन्नान हुए जो आगे जाकर हाफिज बने जिन्हें पूरा कुरान कंठस्थ थी। इसी काल में मराठों और पेशवाओं ने गुप्तचरी और जासूसी कार्यवाही हेतु अपने कर्मचारियों में मूक और बधिर लोगों की नियुक्ति की।

19 वीं सदी में उत्तर भारत में विशेष शिक्षा हेतु राजा कालिशंकर घोषाल ने बनारस में दृष्टिबाधितों के लिए पाठशाला की स्थापना की। मद्रास में मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष विद्यालय और मुंबई में श्रवणबाधितों के लिए पहला औपचारिक विद्यालय खोला गया। मिशनरी एनिशार्प ने अमृतसर में प्रथम दृष्टिबाधित विद्यालय स्थापित किया।

20 वीं सदी के आरंभ में अहमदाबाद में श्रवणबाधितों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई। बंगाल के कुर्सियात में सामान्य विद्यालयों के समानान्तर शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए विद्यालय खुला। डॉ. कुजीत वर्ग ने **मद्रास एसोसिएशन फॉर ब्लाईंड** की स्थापना की। उसी काल में बधिरों हेतु **लेडिस नॉइस राजकीय विद्यालय** की स्थापना दिल्ली में और त्रावनकोर में विकलांगों के लिए विद्यालय खोला गया।

मद्रास में मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की और हैदराबाद में राजकीय मूकबधिर और अंधविद्यालय की स्थापना की गई। बम्बई में चिल्ड्रन एंड सोसाइटी का प्रारंभ मूकबधिर, दृष्टिबाधित एवं मंदबुद्धि बच्चों के लिए किया गया। शिक्षा मंत्रालय में एक इकाई बनी और सभी प्रकार के विकलांगो की शिक्षा पर विचार किया। शासन ने चार प्रकार की विकलांगता पर ही विचार किया था। दृष्टिबाधिता, मानसिक पिछड़ापन, श्रवणबाधिता और गत्यात्मक असमर्थता।

श्रीमती कील ने बम्बई में पहला विशेष शिक्षा विद्यालय स्थापित किया। उसी दशक में देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 11 और केन्द्र प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में लगभग 45 मूकबधिर विद्यालयों की स्थापना हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सियालकोट और पुणे में भारतीय सेना ने कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र स्थापित किये।

स्वतंत्रता पश्चात् 1950 के आसपास गामक अक्षमता से पीड़ित

व्यक्तिओं के लिए दिल्ली और मद्रास में पुनर्वास केन्द्रों और मुंबई में **ऑल इण्डिया इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल मेडिसिन और पुनर्वास केन्द्र** की स्थापना हुई। स्वास्थ और परिवार कल्याण विभाग द्वारा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मु कश्मीर तथा मणिपुर आदि स्थानों पर भी पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हुई।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष विद्यालय एवं समेकित शिक्षा की बात कही गई है। सभी प्रकार के विकलांगों के लिए पाठ्क्रम निर्देशित सामग्री उपकरण, चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

भारत सरकार ने निम्न स्थानों में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की –

- 1960 में दिल्ली में National Institute for Physically Handicapped (NIPH)
- 1975 में कटक में National Institute of Rehabilitation Training & Research (NIRTAR)
- 1978 में कोलकाता में National Institute for Locomotor Disability (NILD)
- 1983 में मुंबई में National Institute for Hearing Handicapped (NIHH)
- 1984 में सिकंदराबाद में National Institute for Mentally Handicapped (NIMH)
- 2005 में चेन्नई में National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (NIEPMD)
- 2015 में दिल्ली में Indian Sign Language Research & Training Centre (ISLRTC)
- 2019 में मध्य प्रदेश में सीहोर में National Institute of Mental Health Rehabilitation (NIMHR)
- 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) का गठन विकलांगों के लिए चलाये जानेवाले कार्यक्रम की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने एवं सेवा संस्थानों की अधिमान्यता के लिए किया गया।
- 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1995 में निशक्त व्यक्ति अधिनियम पारित हुआ (PwD Act)
- 1999 में मानसिक मंद, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात स्वलीनता ग्रस्त बच्चों और बहु विकलांगों के संरक्षण हेतु 'राष्ट्रीय न्यास' की स्थापना हुई और सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई।
- 2016 में RPD अधिनियम पारित हुआ।

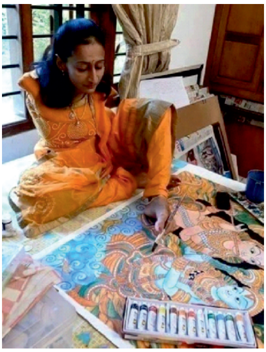

दिव्यांगता क्षेत्र और संघ परिवार

श्री जयवीर सिंह
श्री अविनाश अग्निहोत्री

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक प.पू. डॉक्टरजी कहते थे ”संघ संघठन ही करेगा परंतु स्वयंसेवक समाज में किसी भी कार्य को नही छोड़ेगा“ निम्नलिखित विषय देखते हैं तो यह सत्य लगता है।

- 1928 में माननीय मोरोपन्तजी पिंघले के नागपुर स्थित घर में श्री वामनराव वाडेगावकर (दृष्टिबाधित) ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक अंध विद्यालय (Blind Relief Association) प्रारंभ किया जिसमें प.पू. श्रीगुरुजी स्वयं पढ़ाते थे।
- 1960 के आसपास, अभी के छत्तीसगढ़ में चाम्पा तहसील कार्यवाह श्री कात्रेजी कुष्ठबाधित होने के कारण रेलवे की नौकरी और घर छोड़ना पड़ा। बिलासपुर में एक मिशनरी अस्पताल में इलाज करवाया। परंतु उनपर धर्मान्तरण का आग्रह था कात्रेजी के मन में बहुत पीड़ा पैदा हुई और एक प्रसंग पर प.पू. गुरूजी से चर्चा की। गुरूजी की प्रेरणा व सहयोग से चाम्पा में ‘भारतीय कुष्ठ निवारक संघ ’ का प्रारंभ किया।
- 1977 में बिहार राज्य सरकार के सामने अ.भा.वि.प. प्रदेश सचिव श्री मोहनजी (अभी उत्तरपूर्व क्षेत्र कार्यवाह, रा.स्व.संघ) ने विकलांग बन्धुओं को शिक्षा और रोजगार में 3 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा।
- 1978 में पुणे महानगर में अपंग कल्याणकारी संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तब के महानगर प्रचारक सुहाषराव हीरेमठ जी ने, श्री मुरलीधर कचरे जी (वर्तमान अध्यक्ष,प. महाराष्ट्र प्रान्त, सक्षम) को प्रोत्साहित किया और सहयोग भी दिया।
- 1980 के आसपास देहरादून NIVH के साथ समाज में नेत्रदान करवाने के लिए उस समय के जिला कार्यवाह ने कार्य किया।
- इसी वर्ष के आसपास आंध्रप्रदेश में राजमंडरी स्थित **महारोगी आरोग्य केन्द्र** को पुनर्जीवित करने के लिए तात्कालीन संघ के विभाग कार्यवाह प्रा. शिवप्रसाद जी ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया एवं कर्नाटक सह प्रान्त प्रचारक श्री अजित जी की दृष्टि और प्रयास के कारण बेंगलुरु में बुद्धिबाधित बच्चों के लिए अरुण चेतना, **Seva in Action** प्रकल्प प्रारंभ हुआ। आज कर्नाटक में बेंगलुरु, मंगलूरु, गदग, मुधोड़ इ. स्थानों में बुद्धिबाधित बच्चों के लिए 8 प्रकल्प चल रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 को ”विकलांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष“ घोषित किया था। उस समय ABVP कर्नाटक प्रांत के माध्यम से विकलांग छात्रों का प्रांत अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रांत संगठन मंत्री श्री. दत्तात्रेयजी होसबले

सहित कई ABVP कार्यकर्ताओं ने दृष्टिबाधित छात्रों को परीक्षा देने में राईटर (scribes) के रूप में सहयोग किया।

- 1993 में इस्लाम उग्रवादियों ने चेन्नई संघ कार्यालय में विस्फोट किया। उसमे प्रान्त कार्यालय प्रमुख श्री काशिनाथ जी सहित 8 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। काशिनाथ जी ने नेत्रदान करने का संकल्प किया था। उस विस्फोट के कठीन समय में भी अ.भा.सेवा प्रमुख श्री सूर्यनारायणराव जी ने डॉक्टर को बुलाकर नेत्रदान करवाया।
- 1995 में मा. सरकार्यवाह श्री शेषाद्री जी के नागपुर प्रवास में **माधव नेत्र पेढ़ी** प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा दी। आज वही प्रकल्प सक्षम का केन्द्र स्थान है। पू. बालासाहेब जी, पू. सुदर्शन जी, पू. रज्जुभैया जी, मा. शेषाद्री जी, मा. ठेंगडी जी का नेत्रदान हुआ।
- 1995 में हैदराबाद में प्रान्त सेवा प्रमुख चंद्रशेखर जी की प्रेरणा से श्री काशीनाथ जी (अभी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सक्षम) दृष्टिबाधित छात्रों के विकास के लिए 'मनोनेत्र' प्रारंभ किया।
- 1998 में मा. सह सरकार्यवाह श्री मदनदास जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में दृष्टिबाधित श्री दिलीप घोष की माध्यम से 'अ.भा.दृष्टिहीन कल्याण संघ' का प्रारंभ हुआ।
- वर्ष 2000 दिव्यांगता के क्षेत्र में संघ कार्य के लिए बहुत ही गतिशीलता लिए हुए रहा। इस वर्ष के आसपास में मध्य प्रदेश सेवा भारती के माध्यम से भोपाल और खंडवा में अस्थिबाधित विकलांग छात्रों के लिए छात्रावास प्रारंभ हुआ। श्रवणबाधित बच्चों के लिए मुंबई विलेपार्ले संघ कार्यालय उत्कर्ष में और जलगाँव में केशव सेवा समिति के माध्यम से श्रवणबाधित विद्यालय प्रारंभ हुआ। गोवा (डिचोली) में बुद्धिबाधित बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल केशव सेवा साधना प्रारंभ किया। केरल पलक्कड़ में दृष्टिबाधित पुरुषों के लिए और अलुवा में दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए छात्रावास प्रारंभ हुआ।
- 2006 में लातुर में मा. सरकार्यवाह श्री भैय्याजी जोशी के मार्गदर्शन में श्री. सुरेश पाटिल और श्रीमती दीपाताई ने सेरेब्रल पाल्सी विकसन केन्द्र 'संवेदना' प्रारंभ किया।

सक्षम स्थापना के पूर्व की भूमिका :–

- माधव नेत्र बैंक के विस्तार हेतु अलग–अलग प्रान्तों में प्रवास करते समय ध्यान में आया कि अपने संघ के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों से सम्बन्धित, उन्हीं के सर्वांगीण विकास हेतु सेवा प्रकल्प चला रहे हैं। इस विषय पर तत्कालीन मा. सरकार्यवाह रा.स्व.संघ, श्री सुरेश जी (भैय्याजी) जोशी तथा अखिल भारतीय सेवा प्रमुख श्री सुहाषराव हीरेमठ से चिंतन व मनन के दौर के पश्चात मा. भैय्या जी जोशी ने आग्रह किया कि

भविष्य में एक राष्ट्रीय स्तर पर Umbrella Organization बनाया जाए।

- 5 मार्च 2008 महाशिवरात्री के पावन अवसर पर काशी में संपन्न हुई बैठक में मा. भय्याजी जोशी के दिशा निर्देशन में तय हुआ कि एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, जिसका मुख्यालय नागपुर में रहेगा। संगठन के निर्माण में सभी प्रकार की विकलांगताओं को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर आधारित योजनायें बनाई जाए। नूतन संगठन के नाम के बारे में कई नामों पर गहन चिंतन हुआ। उसके पश्चात **समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसन्धान मंडल** यह नाम तय हुआ और उसके लघु स्वरुप में **"सक्षम"** रखा गया।
- 8 अप्रैल 2008 को नागपुर में हुई बैठक में मा. भैय्याजी की उपस्थिति में संस्था की कार्यशैली, कार्यकारिणी व लोगों को सर्वसम्मति से तय कर लिया गया।
- 8 जून 2008 को रविन्द्र सभागृह, रविन्द्र नगर, नागपुर में तत्कालीन रा.स्व. संघ के मा. सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी की प्रमुख उपस्थिति में प्रातः 11 बजकर 11 मिनिट में "सक्षम" की घोषणा की गई। मा. भय्याजी की उपस्थिति में प्रथम कार्यकारिणी की घोषणा की गई।

अध्यक्ष : पद्मश्री स्व. श्री दामोदर गणेश बापट (चाम्पा, छत्तीसगढ़)
उपाध्यक्ष : डा. मिलिंद माधव कस्बेकर (पूना, महाराष्ट्र)
महासचिव : श्री अविनाश कृष्णराव संगवई (नागपुर, महाराष्ट्र)
सह महासचिव : श्री एन. गोपकुमार (कोट्टायम, केरल)
कोषाध्यक्ष : श्री अरुण पूरनमल बजोरिया (कलकत्ता, प.बंगाल)
सदस्य : डा. अविनाश सदानन्द अग्निहोत्री (नागपुर, महाराष्ट्र)
श्री काशीनाथ लक्काराजू (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)
डा. कमलेश कुमार सूर्यदेव (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)
श्री ओमप्रकाश भगवानदास शर्मा (अम्बाला, हरियाणा)

- 20 जून 2008 को सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय नागपुर में सक्षम संस्था के उपविधि (Bylaws) को स्वीकृति प्रदान की गई और पंजीकरण भी किया गया। जिसका पं.नं. MAH/654/2008(N) दि. 20.06. 2008 है। इसीलिए सम्पूर्ण देश में सक्षम की सभी इकाईयां 20 जून को स्थापना दिवस के रूप में मनाती हैं।

सदानंद मास्टर, केरल

सक्षम कार्यपद्धति

श्री. उमेश अंधारे
राष्ट्रीय सहसचिव

समदृष्टी, क्षमता विकास एवं अनुसन्धान मंडल (सक्षम) यह दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करनेवाला संगठन है। लक्ष्य प्राप्ति के लिये सुदृढ़ संगठन एवं स्वयंप्रेरित, अनुशासित व क्षमतावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। ऋग्वेद में संगठन सूत्र का एक अच्छा श्लोक है जो हमें संगठन कैसा हो इस बारे मे दिशा निर्देश करता है। जिसे प्रत्येक बैठक / कार्यक्रम के प्रारंभ में हम कहते हैं।

ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानानाउपासते ।।1।।

भावार्थ– कदम से कदम मिलाकर चलो, स्वर से स्वर मिलाकर बोलो, तुम्हारे मनों में समान बोध हों। पूर्वकाल में जिस प्रकार देवों ने अपना भाग प्राप्त किया, सम्मिलित बुद्धि से कार्य करने वाले उसी प्रकार अपना–अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।2।।

भावार्थ– इन मिलकर कार्य करने वालों का मंत्र समान होता है अर्थात् ये परस्पर मंत्रणा करके एक निर्णय पर पहुँचते हैं। चित्त सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलकर समान निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रेरणा यानी परामर्श देता हूँ। तुम्हें समान भोज्य प्रदान करता हूँ।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।3।।
।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

भावार्थ– तुम्हारी भावना या संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हों। तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम लोग परस्पर सहकार कर सको। सभी ओर कल्याणमयी शान्ति बनी रहे।

साथ ही साथ हमारा लक्ष्य सभी कार्यकर्त्ताओं के मन में सदा रहे इसलिए निम्न श्लोक हम प्रत्येक बैठक/कार्यक्रम के समापन में कहते हैं।

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ।।
।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

भावार्थ– सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बनें और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े, सभी ओर कल्याणमयी शान्ति बनी रहे।

अगर हमें उपरोक्त श्लोक मे बताए अनुसार संगठन एवं कार्यकर्ताओं को तैयार करना है तो हमे उसके अनुरूप हमारे संगठन की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण, बैठक, अधिवेशन इत्यादि का सुचारू रूप से नियोजित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सक्षम ने इस दृष्टी से राष्ट्रीय, प्रान्त तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण, बैठक एवं अधिवेशन इनकी योजना बनाई है। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

1. **प्रशिक्षण वर्ग**– कार्यकर्ता दिव्यांगता विषय के विविध पहलूओं को ठीक से समझे, समझकर उसका प्रत्यक्ष धरातलपर क्रियान्वयन कर सके इसलिए राष्ट्रीय तथा प्रान्त स्तर पर प्रशिक्षण वर्गों की व्यवस्था की गई है। इन वर्गों में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। संगठन सम्बन्धित विषय, कार्यविस्तार एवं कार्य दृढ़ीकरण किसप्रकार किया जाता है, मिनिट्स कैसे लिखना, हिसाब– किताब किस प्रकार रखना, दिव्यांगमित्र योजना एवं दिव्यांग सेवा केन्द्र इत्यादि विषयोंका प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. **बैठक**– कार्यकर्ताओं को संगठन के कार्य की तथा उद्देश्य की ठीक से जानकारी हो तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विविध कार्यक्रमों की योजना एवं प्रत्यक्ष धरातल पर उसके क्रियान्वयन को निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विविध बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर:

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक (NE): वर्ष में चार बार होती है ।
2. **राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (NEC):** वर्ष में एक बार (सामान्यत: सितम्बर माह में): जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, आमंत्रित सदस्य, सभी प्रान्त टोलियाँ (अध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष इ.) अपेक्षित होते है। इस बैठक में संगठन की नीति निर्धारण एवं प्रमुख कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिए जाते है।

3. **प्रान्त सचिव बैठक:** प्रान्त के कार्य के प्रगति में प्रान्त सचिव एवं प्रान्त संगठन सचिव महत्वपूर्ण है। यह बैठक सामान्यत: फरवरी माह में ये बैठक होती है। इसमे पिछले साल के कार्य की समीक्षा, आगामी वर्ष की योजना होती है।

(आ) प्रान्त स्तर परः

1. प्रान्त कार्यकारिणी (SE) की बैठक वर्ष में चार बार होती है (मार्च–अप्रैल मे प्रान्त योजना बैठक)।

2. प्रान्त कार्यकारी परिषद (SEC): वर्ष में एक बार (सामान्यतः मई–जून में)। इस बैठक मे जिला टोलियाँ अपेक्षित है तथा इसमे वार्षिक योजना, कार्यविस्तार और दृढ़ीकरण इत्यादि विषयों पर चर्चा होती है।

(इ) जिला स्तर परः जिला समिति कि मासिक बैठक होना अपेक्षित है। वर्ष में दो बार विस्तृत बैठक तथा इसमें सभी तहसील से कार्यकर्ताओं और सभी प्रकार के दिव्यांगो का प्रतिनिधित्व अपेक्षित है।

3. अधिवेशन :

यह शक्ति प्रदर्शन का विषय है तथा समाज में जागरूकता लाने के लिए आयोजित किये जाते है। दिव्यांग बन्धुओं की समस्या पर विचार कर प्रस्ताव पारित करके प्रशासन के ध्यान में लाने के लिए है।

अधिवेशन में 21 प्रकार के दिव्यांग बन्धु और दिव्यांग बन्धुओं के लिए काम करनेवाले विशेषज्ञ, सेवाभावी संस्थाएँ, सेवाभावी व्यक्ति सभी अपेक्षित हैं। अधिवेशन में शोभायात्रा, प्रदर्शनी का आयोजन तथा प्रकट कार्यक्रम अनिवार्य है। प्रकट कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, दिव्यांग सेलिब्रिटीज इ. को सम्पर्क कर आमंत्रित करना अपेक्षित हैं।

राष्ट्रीय अधिवेशन : कार्यकर्ताओं को अपने संगठन का परिचय हो, आपस में एकात्मभाव जागृत हो तथा अपने संगठन की विशालता का एवं अखिल भारतीय स्वरूप का परिचय हो, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन साल मे एकबार राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। जिस साल राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उसके अगले साल जिला अधिवेशन तथा बाद के साल में प्रान्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है गत काल मे हुए राष्ट्रीय अधिवेशन एवं राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद

का वृत्त निम्नानुसार हैः

अधिवेशन	**स्थान**	**वर्ष**	**प्रमुख उपस्थिति**
प्रथम अधिवेशन	लखनऊ	2008	मा. मदन दास जी, मा. भैया जोशी जी सह सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ
द्वितीय अधिवेशन	दिल्ली	2009	मा. कु.सी.सुदर्शन, प.पू. सरसंघचालक रा.स्व.संघ
तृतीय अधिवेशन	नागपुर	2010	मा. भैयाजी जोशी सर–कार्यवाह, रा.स्व.संघ
चतुर्थ अधिवेशन	देहरादून	2011	मा. सुहाष राव हिरेमठ अ.भा. सह सेवा प्रमुख रा.स्व.संघ
पंचम् अधिवेशन	काशी	2012	मा. सुहाष राव हिरेमठ अ.भा. सह सेवा प्रमुख रा.स्व.संघ
षष्टम् अधिवेशन	अलवर	2013	मा. राम माधव जी अ.भा. सह संपर्क प्रमुख रा.स्व.संघ
सप्तम् अधिवेशन	जबलपुर	2014	मा. सुरेशजी (भैया) जोशी सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ
अष्टम् अधिवेशन	कन्या कुमारी	2015	मा. कृष्णगोपाल जी सह सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ, मा. थावरचंदजी गहलोत
नवम् अधिवेशन	जयपुर	2018	मा. मोहनजी भागवत, प.पू. सरसंघचालक रा.स्व.संघ

सक्षम कार्यक्रम रचना

प्रा. जयशंकर पाण्डेय
लखनऊ

समाज में दिव्यांगता जन जागरण हेतु विशेष अवसर पर विविध उत्सव तथा कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन किया जाता हैं।

अनिवार्य कार्यक्रम:

1–सन्त सूरदास जयन्ती: हर वर्ष वैशाख शुक्ला पंचमी के दिन सभी जिला इकाइयों में कार्यक्रम मनाते हैं। इस अवसर पर प्रतिभावान दिव्यांगजन को सम्मान कर सकते हैं और दृष्टिबाधित बन्धुओं का संगीत प्रस्तुति कार्यक्रम योजना कर सकते हैं (संत सूरदास जी की विस्तृत जीवनी अंत में है)।

2–सक्षम स्थापना दिवस–20 जून: देशभर में सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं उन्नयन हेतु कार्य करनेवाली समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम (समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसन्धान मंडल) स्थापना दिवस 20 जून को पूरे देश में मनाया जाता है। इस अवसर पर दिव्यांग क्षेत्र में कार्यरत सेवाभावी संस्थाओं को सम्मानित कर सकते हैं। उस प्रकल्प के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना कर सकते हैं। सामान्यत: 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 27 जून हेलेन केलर जयन्ती तक तीनो कार्यक्रम, स्थापना दिवस के नाम से मनाते हैं।

सफल प्रयोग: सक्षम स्थापना दिवस की गरिमामय 10 वर्ष पूर्ण होने पर सक्षम अवध प्रांत ने 10 शिविरों का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत 4879 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया, 793 नेत्रदान संकल्प पत्र भरवाए गए, 965 दिव्यांगों के कैलीपर्स के लिए चुना गया, 1203 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 188 दिव्यांग शादी अनुदान के लिए चयनित किए गए।

दशम वर्ष पूर्णम्।

अहर्निश दिव्याङ्गान सेवामहे।

3–रक्षाबंधन: श्रावण पूर्णिमा के दिन समाज में सभी रक्षाबंधन मनाते हैं। सक्षम में समावेशित रूप में (Inclusive) रक्षाबंधन मनाते हैं। सामान्य बच्चे दिव्यांग बच्चों को एवं सक्षम कार्यकर्ताओं ने परिवारसहित दिव्यांग बन्धुओं को आत्मीयता से राखी बाँधना अपेक्षित हैं और दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ इ. को संपर्क करके राखी बाँधने का कार्य भी करते हैं।

4–नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा: 25 अगस्त–8 सितंबर: प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता हेतु सभी जिला इकाईयाँ तहसील स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित करती हैं। देश में लाखों लोग कार्निया अन्धत्व से ग्रसित हैं। जिन्हें नेत्रदान एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से दृष्टि मिल सकती हैं।

इस पखवाड़े में सक्षम द्वारा नेत्रदान विषय पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में संगोष्ठी की जाती हैं। नेत्र परीक्षण किया जाता है, नेत्रदान हेतु संकल्प पत्र भरवाये जाते हैं। नेत्रदान जागरूकता हेतु रैली निकाली जाती है। सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं शासन के महत्त्वपूर्ण अधिकारियों को इस रैली में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है । आँख पर पट्टी बाँधकर मॉक रैली निकाली जाती है । नेत्रदानियों के परिवारजनों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिससे नेत्रदान करने के लिए समाज में वातावरण बनता है एवं नेत्रदान करने के लिए लोग आगे आते हैं। कई महत्त्वपूर्ण संगठनों को भी इस अभियान में सम्मिलित किया जाता है।

जबलपुर, करनाल, हैदराबाद में साईट–ए–थोन नाम से कई संस्थाओं को सम्मिलित करके मॉक रैली (Blind Fold Walk) का आयोजन होता है।

इम्फाल

करनाल

जबलपुर

बेंगालुरू

आ) सक्षम मालवा प्रान्त द्वारा आयोजित ''दिव्य कुम्भ'', जिसमे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए 1180 दिव्यांग बच्चों ने दिव्यांगता का प्रतीक चिह्न ''व्हील चेयर'' की 60 x 60 मीटर की आकृति पर लगी हुई कुर्सियों पर बैठे। 'दिव्य कुम्भ' का नाम 'गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में सम्मिलित हुआ।

इ) सक्षम महाकौशल प्रांत के द्वारा प्रांत के सुदूर, वनांचल व वंचित क्षेत्रों में निवास करनेवाले बंधु–भगिनी, बच्चों व विकलांगों की स्वास्थ्य समस्याओं के कष्टों के निवारण हेतु विशाल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में अन्य स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ ही जिला प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। 27 स्थानों पर कुल 138291 पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किया गया है। दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार शासन के सहयोग से 5131 दिव्यांगों के प्रमाणपत्र बने एवं 9090 कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया।

आ) वैकल्पिक कार्यक्रमः

सक्षम का कार्यक्षेत्र व्यापक है और विभिन्न विकलांगताओं से बाधित समाज है। प्रत्येक तरह के दिव्यांग बन्धुंओं, उनके परिवारों एवं उनसे संबंधित विशेषज्ञों को संगठन से जोड़ने के लिए, तत्संबंधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ कार्यकर्ता निम्नलिखित वैकल्पिक कार्यक्रम मनाना महत्त्वपूर्ण है।

1–लुई ब्रेल जयन्तीः 4 जनवरी : लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में कुप्रे गांव में एक संसाधनहीन परिवार में हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में आँख में चोट लगने के पश्चात 8 वर्ष की अवस्था में ब्रेल पूर्ण अन्धत्व का शिकार हो गए। सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़े जाने वाली नाइट राइटिंग व सोनोग्राफी के बारे में उन्हें बताया गया कि यह लिपि उभरी हुई थी तथा 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहीं से लुई ब्रेल को

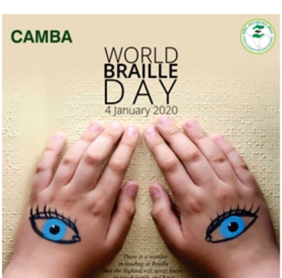

विचार मिला और उन्होंने संशोधन करके छह बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिह्न बनाये। इसमें उन्होंने विराम चिह्न और यहां तक कि संगीत की नोट्स लिखने के लिए भी आवश्यक चिह्नों का भी समावेश किया यह ब्रेल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत सरकार ने सन 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। यह लिपि दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

2–राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ाः जनवरी 30 से फरवरी 13 तकः 30 जनवरी पूज्य महात्मा गाँधी पुण्यतिथि से प्रारंभ करके फरवरी 13 तक राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा मनाते है। कुष्ठबाधित व्यक्ति कुष्ठरोगी नहीं है और कुष्ठरोग भी शत प्रतिशत ठीक होता है। इलाज के बाद संक्रमित भी नहीं होता है, इस विषय को लेकर समाज में पैदा हुए भ्रम को दूर करना पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है।

3–नेत्रदान जनजागृती सप्ताहः पूज्य गुरुजी जयन्ती विजया एकादशी; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प.पू. द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य 'गुरुजी' का जन्म सन् 1906 फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। उनके विचारों पर आधारित संघ द्वारा प्रकाशित 'गुरुजीः दृष्टि एवं लक्ष्य' नामक पुस्तक में लिखा है, कि भारतीय वही है जिनकी दृष्टि व्यापक है यानि ईश्वर एक ही है उसे पाने के लिए मार्ग अलग–अलग हो सकते हैं। किसी देशवासी का कष्ट ना देख सकने वाले एवं महान विचारक साहस तथा बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण गुरुजी अपने विचार शक्ति व कार्य शक्ति से विभिन्न क्षेत्रों एवं संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत बने। गुरुजी का जीवन अलौकिक था। राष्ट्र जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने मूलभूत एवं क्रियाशील मार्गदर्शन किया। उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। युवावस्था से ही गुरुजी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया करते थे। पूज्य गुरूजी के नाम से सक्षम ने माधव नेत्र बैंक की श्रृंखला खड़ी की।

इस अवसर पर सक्षम की सभी इकाइयाँ "नेत्रदान जागरूकता सप्ताह" के रूप में संगोष्ठीयाँ, रैली इ. का आयोजन करती हैं।

4–विश्व श्रवण दिवसः 3 मार्चः विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन बहरापन और सुनवाई हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनवाई देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। सक्षम का प्रकल्प "प्रणव" विश्व श्रवण मंच (World Hearing Forum) का एक सदस्य है।

5–विश्व डाउन सिंड्रोम दिवसः 21 मार्चः डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की चिंता करने एवं सहयोग करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सभा ने 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस घोषित किया जो 2012 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा

है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है, जिसके कारण व्यक्तियों में मानसिक शारीरिक विकास में असामान्यता आ जाती है। इस अवस्था से पीड़ित बच्चों व वयस्कों में कम बुद्धिलब्धि और कम सीखने की क्षमता के साथ–साथ चेहरे की भिन्न प्रकार की विशेषताएं हो जाती हैं परंतु इन बच्चों का व्यवहार आत्मीयतापूर्ण होता है।

6–विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस:2 अप्रैल: विश्व स्वलीनता (ऑटिज्म) जागरूकता दिवसः प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाने से है। ऑटिज्म अथवा स्वलीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है इसके लक्षण जन्म या बाल्यावस्था से ही दिखने लगते हैं। यह व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है।

7–विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून: को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। धरती पर लगातार बेकाबू होते जा रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों के चलते विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन सक्षम की सभी इकाइयाँ दिव्यांगों के माध्यम से औषधीय, छायादार एवं फलदार वृक्षों का रोपण करती है। इन पौधों/वृक्षों को संरक्षित और पोषित करने के लिए

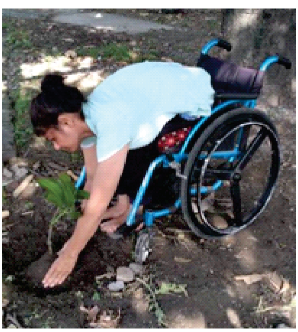

व्यवस्थित योजना बनायी जाती है।

8–हेलन केलर जयन्ती: 27 जून: इस अवसर पर सभी इकाईयाँ श्रवणबाधित बच्चों के लिए चलने वाले प्रकल्पों के साथ कार्यक्रम की योजना करती हैं। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टुस्कुम्बिया, अलाबामा, अमेरिका में हुआ। सन 1882 में (19 महीने की उम्र में ही) गंभीर बीमारी के कारण हेलेन केलर को सुनने एवं देखने की शक्ति चली गई। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी। अपने परानुभूतिक भाव, सक्रियता एवं कर्मठता के कारण वह एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य के रूप में प्रसिध्द हो गयी। उन्होंने अमेरिका और दुनियाभर के दिव्यांगों

और महिलाओं के अधिकार, श्रम अधिकार, समरसता हेतु अभियान चलाया।

9—विश्व थैलेसीमिया दिवसः 8 मईः इस दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है।

थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार है। यह एक अनुवांशिक विकार है, जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों में पर्याप्त हिमोग्लोबिन नहीं बन पाता, इसके कारण एनीमिया हो जाता है और बाधितों के जीवित रहने के लिए प्रत्येक 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस दिन सक्षम की इकाइयाँ रक्तदान शिविर आयोजित करती है।

10—विश्व रक्तदान दिवसः 14 जूनः प्रत्येक वर्ष 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है दुनियाँ में आवश्यकता के अनुरूप खून उपलब्ध करवाना यदि ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में खून उपलब्ध होगा तो खून के कमी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। भारत में सालाना एक करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है लेकिन 75 लाख यूनिट रक्त ही उपलब्ध हो पाता है। सक्षम ने प्राणदा अभियान चलाया है जिससे रक्त दान के माध्यम से रक्त संबंधी विकार से पीड़ित थैलासीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया व्यक्तिओं को जीवन का अवसर मिल सके।

11—विश्व बधिर दिवसः सितंबर अंतिम रविवार; विश्व बधिर दिवस सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बधिरों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ—साथ समाज और राष्ट्र में उनके योगदान के बारे में बताने के लिए होता

है।

12—राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवसः अक्टूबर 3ः प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को सेरेब्रल पाल्सी (प्रमस्तिष्क अंगघात) व्यक्तिओं के प्रति, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी शैशवावस्था या बाल्यावस्था में दिखाई देती है। यह स्थाई रूप से बौद्धिक गतिविधियों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। 3 अक्टुबर शस्त्रचिकित्सक डॉ. पेरिन मुल्लाफेरोज़ का जन्मदिन है। उन्होंने देश में पहली बार मुंबई COH में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के समग्र पुनर्विकास के लिए सेरेब्रल पाल्सी यूनिट खड़ा किया है।

13—विश्व दृष्टि दिवसः विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिवस अंधापन, कम दृष्टि के साथ—साथ दृष्टि संबंधी समस्याओं जैसे कॉर्निया अंधत्व, ग्लूकोमा, रेटिना आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन नेत्रदान करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को दृष्टि दी जा सके।

14—विश्व व्हाइट केन दिवसः अक्टूबर 15ः प्रत्येक वर्ष सफेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सफेद छड़ी नेत्रहीन लोगों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह नेत्रहीनों को अपने रास्ते में आने वाली चीजों को पता लगाने और इसे हटाने में सहायता देने के साथ ही दूसरे लोगों को संकेत देता है कि छड़ी का उपयोगकर्ता नेत्रहीन है, इसलिए उसके रास्ते में न आवें या आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करें।

15—कात्रेजी जयन्तीः जन्म 23 नवंबरः भारतीय कुष्ठ निवारक संघ के संस्थापक पूज्य सदाशिव गोविंदराव कात्रे जी का जन्म 23 नवंबर 1909 को देवोत्थान एकादशी के दिन अरौन, जिला—गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतवर्ष में आदिकाल से मानव हृदय की संवेदना ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना है। इस विचार ने ही महान व्यक्तिओं और संस्थाओं को जन्म दिया है। ऐसे ही संवेदना की राह पर चलने वाले कर्मयोगी का नाम पूज्य सदाशिव गोविंदराव कात्रे है जिन्होंने स्वयं कुष्ठ रोगियों की पीड़ा को हृदय से अनुभव करने के पश्चात 'गुरुजी' के गीतमयी प्रेरणा से—

"मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है।
किया नहीं विध्वंस विश्व का जीवन भर निर्माण किया है"।

प्रेरित होकर अपनी सभी वेदनाओं को विस्मृत कर 1962 में भारतीय कुष्ठ

संत सूरदास

–डा. अविनाश अग्निहोत्रि

संत सूरदास एक महान भक्त कवि एवं हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। आपका आदर्श चरित्र शाश्वत सत्यों की तरह ज्योतिमान है। आपका जीवन दर्शन अँधेरे को भी उजाला प्रदान करता है। इसका कारण सूरदास जहाँ भक्त, वैरागी, त्यागी तथा संत थे, वही वे उत्कृष्टतम काव्य प्रतिमा के धनी थे। सूरदास आशुकवि थे उन्होंने काव्य लिखा नहीं बल्कि उनके मुखारविन्द से स्वतः सूक्तों की भाँति श्रीकृष्ण की लीला का गान झड़ने लगा और वे पद रसामृत–बिन्दु की तरह एकत्र होकर सागर ही नहीं, काव्य रस का महासागर बन गये जिसे 'सूरसागर' के नाम से जाना जाता है। पुष्टिमार्ग में बताई गई तनुजा, वित्तजा और मनसी सेवाओं में से वे मानसी सेवा के परमभक्त थे।

जीवन वृत्तः महाकवि सूरदास का जन्म संभवतयः स.1535 की वैशाख शुक्ला पंचमी मंगलवार को हुआ। आपके जन्म स्थान के संबंध में चार स्थान प्रसिद्ध है। गोपाचल, मथुरा का कोई एक गाँव, रुनकता तथा सीही। सूरदास के पिता रामदास एक गायक थे। आपके तीन बड़े भाई थे। सूरदास नेत्रहीन थे। अतः माता–पिता इनकी ओर से उदासीन रहते थे। निर्धनता एवं माता पिता के उनके प्रति उदासीनता ने उन्हें विरक्त बना दिया। आप घर से निकलकर चार कोस की दूरी पर एक तालाब के किनारे रहने लगे।

सूरदास की आरम्भिक शिक्षा के संबंध में कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता। आप संगीतशास्त्र के परम ज्ञाता तथा वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। संत सूरदास द्वारा रचित 'साहित्य लहरी' ग्रंथ में अंकित है कि संत सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे।

तानसेन ने अकबर के समक्ष सूरदास का एक पद गाया। पद के भाव से मुग्ध होकर अकबर मथुरा जा कर सूरदास से मिले। सूरदास ने बादशाह को 'मना रे माधव सौ करू प्रीती' पढ़ सुनाया। बादशाह ने प्रसन्न होकर द्रव्य–भेट स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर निडरतापूर्वक अपनी अस्वीकृति प्रकट की।

सूरदास का निधन स. 1640 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर हुआ। इस दृष्टि से उनको 105 वर्षों का दिर्घायु प्राप्त हुई।

सूर साहित्य की पृष्ठभूमिः

सूरदास का काव्य श्रीमद् भागवत् महापुराण से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। आपने आजीवन श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में बैठकर ब्रजभाषा काव्य के रूप में जो भागीरथी का संचार किया उसका वेग आज तक विद्यमान है।

अधिकांश विद्वान सूरदास की केवल तीन रचनाओं को यथा सूरसागर, सूरसारावली और साहित्यलहरी को प्रामाणिक मानते हैं। सूरसागर सूरदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी लोकप्रियता का पता इससे चलता है कि देश–विदेश के विभिन्न पुस्तकालयों में जैसे ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में सौ से अधिक हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध है। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में भी सूरसागर की हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित है। 'सूरसागर' लगभग पांच हजार पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में अधिकांश पदों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद्भागवत् के आधार पर किया गया है और कुछ पदों में विनय–भावना की अभिव्यक्ति हुई है।

सूरसारावली में कुल 1107 छंद है, जिनमें होली के रूपक से सृष्टि–रचना एवं विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी संत सूरदास की भक्त रचनाओं का वर्णन मिलता है।

सूरदास की अधिकांश रचनाएँ गीतों के रूप में है। सूरदास को शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान था और उन्हें लोकगीतों की प्रकृति की अच्छी जानकारी थी। उनकी रचनाओं में रसिया, होली, सोहिलो, मल्हार आदि ब्रज के प्रमुख लोकगीतों को कलात्मक रूप मिलता हैं।

राष्ट्रीय जीवन में सूरदासः सूरदास के जीवन–काल में दिल्ली पर एक–एक करके लोदी, सूरी और मुंगलवंशीय बादशाहों का अधिकार रहा, राजनीतिक परिस्थिति पक्षपातपूर्ण थी। हिन्दू जनता में संगठन और शिक्षा का अभाव था।

सूरदास ने श्रद्धा और भक्ति को लोकधर्म और युगधर्म के उपादान के रूप में माना। उनका कवि और भक्त मन जीवन की यथार्थताओं के अधिक निकट था यही कारण है कि उनके पद आज तक ग्रामजनों को कंठस्थ है। उनमें संगीत है, सौन्दर्य है और मानवीय सहजता विद्यमान है जो बड़े ही परोक्ष ढ़ंग से श्रेष्ठ मूल्यों को संकेतित करती है। सूरदास के गीतों ने मुसलमान कवि रसखान को इतना प्रभावित किया कि वह श्री कृष्ण के भक्त बन गये और उन्होंने इनके सम्मान में उसने अनेक पदों की रचना की।

राष्ट्र को एक नया दृष्टिकोण देने में सूर–साहित्य का अप्रतीम योगदान है। उनके भक्ति–साहित्य ने समाज को प्रभावित करने वाले तात्कालिक कुठाराघातों से बचा कर जन–मानस को नया राष्ट्रीय चिन्तन प्रदान

किया, आज भी उनका साहित्य एक राष्ट्रीय धरोहर है।

संत सूरदास ने समाज जीवन में करुणामय प्रभु की पद–वन्दना इस प्रकार वर्णित की –

चरण कमल बन्दौ हरि राई।
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दरसाई।।
बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र धराई ।।

'सक्षम' संत सूरदास को राष्ट्रीय महापुरुष के रूप में मानता हैं। सक्षम संत सूरदास जयन्ती को अपने महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक मानता है और यह उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम की सभी इकाईयों द्वारा मनाया जाता है।

ऋषि अष्टावक्र

श्री. दयालसिंह पँवार

अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के रचयिता ''ऋषि अष्टावक्र'' का शरीर 8 जगह से टेढ़ा–मेढ़ा था। इनका नामकरण भी इसी आधार पर "अष्टावक्र'' पड़ा। ऐसा टेढ़ा–मेढ़ा शरीर प्राप्त करने के पश्चात् भी अपनी इच्छाशक्ति और प्रतिभा के बल पर वह विश्व प्रसिद्ध विद्वान बन गये। इनके पिता का नाम कहोड़ तथा माता का नाम सुजाता था।

शिशु की स्थिति देखने के बाद, कहोड़ की पत्नी सुजाता अत्यन्त दुःखी हुई तथा अपने शिशु को साथ लेकर अपने पिता महर्षि उद्दालक के आश्रम में रहने लगी। अष्टावक्र का पालन–पोषण वहीं होने लगा। उसी आश्रम में अपने नाना महर्षि उद्दालक के संरक्षण में अपने मामा श्वेतकेतु के साथ उसका विद्याध्ययन होने लगा। वे अत्यंत मेधावी तथा शारीरिक बाधा के बावजूद भी अपनी प्रखर प्रज्ञा तथा संकल्प–शक्ति के बल पर अल्पायु में ही शास्त्रों में निपुण हो गये किन्तु अब तक उन्हें अपने पिता के विषय में कुछ नहीं बताया गया था। वह अपने नाना को ही पिता समझते थे और दीक्षा–गुरु को पिता मानना शास्त्र–सम्मत व्यवहार ही है।

जब बालक अष्टावक्र को अपने पिता का वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए राजा जनक की सभा में जाकर वन्दी को पराजित करने की प्रतिज्ञा की। माता और गुरु के रोकने पर भी अष्टावक्र अपने निश्चय पर अडिग रहे। फिर अन्ततः गुरु तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने मामा श्वेतकेतु के साथ वह मिथिला की ओर चल पड़े।

जब उन्होंने विदेहराज जनक की सभा में प्रवेश किया तो पण्डित–मण्डली उनको देखकर ठहाका लगाकर हँस पड़ी। यह सुनकर अष्टावक्र ने भी जोर से ठहाका लगाया। राजा जनक ने पूछा,"यह सभा क्यों हँसी, यह तो मै समझ गया किन्तु आप क्यों हँसे, यह मै नहीं समझ पाया।" अष्टावक्र ने तुरन्त उत्तर दिया, "मै तो सोचता था कि आपकी सभा पंडितों की सभा है किन्तु अब मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह सभा तो चर्म विशेषज्ञों की सभा है क्योंकि यह सभा मेरे चमड़े से निर्मित शरीर पर हँस रही है"। यह सुनकर सारी सभा लज्जित तथा हतप्रभ हो गई। तब महाराजा जनक द्वारा आदरपूर्वक आगमन का प्रयोजन पूछे जाने पर अष्टावक्र ने वन्दी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। उनको बहुत समझाया गया किन्तु अष्टावक्र अपने निर्णय पर अटल रहे।

तब दोनों में घोर शास्त्रार्थ हुआ किन्तु अन्ततः वन्दी प्रश्न का उत्तर ना दे पाया और मौन हो गया। वन्दी ने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अष्टावक्र की जयजयकार होने लगी। शर्त के अनुसार वन्दी को जल–समाधी लेनी थी किन्तु उसने अष्टावक्र से उनके पिता सहित अन्य पण्डितों को जल–समाधी देने के लिए क्षमा–याचना की। ऐसा कहा जाता है कि वरुण लोक में किसी विशाल यज्ञ के लिए अधिक पण्डितों की आवश्यकता थी अतः सभी विद्वानों को वहीं भेजा गया था। वन्दी उनके पिता सहित सभी विद्वानों को वापस ले आए। कहोड़ सहित सभी विद्वानों ने बालक अष्टावक्र की भूरी–भूरी प्रशंसा की और उसका अभिनन्दन किया। बाद में ऋषि अष्टावक्र ने बन्दी को क्षमा कर उसका योग्य मार्गदर्शन किया।

महाराज जनक ने गुरु के रूप में अष्टावक्र का वरण किया। महाराज जनक और अष्टावक्र के मध्य जो गूढ़ दार्शनिक संवाद हुआ, वह संवाद "अष्टावक्र–गीता" नामक ग्रंथ में उपलब्ध है। कैसे एक दिव्यांग नवयुवक ने उस काल के एक धुरन्धर पण्डित को परास्त कर दिया यह आध्यात्मिक इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी ।

दृष्टिबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ (दृष्टि)

शिरीष दारव्हेकर,
अनुसंधान संयोजक, सक्षम
संपर्क 9890073287

हमारे हाथ का अंगूठा किसी भी चीज पर पकड़ रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। बिना अंगूठे के मनुष्य कमजोर हो जाता है, बची हुई चार उँगलियाँ उतनी मजबूती से कोई वस्तु पकड़ नहीं पाती। यदि हमारी पाँच उँगलियों की तुलना हम हमारे पाँच संवेदन अंगों से करें तो रूप (दृष्टि), रस (जीभ), गंध (नाक), श्रवण (कान) व स्पर्श (त्वचा) के क्रम में दृष्टि की तुलना अंगूठे से की जा सकती है। हमारे चारों और के परिसर को समझने के लिए हम सर्वाधिक अर्थात् 80 प्रतिशत उपयोग हमारी आँखों का करते हैं। इसीलिये जो दृष्टी से वंचित है उनके लिए जीवन कठिन हो जाता है।

भारत के 2.68 करोड़ दिव्यांगों में 50.32 लाख दृष्टिबाधित (2011 जनगणना) हैं। इसके अलावा कुछ दृष्टिबाधित बहुविकलांगता श्रेणी में भी होंगे। RPD Act 2016 के अनुसार

दृष्टिगत ह्रास्य–

(1) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,–
   - (अ) दृष्टि का पूर्णतया अभाव;
   - (ब) सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्ट संवेदनशील 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या
   - (स) 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(2) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्
   - (अ) बेहतर आँख में सुधारकारी लेंसों के साथ साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या
   - (ब) 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएँ।

दृष्टिबाधितों के सर्वांगीण विकास के कार्य को योजनाबध्द रूप से कार्यान्वित करने के लिए हम कार्य को निम्नानुसार विभाजित कर सकते हैं।

1.स्वास्थ्य, 2. शिक्षा, 3. स्वावलंबन, 4. सामाजिक विकास

1. स्वास्थ्य –

अंधेपन का कारण:

1. मोतियाबिंदु (62.6%)
2. रेफरेक्टिव एरर (19.7 %)
3. कॉर्नियल ब्लाइंडनेस (0.9%)
4. काँचबिंदु (ग्लूकोमा) (5.8%)
5. पोस्टीरियर सिग्मेंट डिसऑर्डर (4.7%)
6. अन्य (6.3%)

इस्टिमेट नेशनल प्रिव्लेन्स ऑफ़ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस लो विज़न (रेटीनाइटिस ऑफ़ प्रीमैच्योरिटी आर ओ पी, कंजेनिटल कैटरेक्ट, कंजेनिटल ग्लूकोमा, ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स) शीघ्र पहचान एवं उपचार के कारण कई

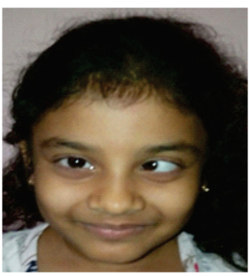

आँखों का तिरछापन

स्क्विंट शल्यक्रिया के बाद

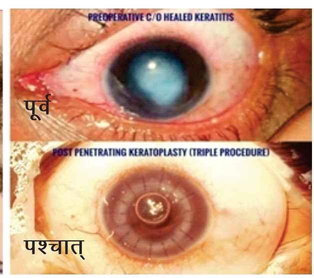

कॉर्निया प्रत्यारोपण

समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अंधत्व से बचा सकते हैं। उदा. अपरिपक्व स्थिति में (प्रीमैच्योर) जन्म लेने वाले बच्चों का आर. ओ.पी. (रेटिनोपैथी ऑफ़ प्रीमैच्योरिटी) की दृष्टि से परीक्षण व उपचार, बालक–बालिकाओं के नेत्र जाँच शिविर, 18 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं की आँखों का तिरछापन का उपचार, कॉर्निया अंधत्व से ग्रसितों के लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जा सकता है।

2. शिक्षा –

सामान्यतः ब्रेल का उपयोग अभ्यासक्रम की दृष्टि से माध्यमिक स्तर तक किया जाता है। माध्यमिक स्तर के बाद अभ्यासक्रम का विस्तार होता है अतः ब्रेल के पर्याय के रुप में अन्य फॉर्मेट, जैसे रिफ्रेशेबल ब्रेल, ई–टेक्स्ट या ई–पब, ऑडियो या ऑनलाईन बुक्स लाईब्रेरी इत्यादि अधिक उपयोगी है। आज कल कई दृष्टिबाधित कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर जवास सॉफ्टवेयर के माध्यम से किताबें पढ़ रहे हैं।

दृष्टिबाधित किताब पढ़ने के लिए कम्प्यूटर तथा मोबाईल में कुछ ऐप्स (उदा. कीबो, इत्यादि) के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स के लिए कोई भी डेझी प्लेयर्स, डिजिटल प्लेयर या मोबाईल एक अच्छा साधन है। इस विषय में सक्षम द्वारा दस वर्ष पूर्व एक अबरार ABRR (ऑडियो बुक्स रीडर एण्ड रेकॉर्डर) नामक उपकरण निर्मित किया था।

हमारे देश में दृष्टिबाधितों के लिए स्पेशल स्कूल्स (अंध विद्यालय) हैं परंतु यदि समावेशित स्कूलों की रचना को व्यापक रुप से अपनाया जाए जहाँ सामान्य स्कूल में स्पेशल टीचर नियुक्त किये गए हों तो दृष्टिबाधित बच्चों का व्यक्तिमत्व विकास अच्छी तरह होगा। अल्पदृष्टिग्रस्तों को जाँच कराकर अल्पदृष्टि उपकरण उपलब्ध कराने से वे सामान्य किताबों के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की परीक्षा देने के लिए लेखनिक (राइटर या स्क्राईब)का सहयोग लेते हैं। विद्या अर्जन केवल चार दीवारों में व पुस्तकों के माध्यम से हि प्राप्त नही होती। इस संदर्भ में नागपुर, नासिक, बेंगलुरु के सक्षम कार्यकर्ताओं द्वारा 'अनुभव यात्रा' उपक्रम के माध्यम से अब तक दृष्टिबाधितों के लिये जंगल, हिमालय, समुद्र, संग्रहालय, विदर्भ के ऐतिहासिक दुर्गदर्शन जैसी यात्राएँ आयोजित कर उन्हे ज्ञानसमृद्ध किया है।

3. स्वावलम्बन :

1. मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन–

भलेहि दृष्टिबाधित हो परंतु व्यक्ति संचार करने में जितना आत्मनिर्भर हो उसमें आत्मविश्वास अपनेआप निर्माण हो जाता है। उन्हे मोबिलिटी का प्रशिक्षण दे कर बिना किसी की सहायता की प्रतीक्षा किये व्हाईट केन छड़ी के साथ मुक्त संचार करने हेतु सक्षम बनाया जाए। दृष्टिबाधित युवा, महिलाओं को घरगृहस्थी, रसोई व गृहिणी के आवश्यक कार्य करने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन कर सामान्य महिला की तरह आत्मनिर्भर किया जा सकता है।

2. रोजगार –

सरकारी नौकरी में उपलब्ध आरक्षण कोटा अत्यंत सीमित होता है । ऐसे में एक ही उपाय है कि निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में रोजगार के अवसर खोजे जाएँ। वस्तुतः निजी क्षेत्र में कई प्रकार की नौकरियाँ उपलब्ध हैं जो दिव्यांगों को दी जा सकती हैं। बैंगलुरु की सुप्रसिद्ध संस्था एनेबल इंडिया के अनुसार 20 सेक्टर्स में दृष्टिबाधितों के लिये 183 प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं।

3. स्वयं रोजगार–

पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण केनिंग, चॉक व मोमबत्ती बनाना, हथकरघा पर काम करना इत्यादि के साथ आधुनिक युग में कई प्रकार की तकनीकी कौशल उपलब्ध हैं जैसे कम्प्युटर प्रशिक्षण, पैकेजिंग, लेथ वर्क, अन्य प्रकार के जॉब वर्क, सॉफ्टस्किल्स, मसाज और एक्यूप्रेशर इत्यादि। फैन्सी मोमबत्ती निर्माण में महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) के भावेश भाटिया लगन और सफलता की एक मिसाल है। हैदराबाद के श्रीकांत बोल्ला भी दृष्टिबाधित उद्योजक हैं।

4. सामाजिक विकास –

दृष्टिबाधितों के लिये मैदानी खेल में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। आवाज करने वाली गेंद से बड़ी अच्छी तरीके से इस खेल का आनंद उठाते हैं।

क्रिकेट

शतरंज

दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप भी होता है जिसका वर्तमान चैम्पियन भारत है। इन्डोर गेम्स के नाम पर शतरंज दृष्टिबाधितों में लोकप्रिय है। कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ऑडियो गेम्स उनके लिए उपलब्ध हैं। इनडोर बोर्ड गेम्स जैसे साँप सीढ़ी, लुडो, व्यापार इत्यादि खेल दृष्टिबाधितों को उपलब्ध हो इसके लिए सक्षम का अनुसंधान विभाग प्रयास कर रहा है।

संगीत तो दृष्टिबाधितों के लिए सब से पसंदीदा विषय है। संगीत प्रशिक्षण दिल्ली में स्वरांजलि नाम से, केरल में संत सूरदास भजन मंडली नाम से चल रहा है। साहित्य के विषय में नांदेड, काशी, इन्दोर इ. में दृष्टिबाधित कवियों के माध्यम से संगोष्ठी आयोजित की गई।

दृष्टिबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ द्वारा जिला स्तर पर करणीय कार्य:

1. संत सूरदास जयन्ती (20 अप्रैल), लुई ब्रेल जयन्ती (4 जनवरी), हेलेन केलर जयन्ती (27 जून), नेत्रदान पखवाड़ा (25 अगस्त से 8 सितंबर), जागतिक दृष्टि दिवस (अक्तूबर का दूसरा बुधवार), पूजनीय गुरुजी जयन्ती, संत गुलाबराव महाराज जयन्ती (विदर्भ), पुट्टराज गवई जयन्ती (कर्नाटक), भिमाभाई जयन्ती (ओडिशा) जैसे कार्यक्रम हर ईकाई स्तर पर आयोजित कर उसमें दृष्टिबाधितों के साथ–साथ सामान्य नागरिक जन को आमंत्रित कर दृष्टिबाधितों की आवश्यकताएँ, समस्याएँ, उनके टैलेन्ट, इत्यादि से

अवगत कराया जा सकता है।

2. प्रत्येक जिला स्तर पर सक्षम कार्यालय में स्थानीय नेत्र विशेषज्ञों की सूची, विशेष शिक्षकों की सूची, जिला अंधत्व निवारण समिति का संपर्क, स्थानीय नेत्र बैंको की सूची, दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के संपर्क क्रमांक, शासकीय व गैरशासकीय संस्थाओं के संपर्क क्रमांक रखे जाएँ व वर्ष में कभी न कभी उन्हे आमंत्रित किया जाए ।

3. वर्ष में कम से कम दो नेत्र जाँच शिविर की योजना करके योग्य नेत्रालय में शस्त्रचिकित्सा करवा सकते है।

4. जहाँ नेत्रबैंक उपलब्ध है वहाँ वर्षभर में कम से कम दस नेत्रदान करवाने का प्रयास करना चाहिए।

5. दृष्टिबाधितों के विवाह के विषय में इच्छुक लोगों की जानकारी रख सुयोग्य जोड़ियाँ बनाने का कार्य किया जा सकता है। साथहि सभी प्रकार का समुपदेशन (काउंसेलिंग) सेवा भी दे सकते है।

6. ब्रेल व ई–टेक्स्ट / ई–पब फॉर्म में बड़ी मात्रा में ग्रंथ निर्मिति में सक्षम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

7. विविध फॉर्मेट्स में पुस्तकें निर्माण कर जरुरतमंद दृष्टिबाधितों तक पहुँचाने के लिए लाईब्रेरी चलायी जा सकती है। नागपुर के स्टडी सेंटर में एक छत के नीचे ब्रेल (कागज पर ब्रेल एम्बॉस्ड साहित्य), रिफ्रेशेबल ब्रेल (ब्रेल–मी मशीन द्वारा), ई–टेक्स्ट / ई–पब, ऑनलाईन लाइब्रेरी (कम्प्यूटर के माध्यम से), ऑडियो बुक्स (अबरार उपकरण द्वारा) तथा अल्पदृष्टिग्रस्तों के लिये प्रिंटेड साहित्य (अल्पदृष्टि उपकरणों के माध्यम से) पढ़ी या सुनी जा सकती हैं।

8. राईटर्स का बैंक बनाकर जरुरतमंद दृष्टिबाधितों को राईटर्स उपलब्ध कराने की सेवा कर सकते हैं।

9. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों शिक्षकों को आधुनिक तकनीकि प्रशिक्षण दे सकते हैं। (मदुरै, कोयम्बटूर)

10. दृष्टिबाधितों को योग का प्रशिक्षण दे सकते हैं।

11. क्रिकेट, शतरंज इ. प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती हैं।

सक्षम के सेवाभावी कार्यकर्ताओं द्वारा दृष्टिबाधितों को आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता से भर देना है। जिससे हर दृष्टिबाधित कहे –

"क्या हुआ गर आँख न हुई, चार संवेदी अंग तो हैं।
ले लूँ जीवन का आनंद मैं भी, सक्षम मेरे साथ तो है।"

श्रवणबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ (प्रणव)

डॉ अविनाश वाचासुंदर
श्री कमलाकांत पाण्डेय

भारत की जनसंख्या में 2011 जनगणना के आधार पर 2.68 करोड़ दिव्यांग बन्धु हैं। इनमें से 18.9% श्रवण बाधित दिव्यांगता से ग्रसित हैं। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 (RPD Act) के अनुसार

(क) "श्रवण शक्ति का ह्रास":

(प) "बधिर" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(पप) "ऊँचा सुननेवाला व्यक्ति" से दोनों कान से 60–70 डेसिबल श्रव्य ह्रास्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ख) "अभिवाक और भाषा निशक्तता" से लेरैन्जेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक और भाषा एक या अधिक संकटों को प्रभावित करती है।

अ) चिकित्सीय पहलू:

श्रवणबाधित दिव्यांगता को 3 प्रकार में वर्गीकरण कर सकते हैं–

1. श्रवण क्षमता के आधार परः (Decibles): सामान्य (25 dB), मृदुल (26–40 dB), मध्यम (41–55 dB), मध्यम गहन (56–70 dB), गहन (71–90dB), कठोर (90+ dB)
2. जन्म के आधार परः जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद।
3. कान के स्थिति के अनुसारः
   (A) Conductive Deafness: कान के परदे या कान की हड्डियों में समस्या के कारण (अस्थायी)
   (B) Sensory Neural Deafness: श्रवण संबंधित नस में समस्या के कारण (स्थायी)

श्रवण बाधिता के विभिन्न प्रकारों एवं उसकी गहनता के आधार पर बालक के भाषा विकास एवं सम्प्रेषण पर प्रभाव पड़ता है–

चिकित्सीय प्रबंधनः जन्म के पूर्व माता पिता के जैविकी एवं आनुवंशिकी जाँच, माता का टीकाकरण एवं उचित पोषण के द्वारा श्रवण बाधिता को रोका जा सकता है।

जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य एवं जोईंडिस, अपरिपक्व जन्म,

जन्मरुदन इ. विषयपर उचित एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा प्रदान करके श्रवण विकलांगता को रोका जा सकता है।

जन्म के बादः चार सप्ताह से तीन साल तक शीघ्र पहचान एवं उपचार (Early Detection & Early Intervention) ऑडियोलॉजिस्ट, ENT विशेषज्ञ द्वारा जाँच कराकर उपयुक्त श्रवणयंत्र प्रदान करके वाणी – भाषा थेरपी (Audio Verbal Therapy) प्रारम्भ की जाए। जिन बच्चों को श्रवण यंत्र से लाभ नहीं होता हैं, जिनको श्रवण संबंधित नस है तो, उनको कॉकलिया इमप्लांट शस्त्रचिकित्सा कर सकते है। कॉकलिया इमप्लांट के पश्चात स्पीच थेरपी एवं उपयुक्त अनुवर्ती कार्यक्रम के द्वारा श्रवण बाधित को मुख्य धारा में ला सकते है।

वर्तमान समय मे पुणे में सक्षम से सम्बद्ध **'स्वरनाद'** प्रकल्प में उपयुक्त एवं अनुकरणीय कार्य हो रहा हैं, बच्चों को शीघ्र पहचान करके उनका कॉकलिया इमप्लान्ट कराके, अभिभावक प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्यधारा में लाने का एक मॉडल विकसित कर दिया है।

हैदराबाद के नीलोफर चिकित्सालय में सक्षम का 'प्रणव' प्रकल्प में प्रत्येक जन्म लेने वाले बालक का O-A-E जाँच कर रहा है। इसमें श्रवण बाधित बालकों का श्रवणयंत्र, कॉकलिया इम्लान्ट एवं शिक्षा प्रदान करके मुख्यधारा में शामिल कर रहा है।

विजयनगरम् (आन्ध्र) में सक्षम का प्रणव प्रकल्प में एक अनोखा कॉकलिया इमप्लेंटी अभिभावक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है।

आ) शैक्षणिक पहलू :

1. ऑडियो वर्बल विधि :

इस पद्धति के द्वारा बालक को शीघ्र पहचान करके कॉकलिया इमप्लान्ट करके या उपयुक्त श्रवण यंत्र देकर सुनना, बोलना, सुन कर बोलने और पढ़ने पर जोर दिया जाता है। सम्प्रेषण भाषा विकास करते हुए सामान्य शिक्षा की ओर ले जाते है। वाणी एवं भाषा थेरेपि करके सामान्य बालक की तरह विकसित किया जाता है।

2. सांकेतिक भाषाः

अधिकांश श्रवण बाधित व्यक्ति बड़े होने पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं यह अन्य भाषाओं की तरह ही है, इसके द्वारा सम्प्रेषण एवं शिक्षा प्रभावी ढंग से होती है।

3. वाणीवाचनः

होठों की गति, हावभाव एवं बनावट को देखकर सांकेतिक भाषा को समझने को वाणी वाचन कहते हैं इसके द्वारा श्रवण बाधितों को एक दूसरे की भाषा को समझने में सुविधा होती है।

4. कला, कम्प्युटर आदि की शिक्षाः

श्रवण बाधित बालकों के लिए कला, चित्रलेखन, कम्प्युटर, एनिमेशन जैसे आधुनिक विषयों में अध्ययन कराके आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

5. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षाः

श्रवण बाधितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान समय में उपलब्ध संस्थाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

इ) श्रवणबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ द्वारा जिला स्तर पर करणीय कार्यः

1. जागरूकता कार्यक्रमः विश्व श्रवण दिवस (3मार्च), हेलन केलर जयन्ती (27जून), विश्व बधिरता दिवस (सितम्बर माह के अन्तिम रविवार)। इसके द्वारा श्रवण बाधित उनके अभिभावक ,चिकित्सक, विशेषज्ञ एवं विभिन्न संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके उनके सहयोग के साथ विभिन्न प्रकार के

पुणे में श्रवणबाधित **प्रणव** नाम से राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

पुनर्वसन कार्यक्रम किये जा सकते हैं।

2. श्रवण दिव्यांगता से जुड़े E-N-T डॉक्टर या थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक, इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन से संपर्क करके दिव्यांगों एवं उनके अभिभावकों को परामर्श उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। श्रवण क्षमता की जाँच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा सकता है।
3. श्रवण बाधित व्यक्तियों को श्रवण यंत्र या उनके सुधार यानि तार एवं बैटरी उपलब्ध कराई जा सकती है। कॉकलिया इमप्लांट के लिए बच्चों के चयन, उनके ऑनलाइन फार्म भराने एवं अन्य सहायक सेवा उपलब्ध करवायी जा सकती है।
4. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध उपकरण, सहायता कार्यक्रमों का आयोजन या सहयोग किया जा सकता है।
5. अभिभावकों का इनसे जुड़ी चुनौतियों एवं सुविधाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा सकता है। श्रवण बाधितों के परिवार के लिए कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम किया जा सकता हैं।
6. सक्षम के कार्यकर्ताओं को श्रवण यंत्र, कॉकलिया इमप्लांट एवं सांकेतिक भाषा जैसे तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा सकते है।
7. श्रवण दिव्यांगों के लिए सरकारी रोजगार, निजी रोजगार, स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम किये जा सकते हैं।
8. श्रवणबाधितों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है।
9. ऐसे लोगों के लिए विवाह एक कठिन चुनौती होती है, इसके लिए वर –वधू परिचय एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं।
10. एक सफल प्रयोगः सक्षम द्वारा संचालित कॉकलिया पुणे के लिए निधि संकलन करने हेतु सेवा UK के सहयोग से 90 विदेशी भारतीयों द्वारा ऑटो रिक्शा रन आयोजित किया गया, कुल 11 दिन में कन्याकुमारी से कर्णावती तक 2700 किमी का यात्रा हुई।

बुद्धिबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ (धीमहि)

श्री सुरेश पाटिल, लातूर
डॉ. प्रदीप दुबे

घर में नया शिशु अपने साथ आनंद लेकर आता है। पूरे परिवार का वो नवजात बालक आकर्षण का केन्द्र बनता है। बालक के रुप में अपने सपने लेकर माँ–बाप संसार का मार्ग क्रमण करते हैं। इस प्रवास में यह बालक दिव्यांग है तो उस दिव्यांग बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक इस भवितव्य के बारे में अनेक प्रश्न अभिभावकों के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे बुद्धिबाधित दिव्यांग बालक मुख्य प्रवाह से कब दूर चला गया ये भी पता नहीं चलता। इसमें से बचपन खो जाता है। अकेलापन का एहसास बढ़ जाता है।

RPD Act 2016 के अनुसारः

बौद्धिक निशक्तता एवं विकासात्मक विकार (Intellectual and Developmental Disorders) के अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मानसिक मंदता, ऑटिज्म, बहुनिशक्तता एवं विनिर्दिष्ट विद्या निशक्तता है।

1. **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy)ः** से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है।

   चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार चार भागों में बाँटा जाता है। स्पॉसटीसिटी, एथेटोसिस, एटेक्सिया, मिक्स्ड; प्रभावित अंगों के आधार पर पांच भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया।

   शीघ्र पहचान और उपचार (फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनलथेरेपी एवं स्पीचथेरेपी) के कारण बच्चों के जीवन में काफी सुधार होता है। कुछ बच्चों में शस्त्रचिकित्सा करनी पड़ती है। कई बच्चों में मिर्गी के लिए इलाज करना आवश्यक है।

2. **बौद्धिक निशक्तताः** से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषतः दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक,शिक्षण,समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है (डाउन्स सिंड्रोम इ.)। जिसकी बुद्धिलब्धि (I.Q.) 70 से कम होती है उसे बौद्धिक निशक्तता माना जाता है। बुद्धिलब्धि के अनुसार इसको सौम्य (I.Q. 50–70), सामान्य (35–49), गंभीर (20–34),

अतिगंभीर (20 से कम) बौद्धिक निशक्तता इ. चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

3. **ऑटिज्म यानि स्वलीनता (Autism Spectrum Disorder)**: से एक ऐसी तांत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधो को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सम्बंध होता है। शीघ्र पहचान और उपचार (व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक चिकित्सा एवं कुछ दवाइयाँ) के कारण काफी सुधार होता है।

4. **बहुनिशक्तता (ऊपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निशक्तता)**: जिसके अंतर्गत बधिरता,अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर सम्प्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत है।

5. **विनिर्दिष्ट विद्या निशक्तता (Specific Learning Disabilities)**: से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है। इसके अंतर्गत डिस्लेक्सिया (पठन की कमी), डिसग्राफिया (लेखन में कमी), डिस्कल्कुलिया (गणित संबंधी कमियां), डिस्प्रैक्सिया (सूक्ष्म गामक कार्य के नियोजन में कमी) और विकासात्मक अफेसिया है। इसको उचित पहचान तथा विशेष विधियों से प्रभावशाली शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है।

(आ) **विशेष शिक्षा एवं थेरेपी**: दिव्यांग बालकों के लिए अच्छी विशेष शिक्षा प्राप्त होने की आवश्यकता है। विशेष स्कुल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेष शिक्षकों का अध्यापन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनलथेरेपी, स्पीचथेरेपी एवं अभिभावक की भागीदारीता महत्त्वपूर्ण है।

दिव्यांग व्यक्ति–उनका परिवार; दिव्यांग व्यक्ति–विशेष शिक्षक; दिव्यांग व्यक्ति– थेरेपिस्ट; दिव्यांग व्यक्तिः समाज; इसमें सकारात्मक सम्प्रेषण की आवश्यकता है। इसके लिए अभिभावक, शिक्षक, थेरपिस्ट, चिकीत्सक के बीच मे ठीक संवाद आवश्यक है। प्रत्येक दिव्यांग की आवश्यकताएँ अलग है, हर एक दिव्यांग की सोच अलग है, यह ध्यान में रखकर शिक्षक एवं थेरेपिस्ट कर्तव्य और अपनत्व भाव से बुद्धिबाधित दिव्यांगों को पर्याप्त समय देना चाहिए ।

कई प्रमस्तिष्क पक्षाघात दिव्यांग बालक जिनका बुद्धि लब्धि 80 से अधिक है, मुख्य शैक्षिक प्रवाह में जा सकते हैं। ऐसे दिव्यांग बालकों के लिए 10 वीं, 12 वीं, आई टी आई, स्नातक ऐसी शिक्षा का ठीक व्यवस्था होनी चाहिए।

आधुनिक संसाधनों का उपयोग–जिला, तहसील स्तर पर बुद्धिबाधित बच्चों के लिए कम्प्युटर्स, स्मार्ट फोन, टॅब, डिजीटल बोर्ड, इंटरनेट आदी की अच्छी प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए।

कला व क्रीड़ा से दिव्यांगों का जीवन आनंददायी होने के लिए बचपन से ही कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, स्वीमिंग, खेलकूद, चित्रकला इत्यादि अच्छा प्रभावी माध्यम है। विविध त्यौहार उदा. गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, संक्रांति, दीपावली इ. समय में लगने वाली वस्तुएँ मुख्यतः मिट्टी की कलात्मक वस्तु निर्माण कर सकते है। विविध सामाजिक संस्थाओं से समाज में इनका प्रदर्शन कर सकते हैं।

वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम–बुद्धीबाधित दिव्यांगों के लिए प्रि–वोकेशनल (14 से 16 साल और 16 से 18 तक), वोकेशनल ट्रेनिंग (18 से 20 और 20 से 22) का विचार करना है। छोटे और कम कौशल वाला उपक्रम, कृषि आधारित विषय उदा. पशुपालन, गो–संवर्धन, नर्सरी, गार्डन, फल–फूलों की खेती,स्वच्छता के लिए साधन सामग्री तैयार करना ऐसे विषयों पर लक्ष्य केन्द्रित कर सकते हैं।

(इ) रोजगार और स्वयं रोजगारः बुद्धिबाधित व्यक्तियों की शारिरीक, मानसिक मर्यादा ध्यान में रखकर उन्हे रोजगार की व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए। इनके कार्य मे प्रामाणिकता रहती है और महत्वपूर्ण विषय है, दिव्यांग व्यक्तियों के अभिभावक या उसके परिवार का सम्पूर्ण पुनर्वास के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बारे में सोचते–सोचते माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है।

(ई) अभिभावक की भूमिका एवं अभिभावक संघ— बुद्धिबाधित दिव्यांग व्यक्ति अपने दिल की बात, रुचि ठीक तरह से प्रकट नहीं कर सकते हैं। अभिभावकों ने उसकी रुचि जानकर, घर में, निजी व्यवसाय में, विविध उपक्रम की योजना बनाई तो वो आनंददायक रहेगा और अभिभावकों को भी आनंद मिलेगा। विशेष शिक्षक और थेरेपिस्ट भी अभिभावक को यह मार्गदर्शन कर सकते हैं।

अभिभावकों के लिए परिवार नाम से एक नेशनल कॉनफेडरेशन ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन है। पूरे देश में इनका कार्य अच्छा चलता है। लेकिन इसमें सभी सदस्य अभिभावक ही हैं, परंतु संगठन में सकलांग और विकलांग मिलके कार्य करना आवश्यक है।

दिव्यांग व्यक्तियों का सामूहिक/गटशः आवास व्यवस्था (Group Home)—18 साल के ऊपर जो दिव्यांग व्यक्ति है, उनकी सामूहिक निवास व्यवस्था होनी चाहिए। बहनों और भाइयों की स्वतंत्र निवास व्यवस्था होनी चाहिए। प्रि—वोकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि विषय पर ध्यान देना चाहिए। सेल्फ एडवोकेसी के बारे में प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है।

(उ) बुद्धिबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ द्वारा जिला स्तर पर करणीय कार्य।

1. **अष्टावक्र जयन्तीः** 23 सितम्बर, विश्व डाऊन सिंड्रोम दिवस : 21 मार्च, विश्व ऑटिज्म दिवसः 2 अप्रैल, राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवसः 3 अक्टूबर इ. कार्यक्रम हर जिला इकाई आयोजित करें। उसमें बुद्धिबाधित दिव्यांग, उनके परिवार के साथ सामान्य नागरिक और प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित कर बुद्धिबधितों की समस्यायें, आवश्यकतायें, प्रतिभा इ.से अवगत कराया जा सकता है।

2. **विशेष शिक्षक थेरपिस्ट** (PT, OT, ST & Psychologist), न्यूरो फिजीशियन, बालरोग चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक सर्जन इनके साथ संपर्क कर सूची बनाकर विविध कार्यक्रमों में आमंत्रित करना।

3. **जिला अर्लि इंटरवेंशन सेंटर** (DEIC), DDRC, CRC के साथ सजीव संपर्क रखें। इसके आधार पर सक्षम दिव्यांग सेवा केन्द्र में सहायता करना।

4. इस क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का एकत्रीकरण, संगोष्ठी कर सकते हैं।

जबलपुर, सिकंदराबाद और लातूर में सक्षम बुद्धिबाधित प्रकोष्ठ 'धीमहि' के नाम से राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

5. वैद्यकीय जाँच शिविर, खेलकूद, चित्रकला, नाटक, संगीत इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं।
6. अभिभावकों से संपर्क कर मासिक मिलन की योजना करते हुए, सक्षम अभिभावक संघ बना सकते हैं। उनकी समस्या समझें और हल करने का प्रयास करें। अभिभावक संघ के माध्यम से, 18 साल के ऊपर व्यक्तिओं के लिए आवासीय प्रकल्प की योजना कर सकते हैं।
7. जिला कार्यकारिणी में अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास किया तो इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके सक्षम का काम खड़ा कर सकते हैं।
8. 'राष्ट्रीय न्यास' की परियोजनाएँ उदा. निरामय बीमा योजना, लीगल गार्डियन सर्टिफिकेट, घरौंदा,समर्थ इ. विषय अध्ययन करके दिव्यांग बंधू तक पहुँचाने का प्रयास करें।

ज्येष्ठ कवि कुसुमाग्रज जी ने कहा है कि,

सभी कलियों को हक है, जन्म से ही खिलने का।
जन्मस्थान हो बंजर धरती, या हो कोई सुंदर उपवन,
प्रत्येक कली को हक है, फूल बनकर जीने का।

कोई भी दिव्यांग हो, कैसा भी दिव्यांग हो उसका अधिकार है फूल बनकर जीने का।

रक्तबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ (प्राणदा)

श्री. काशीनाथ लक्काराजू
उपाध्यक्ष, सक्षम

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में RPD Act के अंतर्गत 3 प्रकार के रक्तबाधित पीड़ितों को विकलांगता में शामिल किया था। भारत वर्ष में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग रक्त बाधित दिव्यांग हैं।

(1) थेलेसीमिया
(2) हिमोफिलिया
(3) सिकल सेल एनीमिया

(1) थेलेसीमियाः– से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।

माता एवं पिता से थेलेसीमिया विकृत गुणसूत्र एक साथ मिलने पर थेलेसीमिया मेजर बीमारी प्रकट होती है। केवल एक विकृत गुणसूत्र होने पर थेलेसीमिया माईनर या केरियर (वाहक) बनते हैं।

इस बीमारी से ग्रसित बच्चे में रक्त नहीं बनता अतः तीन माह की आयु से जीवन पर्यन्त हर सप्ताह नियमित रक्त चढ़वाना पड़ता है। इस कारण बच्चे कमजोर, विभिन्न प्रकार की रक्तजनित बीमारियों (HIV, Hep. B, Hep. C Etc-) से ग्रसित होते रहते हैं। बार बार रक्त लेने के कारण शरीर में आयरन निक्षिप्त होता है इसलिए Iron Chelating दवाइयाँ लेनी पड़ती है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बोन मेरो प्रत्यारोपण किया जाए तो जीवनभर रक्त लेने की जरुरत नहीं होती है। विवाह तथा गर्भधारण के पहले रक्त परीक्षा, गर्भ के समय गर्भस्थ भ्रूण/शिशु का परीक्षण किया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है।

(2) हिमोफिलियाः– एक अनुवांशिकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होता है जिसे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है। शरीर के अंदरूनी अंगों में भी रक्तस्राव होने के कारण विकलांग बनते है। ऐसे मरीजों को रक्त का अंग Anti Haemophilic Factors VIII & IX (AHF) जीवनभर देना पड़ता है।

(3) सिकलसेल एनीमियाः– से हेमोलेटीक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को

नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। हेमोलेटीक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका जिल्ली को नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

रक्तबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ (प्राणदा) द्वारा जिला स्तर पर करणीय कार्य :

1. समाज में जागरूकता लाने के लिए और संबंधित व्यक्तिओं, संस्थाओं को जोड़ने के लिए– विश्व हिमोफिलिया दिवस (17 अप्रैल), विश्व थेलेसीमिया दिवस (8 मई), विश्व सिकलसेल दिवस (19 जून), विश्व रक्तदाता दिवस (14 जून) इ. कार्यक्रम मनाने चाहिए।
2. ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति हेतु नियमित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना। इसके लिए नियमित रक्तदान शिविर, रक्तदाता डायरेक्टरी की व्यवस्था कर सकते हैं।

3. Iron Chelating दवाइयाँ, Anti Haemophilic Factors (AHF) उपलब्ध करवाना।
4. बोन मेरो प्रत्यारोपण के लिए दानदाता या सरकार के माध्यम से सहायता कर सकते हैं।
5. अभिभावक समूह को उद्बोधन, नियमित समुपदेशन (Counselling) एवं बच्चों की सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित करवाना। इनके स्वावलंबन के बारे में प्रयास करना।

कुष्ठबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ (सविता)

आर. शिवा रामकृष्ण
कुष्ठ बाधित प्रकोष्ठ प्रमुख

कुष्ठरोग के लिए शत प्रतिशत इलाज है। ठीक समय पर इलाज नहीं किया जाए तो कुष्ठबाधित विकलांग हो जाते हैं। कुष्ठरोग नस को प्रभावित करता है, जिसके कारण हाथ पैर पर घाव और चेहरा विकृत होता है। कुष्ठबाधित कुष्ठरोगी नहीं है, संक्रमित भी नहीं है, अन्य प्रकार के विकलांग जैसा ही है।

सक्षम से सम्बद्ध छत्तीसगढ़ चाम्पा स्थित "भारतीय कुष्ठ निवारण संघ", आंध्रप्रदेश राजमण्डरी स्थित "विवेकानन्द महारोगी केन्द्र" में कुष्ठबाधितों का पुनर्वसन, स्वावलंबन इ. उपक्रम चलाये जाते हैं।

RPD Act 2016 के अनुसारः "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है।

हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण (Sensation) का ह्रास के साथ–साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात (Paresis) किंतु व्यक्त विरुपता नहीं है।

व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है।

अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ–साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

कुष्ठबाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ द्वारा जिला स्तर पर करणीय कार्यः

1. कात्रेजी जयन्ती (23 नवम्बर), कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा (30 जनवरी से 13 फरवरी तक) कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करना है। कुष्ठबाधित व्यक्ति कुष्ठरोगी नहीं है और कुष्ठरोग भी शत प्रतिशत ठीक होता है। इलाज के बाद संक्रमित भी नहीं होता इस विषय को लेकर समाज में पैदा हुए भ्रम को दूर करना पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है।

2. रथसप्तमी, रक्षाबंधन इ. त्यौहार के अवसर पर सक्षम के कार्यकर्ताओं को परिवार सहित कुष्ठबाधित व्यक्तिओं के साथ उत्सव मनाना चाहिए।

3. कुष्ठबाधितों को MCR चप्पल और जख्मों की ड्रेसिंग व्यवस्था करना।

चेन्नई में कुष्ठबाधित प्रकोष्ठ की एक कार्यशाला आयोजित की गई।

4. स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, बचत गट इ. संचालन करना।

5. कुष्ठरोगियों का शीघ्र पहचान और उपचार करने में सरकारी व्यवस्था को सहयोग कर सकते है।

6. कुष्ठबाधित कॉलोनी या सेवाबस्ती में समय समय पर जाना, वहां चिकित्सा शिविर लगाना और कार्यक्रम करना।

शारीरिक निशक्तता प्रकोष्ठ (चरैवेति)

डॉ. वेद प्रकाश
अस्थिबाधित प्रकोष्ठ प्रमुख, सक्षम

RPD Act 2016 के अनुसार शारीरिक निशक्तता (Physical Disability):

(अ) गति विषयक निशक्तता (Locomotor Disability): व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तांत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है, जिसके अंतर्गत –

1. **हाथ पैर में समस्या के कारण:** जन्म से (Congenital), आघात के कारण (Trauma), संक्रमण के कारण (Infections) इत्यादी

2. **"बहुदुष्पोषण" (Mascular Dystrophy)** से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह, अभिप्रेत है जो मानव शरीर को सचल करनेवाली पेशियों को कमजोर कर देता हैं "बहुदुष्पोषण" के व्यक्तिओं के जीन (Genes) में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक (Progressive) अस्थिपंजर एवं पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटी और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है।

3. **"आम्ल आक्रमण पीड़ित" (Acid Attack Victims)** से आम्ल या समान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

4. **बौनापन" (Dwarfism)** से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरुप किसी वयस्क व्यक्ति की लम्बाई 4 फिट 10 इंच (147 सेमी) या उससे न्यून रह जाती है।

5. **चिरकारी तांत्रिक दशाएं (Chronic Neurological Conditions) जैसे :**

(क) "बहु–स्क्लेरोसिस" (Multiple Sclerosis) से प्रवाहक (Inflammatory), तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीड की हड्डी की मायलिन सीथ (Myelin Sheath) क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन (Demyelination) होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीड की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दुसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है।

(ख) "पार्किन्सन रोग" (Parkinson's Disease) से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है जिसके द्वारा कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतयः मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तिओं से संबंध मस्तिष्कीय आधारीय गंडिका (Basal Ganglia) के अद्यपतन (Degeneration) तथा तंत्रिका संचलन डोपामायीन (dopamine) के ह्रास से सम्बद्ध हो।

सक्षम शारीरिक निशक्तता प्रकोष्ठ द्वारा जिला स्तर पर करणीय कार्यः

1. समाज जागृति के लिए विश्व विकलांग दिवस (3 दिसंबर), राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस (जनवरी पहला सप्ताह), विश्व स्पाइनल कॉड इंजुरी दिवस (5 सितंबर), विश्व मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस (7 सितंबर), विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस दिवस (30 मई), विश्व पार्किन्सन दिवस (11 अप्रैल) इ. मनाईये।
2. सरकार के माध्यम से चलनेवाले पल्स पोलिओ अभियान को आपके मोहल्ले में सहायता करें।
3. जिला केन्द्र में रहनेवाले पुनर्वसन केन्द्र, अस्थिरोग चिकित्सक, न्यूरोसर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इ. सूचि बनाकर संपर्क करें, सक्षम कार्यक्रम का निमंत्रण दें
4. इस विषय में काम करनेवाली सेवाभावी संस्थाओं से संपर्क करें, सम्मान करें।
5. व्यावसायिक शिक्षण, स्वरोजगार, रोजगार संबंधित विषय पर काम करें।
6. दिव्यांग बंन्धुओं का खेलकूद प्रशिक्षण और खेलकूद कार्यक्रम की योजना करें।
7. सरकार (ADIP योजना), सेवाभावी संस्थाओं के माध्यम से उपकरण कृत्रिम अंग, व्हीलचेअर इ. दिव्यांग बंधूओं को मिले ऐसा प्रयास करें।

मानसिक रुग्णता क्षमता विकास प्रकोष्ठ (चेतना)

डॉ शिव गौतम

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार:

'मानसिक रुग्णता' से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है। इसके अंतर्गत –

1. **स्किजोफ्रेनिया (Schizophrenia):** विखंडित मानसिकता एक अनुवांशिक मानसिक विकार है। इसकी विशेषतायें हैं असामान्य सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविक को पहचान पाने में असमर्थता। इस रोग को दूर करने के लिए दवाइयों के साथ समुपदेशन आदि सहायक इलाज की भी आवश्यकता होती है।
2. **बाईपोलर डिसआर्डर (Manic Depression):** यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, जिसमे मन लगातार कई महिनों तक बहुत उदास या फिर अत्यधिक खुश रहता है। इस बीमारी की शुरुआत अक्सर 14 साल से 19 साल के बीच होती है। इसके इलाज में दवाइयों के साथ समुपदेशन आदि सहायक इलाज की भी आवश्यकता होती है।
3. **डिमेंशिया (Dementia):** यह भूलने की बीमारी के नाम से लोग जानते है।
4. **जुनुनि बाध्यकारी विकार (Obsessive compulsive disorder)** में बिना वजह के विचार और भय होते है जो बाध्यकारी व्यवहार में बदल जाते है। इलाज से लाभ हो सकता है लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सकता।

सक्षम जिला इकाई द्वारा करणीय कार्य:

1. सभी सक्षम जिला इकाइयाँ 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाये।

2. दिव्यांग प्रमाणपत्र, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर सकते हैं।
3. मानसिक चिकित्सालय, पागलखाना से संपर्क कर इन व्यक्तिओं का उल्लास और आनंद के लिए कुछ कार्यक्रम योजना कर सकते हैं। उनके मध्य त्यौहार मनाये जा सकते हैं।
4. उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार योजना कर सकते हैं।
5. मानसिक रुग्ण दिव्यांग के विषय में कई बार लोगों के मन में बाहरी बाधा एवं अन्धविश्वासी कारण बन जाते हैं। जनजागरण और चिकित्सीय परामर्श के माध्यम से उचित चिकित्सा की व्यवस्था करना।
6. अनुवांशिक डिसऑर्डर आगामी पीढ़ी तक न जाए, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के लिए प्रेरित करना।

सक्षम : कला आयाम

श्री. दयालसिंह पँवार
राष्ट्रीय अध्यक्ष,सक्षम

कला और दिव्यांगता –

यह सर्वविदित है कि कला चित्त का विस्तार करके मानव में उदात्त गुणों का सृजन करती है। इतना ही नहीं, वह मानव को स्वावलंबी बनाकर उसके जीवन को उत्कर्ष तक पहुँचाने का सामर्थ्य भी रखती है। यही कारण है कि भारतीय चिन्तन–धारा में कला जीवन का एक अविभाज्य आयाम है। अतः सक्षम की यह दृढ़ मान्यता है कि कला का क्षेत्र दिव्यांगों के सशक्तीकरण हेतु अपरिहार्य है।

दिव्यांग–सशक्तीकरण हेतु कलाओं का प्रयोग–

कलाओं को अपने महत्त्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वीकार करने का प्रथम उद्देश्य दिव्यांगजन का सशक्तीकरण है। सक्षम समय–समय पर विभिन्न उत्सवों का आयोजन करता है। इन उत्सवों में दिव्यांग–प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु उन्हें मंच प्रदान किया जाता है। सक्षम का यह भी प्रयास रहता है कि इन उत्सवों के माध्यम से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा कलाकारों के सामने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन हो, जिससे उनकी भी विशेष पहचान बने।

इस दृष्टि से नांदेड़ में आयोजित मराठी तथा हिन्दी **कवि–सम्मेलन,** इन्दौर, खँडवा, फतहपुर, कानपुर, काशी तथा देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हिन्दी कवि–सम्मेलन उल्लेखनीय हैं इन कवि–सम्मेलनों की यह विशेषता रही कि इनमें हिन्दी के सुप्रतिष्ठित कवियों के साथ दृष्टिबाधित तथा अन्य दिव्यांग कवियों ने भी कविता–पाठ किया। उनकी कविताएं किसी भी दृष्टि से अन्य सामान्य कवियों से कम नहीं थी। इन कवि–सम्मेलनों के परिणाम–स्वरूप एक ओर विशेष दिव्यांग–कवि–सम्मेलनों के आयोजनों में

वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर सामान्य कवि–सम्मेलनों में दिव्यांग कवियों को भी आमन्त्रण प्राप्त हो रहे हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ स्थानों पर संगीत के विशेषज्ञ कलाकारों ने समूह भी तैयार किए हैं। जिनमें केरल की संत सूरदास भजनमण्डली तथा दिल्ली की सक्षम–स्वराञ्जलि उल्लेखनीय हैं। इन्हें जागरण आदि विशेष

अवसरों पर निमन्त्रण भी प्राप्त होते हैं तथा रोजगार की दृष्टि से भी ये समूह प्रभावी बन रहे हैं।

नागपुर, बरेली, चेन्नई, दिल्ली, इन्दौर आदि विभिन्न स्थानों पर आयोजित सक्षम

के कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा तैयार की गई दृष्टिबाधित, बुद्धिबाधित तथा श्रवणबाधित बालक–बालिकाओं की नृत्य–प्रस्तुतियाँ भी अत्यधिक आकर्षण का केन्द्र रही हैं। बैंगलूरु आदि स्थानों पर चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती रही हैं।

प्रचार तथा सूचनाओं के लिए कलाओं का प्रयोग – सक्षम का विषय, दिव्यांगता के विविध पक्ष आदि विविध जानकारियाँ समाज तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए सक्षम के प्रयोग–धर्मी कार्यकर्ताओं ने कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। नागपुर की उत्साही महिलाओं द्वारा नागपुर–**पथ–नाट्यमण्डली** स्थापित की गई है जो रोचक शैली में नाटक के माध्यम से नेत्रदान के महत्व को समाज तक पहुंचाती है। इसी प्रकार दिल्ली के दक्षिणी विभाग के छात्र–छात्राओं की भी एक नाट्य–मण्डली है, जो **नुक्कड़–नाटकों** के माध्यम से दिव्यांगता से सम्बन्धित विषयों को प्रभावी रीति से समाज तक पहुँचाती हैं।

सक्षम जिला इकाई करणीय कार्य – कला के इस आयाम को अधिक विकसित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए, जिला–स्तर से ही इस आयाम को गति देना है। जिला स्तर पर कला–प्रमुख की नियुक्ति की जाए तथा साहित्य, संगीत, नृत्य तथा चित्रकला के लिए टोलियाँ विकसित की जाएं। जिससे कलाओं का पर्याप्त लाभ लेते हुए कलाकारों को प्रोत्साहन मिले तथा उन्हें अच्छे मंच मिले। प्रतियोगिताओं का आयोजन हो तथा कलाकारों को पुरस्कृत भी किया जा सके। कला के माध्यम से दिव्यांग बन्धु स्वावलंबी बनें तथा रोजगार भी प्राप्त कर सकें।

उपसंहार – कला जीवन में सौन्दर्य का आधान ही नहीं करती अपितु हमारी गतिविधियों को जीवन्तता तथा व्यवस्था भी प्रदान करती है। कला हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी जीवन्त रखती है। अतः सक्षम ने सदैव कला को अपने क्रियाकलापों के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार किया है।

सक्षम क्रीड़ा आयाम

डॉ. मल्लिका नड्डा

''मुझे जीतना है यदि मैं जीत न सकूं तो मुझे अपने प्रयासों में सफल होने दो'' इसी ध्येय वाक्य के साथ एक दिव्यांग अपने जीवन में खेल को शामिल करता है और अपने शारीरिक, मानसिक अक्षमता पर विजय प्राप्त करता है।

खेल वह है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक विकास को मजबूत व सुदृढ़ बनाता है और व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। परन्तु अवधारणा ऐसी बन गयी है की खेल स्वस्थ, मजबूत व सुदृढ़ व्यक्तियों के लिए ही है। परन्तु दिव्यांगजनों का खेल में योगदान का एक महान इतिहास है।

सामान्यजन के गली के टूर्नामेंट से ओलंपिक्स तक खेल के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग जनों ने समानान्तर प्रगति की है। इनके आरम्भ के प्रयास कितने भी छोटे क्यों न रहे हों परन्तु यह प्रयास दिव्यागों के ओलंपिक्स तक ही सीमित नहीं

रहा बल्कि भिन्न–भिन्न प्रकार के स्वतंत्र ओलंपिक्स तक विकसित हुआ।

अभी आज दुनिया में इन अक्षमताओं को चार हिस्सों में बाँट कर चार प्रकार के ओलंपिक्स खेल आयोजित हो रहे है।

1. **स्पेशल ओलंपिक्सः** मानसिक अक्षमता के लिए 1968 में स्पेशल ओलंपिक्स की शुरूआत यू.एस.ए. में यूनिस कैनेडी श्राइवर के द्वारा हुई और अब 177 देश इस स्पेशल ओलंपिक्स मूवमेंट का हिस्सा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें 35 ओलंपिक्स स्तरीय खेल इसके अंतर्गत खिलाये जाते हैं।

   भारत में यह शुरूआत 1980 के दशक में हुई और आज स्पेशल ओलंपिक्स का कार्य भारत के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में आयोजित होता हैं

तथा 25 प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएँ इन खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती हैं। भारत में लगभग 13 लाख मानसिक अक्षम खिलाड़ी पंजीकृत हैं, जिसमें 1 लाख प्रशिक्षित कोच हैं। 679 जिलों में यह कार्यक्रम चलता है और 80 प्रतिशत खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन ओलंपिक्स को 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है।

2. **पैरा ओलंपिक्सः** इसी प्रकार शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक्स का आरंभ 1948 में इंग्लैंड में सर लुडविन गृटमन के द्वारा किया गया। आज 176 देश इसमें हिस्सा लेते है। यह इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी के अंर्तगत पंजीकृत हैं। इसमें 10 हिस्सों में शारीरिक अक्षमता को बांट कर खेल ग्रुप बनाये गये है। इसमें भी ओलंपिक्स के समान ही खेलों को शामिल किया गया हैतथा इसे भी ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन ओलंपिक्स के रूप में 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है।

3. **डफ एण्ड डंब ओलंपिक्सः** इसी प्रकार मूक–बधिर अक्षमता के लिए डफ एण्ड डंब ओलंपिक्स की शुरूआत1924 में पेरिस, फ्रांस में 9 देशों की भागीदारी से हुआ अब लगभग 100 देश इसमें हिस्सा लेते है । यह भी अन्य ओलंपिक्स की तरह ही विकसित व व्यवस्थित खेल संस्थागत रूप में स्थापित हुआ है ।

4. **ओलंपिक्स फॉर ब्लाईंडः** इसी प्रकार दृष्टि संबन्धित अक्षमता के लिए ओलंपिक्स फार ब्लाईंड की शुरूआत हुई और यह भी अन्य ओलंपिक्स की भाँति विकसित हुआ और एक व्यवस्थित संस्थागत ढ़ाँचे के साथ विकास कर रहा है ।

उपरोक्त खेलों के साथ दृष्टिबाधित बंधू क्रिकेट, शतरंज खेलते हैं। दृष्टिबाधित बन्धु 3 बार क्रिकेट में विश्वकप जीत चुके हैं। श्रवणबाधित बंधू क्रिकेट इ. खेलते हैं। उपरोक्त खेलों की सहभागिता के आँकड़े जहाँ खेलों में दिव्यागों की नजदीकी सम्बंध को बताते हैं वहीं यह भी बता रहे है कि

दिव्यागों को अवसर मिलने पर कैसे वह अपनी अक्षमता को क्षमता में बदलने को तैयार रहते हैं ।

सरकार एवं सामाजिक संगठनों की भूमिका:

यह आवश्यक है कि दिव्यांगों के प्रयासों के साथ–साथ समाज तथा सामाजिक सेवा संगठन व सरकार आगे आये और अपने प्रयासों व सकारात्मक कदमों से इनके प्रयासों को बल व स्थायित्व प्रदान करें।

देश में अनेक सामाजिक संगठन अपने अनगिनत छोटे–बड़े सकारात्मक सहयोग तथा प्रयास से स्वामी विवेकानंद के कथन–''पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर उपासना की सर्वश्रेष्ठ विधि है।'' का अनुसरण कर रहे हैं । सक्षम छत्तीसगढ़ हर वर्ष दिव्यांगों के लिए क्रिकेट, मैराथोंन, योगा इ. कार्यक्रम करते हैं। जबलपुर, बेंगलुरु, वर्धा, गुंटूर, चेन्नई आदि स्थानों में दृष्टिबाधित बंधूओं के लिए क्रिकेट, शतरंज इ. आयोजित करते हैं।

इसी प्रकार भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय भी अनेक योजनाओं व प्रोत्साहन पुरस्कारों, नगद पुरस्कारों के माध्यम से इन्हें सम्मान व सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रदेशों की अनेक सरकारें अपने सकारात्मक प्रयासों से इन्हें लाभान्वित कर रही हैं।

हरियाणा सरकार ने सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही दिव्यांग खिलाड़ियों को "भीम पुरस्कार" से सम्मानित किया है तथा स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेताओं को क्रमश रू 20 लाख रूपये/15 लाख रूपये/10 लाख रूपये नगद पुरस्कार की योजना लायी है तथा ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वास्तव मे यही प्रयास पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार का सार्थक अनुकरण है।

खेल प्रतियोगिताएं दिव्यागों को अवसर प्रदान करती है। इनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को विकसित करती हैं इनके आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना को जागृत ही नहीं बल्कि पुष्ट भी करती है। इन खेल प्रतियोगिताओं मे केवल विजय प्राप्ति ही मकसद नहीं होता बल्कि भागीदारी और अवसर भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है । खेलकूद इन विशेष खिलाड़ियों को खुशी प्रदान करता है तथा इनके मनोबल को बढ़ाता है तथा इनके परिवार को समाज में सम्मान का अनुभव कराता है । खेलों के माध्यम से इन्हें मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं और समाज के अभिन्न अंग हो सकते हैं।

सक्षम प्रान्त एवं जिला इकाई करणीय कार्यः

मुंबई

1. सक्षम के विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर दिव्यांग खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों का सम्मान करें ।

रायपुर में आयोजित
दिव्यांग मेराथन

हैदराबाद में आयोजित
अनेबल–ए–थॉन

2. प्रान्त और जिला स्तर पर खेलकूद स्पर्धा आयोजित करें।

3. कुशल दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में आने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षित करना और आर्थिक सहयोग करना।

हम सबको पूज्य नाना जी देशमुख के इस वाक्य को आत्मसात् करने की आवश्यकता है ।

''हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए है। अपने वे हैं जो पीड़ित और असहाय हैं।''

हम सब मिलकर दिव्यांग जनों की दिव्य शक्तियों को पहचानें और अवसर प्रदान करें और सम्मानजनक जीवन यापन में सहयोगी बनें। खेल के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लायें।

''सक्षम भारत समर्थ भारत''

रोजगार एवं स्वरोजगार

श्री विपुल सोलंकी

दिव्यांगजन भी कई प्रकार की विशेष क्षमता से सुसज्जित हैं। इन विविध क्षमताओं को पहचानने और कार्यरत करने से उनके आत्मविश्वास और प्रगति में बल की वृद्धि होती है। उत्पादक परिणाम देखने को मिलते हैं। सारे समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, दिव्यांगजन के आत्मविश्वास को बढ़ावा दें और कार्यस्थल में उचित सुविधाएँ दे।

विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ एक दिव्यांग व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। दिव्यांगता के अनुसार जो कार्य कर सकते हैं, वह सूची दी गई है।

दृष्टिबाधित– लेखक, शिक्षक, वकील, वैज्ञानिक, संगीतकार, मालिश, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कम्पूटर विशेषज्ञ, खेलकूद, उत्पादन, कार्यकर्ता आदि

श्रवणबाधित – व्यावसायिक, सांकेतिक भाषा अनुवादक, शिक्षक, डाटा एंट्री क्लर्क, कारपेंटर, वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर, लेखाकार एवं लेखा परीक्षक, कार्यक्रम आयोजक, लेखक, संपादक, प्रूफ रीडर, आदि

बुद्धिबाधित – कल कारखानों, कार्यालयों, प्रिंटिंग प्रेस, मोल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, असेंबलिंग, पैकिंग, पेंटिंग, लेबलिंग , स्टैम्पिंग, फोटो कॉपी, आदि

शारीरिक निशक्तता – शिक्षक, लेखक, कॉलसेंटर, कंप्यूटर सिस्टम विश्लेषक, सॉफ्टवेयर विकास, वित्तीय विश्लेषक, प्रबंधन सलाहकार, विपणन और बाजार अनुसंधान, आदि

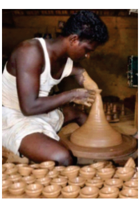

लर्निंग डिसेबिलिटी – फिल्ममेकिंग, काउन्सिलर, न्यूजएंकर, नर्सिंग असिस्टेंट, टेलीकॉलर, एडमिनिस्ट्रेटर आदि

इस तरह के कार्यक्षेत्रों में रोजगार के रूप में स्वतंत्र व्यवसाय या नौकरी कर सकते हैं। उद्योगपतियों के मन में दिव्यांगों की सक्षमता पर विश्वास बढ़ाने के

लिए सकारात्मक प्रयास के विशेष आवश्यकता है साथ साथ दिव्यांग का कौशल आधारित प्रशिक्षण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा "Skill Council For Persons with Disability" (www-scpwd-in) उद्योग की जरूरतों के अनुसार विकलांग लोगों के कौशल विकास प्रशिक्षण देते हैं एवं उन्हें रोजगार प्राप्त करवाने में प्रयास करते हैं।

नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NHFDC) (www-nhfdc-nic-in)–यह दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण खरीदने, उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु व्यावसायिक परिसरों के विकास, व्यावसायिक अध्ययन, स्वरोजगार, क्षमता विकास के रूप में स्वंयसेवी संगठनों को न्यूनतम ब्याज दरों में रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यह योजनाएँ एंजियो, बैंक अभिभावकों के संगठनों के माध्यम से चलायी जाती है।

दिव्यांगजन के विषय पर काम करनेवाले कुछ Entrepreneurs के बारे में संक्षिप्त जानकारीः

क्र.	संगठन	प्रमुख उपलब्धियाँ
1	एनेबल इंडिया, बेंगलुरु www-enableindia-org	प्रशिक्षण, नौकरी, स्वरोजगार, आदि के लिए दिव्यांगों का समर्थन करने के लिए समर्पित। 2.2 लाख लोगों के जीवन को बदला। 28 राज्यों में 1050 स्थानों पर और 27 देशों के 229 भागीदार संगठनों में उपस्थिति
2	लेमन ट्री हॉटल्स, www-lemontreehotels-com	देशभर की होटलों के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगों को रोज़गार – हाउसकीपिंग, किचन स्टीयरिंग और फूड एंड बेवरेज सर्विस
3	माइक्रो साइन प्रोडक्ट्स, भावनगर, www-microsignproducts-com	दिव्यांगो के माध्यम से उत्पादन– इलेक्ट्रोनिक प्लास्टिक
4	के. एफ. सी. www-kfc-com	देशभर में श्रवणबाधितों को रोजगार

5	एन. टी. टी. डेटा, हैदराबाद, www-nttdata-com	प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए डिजिटल वातावरण तक पहुँच बढ़ाने का कार्य
6	Synchrony, हैदराबाद www-synchrony-com	विविधता और समावेशन के लिए प्रतिबद्ध, सिंक्रोनी वित्तीय सेवा उद्योग में काम करने, प्रगति और उन्नति करने के लिए अलग–अलग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है।
7	पर्सिस्टेंट, पुणे, www-persistent-com	स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यंगो के लिए काम करनेवाली संस्थानों को फाउंडेशन अनुदान देता है
8	Youth 4 Jobs www-youth4jobsobs-org	ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग बन्धुओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करते हैं
9	भावेश भाटिया, Sunrise Candles महाबलेश्वर	दृष्टिबाधित Entrepreneur है। उनकी 50 करोड़ रुपयों की कंपनी में सभी दृष्टिबाधित काम करते है। हजारों दृष्टिबाधितों को कैंडल बनानेका प्रशिक्षण दिया है।
10	श्रीकांत बोल्ला, हैदराबाद, CEO	श्रीकांत कन्सुमर फूड पैकेजिंग कंपनी स्वयं दृष्टिबाधित है। उनकी 150 करोड़ रूपये की कंपनी में कर्मचारी ज्यादातर दिव्यांग है।

INCLUSIVE DIVYANGJAN ENTREPRENEURSHIP ASSOCIATION (IDEA)

श्री मल्लिकार्जुन

पिछले कुछ दशकों में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र मे काफी प्रगति की है। इस अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद, दिव्यांगजन समुदाय अभी भी प्रगति के लाभों से वंचित है। मौजूदा स्थिति का कारण दिव्यांगजन समुदाय को सूचना तक पहुंचने के लिए कोई एकीकृत संसाधन नहीं है। एक दिव्यांगजन अपने पूरे जीवनकाल के दौरान अपनी विकलांगता के कारण नहीं बल्कि योजनाओं और सेवाओं की जागरूकता और अभाव के कारण पीड़ित होता है। जागरूकता और जानकारी के अभाव के कारण माता–पिता अपने दिव्यांग बच्चे के लिए अलग–अलग सरकारी एजेंसियों और CSO'S के द्वारा चलाई गई योजनाओं और सेवाओं से लाभ उठाना तो दूर, दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगों की संख्या 2.68 करोड़ है, जिनमें 56% पुरुष और 44% महिलाएँ हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में विकलांगता दर 4–5% है। भारत में कुल दिव्यांगो में से लगभग 50% 15 से 59 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन उनमें से 74% से अधिक दिव्यांग आबादी बेरोजगार है और रोजगार पाने का अवसर चाहती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन का अनुमान है कि अर्थव्यवस्था से दिव्यांग लोगों को जोड़ने पर जीडीपी में 5 से 7% का अंतर आ सकता है । ये आँकड़े एक ऐसे मंच के निर्माण की तत्काल आवश्यकता की माँग करते हैं जो अपने सम्पूर्ण जीवनचक्र में दिव्यांगजन की सभी जरूरतों के लिए एक समाधान के रूप में कार्य करे ।

IDEA का विजन: भारत को विश्व का समावेशी केन्द्र बनाना है। IDEA के फोकस क्षेत्र हैं, दिव्यांगों के लिए एन्टरप्रनोर्शिप, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना। दिव्यांगजन के लिए बेहतर आजीविका के अवसरों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, सहायता, सेवा, सुविधाओं में सुधार के लिए IDEA परियोजना लॉन्च की गई है । यह रोजगार सृजन, स्व–रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों के उद्देश्य से सेवाओं का एक राष्ट्रीय एग्रीगेटर (Aggregator) होगा। IDEA का उद्देश्य 1 लाख दिव्यांगजन के लिए रोजगार सृजन में मदद करना है, और 2024 तक 5,000 दिव्यांगजन उद्यमों का समर्थन करना है। IDEA के प्रमोटिंग संगठन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और द हँस फाउंडेशन है। संस्थापक संगठन सक्षम और Believe India है । IDEA, सक्षम के एक प्रकल्प के नाते काम करेगा और इसका राष्ट्रीय

सचिवालय दिल्ली में रहेगा। संगठन को सुचारू तरिके से चलाने के लिए सलाहकार मंडल, निर्देशक मंडल और एक्जिक्युटिव कौंसिल का गठन किया गया ।

IDEA सभी हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इसी दिशा में IDEA ने दिसंबर 2019 में दिव्यकौशल रोजगार मेला का आयोजन किया था – यह पहली बार आयोजित अलग प्रकार का जॉब फेयर और क्षमता एक्सपो था, जिसमें सभी हितधारकों को एक साथ लाया गया, उम्मीदवारों को रोजगार के विकल्प की पेशकश की और भर्ती, प्रशिक्षण और अन्य पहलुओं के बारे में विशेषज्ञों के साथ मदद की, ताकि कार्यस्थल को समावेशी बनाने में मदद मिल सके। दिव्यकौशल को लगभग 1500 पंजीकरण प्राप्त हुए और लगभग 500 प्रतिभागियों को रोजगार मिला। उम्मीदवारों को विभिन्न अन्य अवसरों और क्षमता एक्सपो के माध्यम से एंटरप्रन्योरशिप के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई ।

IDEA एक ऐप और वेब–पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जो दिव्यांगजन को शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, नौकरी के अवसर, स्व–रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य सेवा की जरूरतें, सामाजिक–कल्याण अधिकार और सहायक सहायता तक पहुँचने में सक्षम करेगा ।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

वेबसाइट – www.divyangjanindia.com

ईमेल – inclusivedivyangjan@gmail.com

सोशल मीडिया–

https//m.facebook.com/InclusiveDivyanjan/

https//www.linkedin.com/mwlite/company/inclusive.divyangjan
.entrepreneur.association.idea

https//mobile.twitter.com/InclusiveDivya1

पक्ष समर्थन (Advocacy) आयाम

श्री अशोक द्विवेदी

एडवोकेसी प्रभावपूर्ण प्रस्तुति का एक माध्यम है, जो दिव्यांगजन या सामान्यजन को सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करके सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता को सुरक्षित करता है। इस दृष्टि से सक्षम का एडवोकेसी आयाम राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर नीतिगत विषय के बारें में सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के सामने विषय रखता है। सिर्फ नीतिगत मामलों में ही नहीं, बल्कि बहुत से दिव्यांगजन जो निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा देते समय आनेवाली समस्याओं एवं चुनौतियों के समाधान की दिशा में समाधान करने का प्रयास करते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन दिव्यांगजनों के अधिकार, बाधा रहित वातावरण (Accessibility), शिक्षा की सुविधाएं, आरक्षण, दिव्यांग प्रमाण पत्र इ. विषयों का क्रियान्वयन पर एडवोकेसी की जाती है।

केन्द्र स्तर पर उपलब्धियाँ

1. UDID कार्ड के लिए 2012 में सक्षम के माध्यम से देशभर में विविध स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया था, तब 2014 में प्रयास सफल हुआ। केन्द्र सरकार द्वारा UDID का घोषणा की गई।
2. प्रारंभ से सक्षम की माँग है कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत के लिए यह आवश्यक है कि, आँखें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएं।

3. सक्षम द्वारा की गई एडवोकेसी का एक परिणाम है, कि भारत सरकार ने मोतियाबिंद सर्जरी हेतु पूर्व की रू. 1000 की धनराशि को बढ़ाकर रू. 2000 कर दिया है और कोर्निया प्रत्यारोपण हेतु रू. 5000 से बढ़ाकर रू. 7500 का प्रावधान किया है।
4. कुष्ठबाधित दिव्यांगजन हेतु कानून में बदलाव के सार्थक प्रयास हुए हैं।

राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर उपलब्धियां

1. सक्षम द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा भी कोर्निया प्रत्यारोपण हेतु रू. 7500 दिये जा रहे है ।
2. सक्षम द्वारा किए गए प्रयास से उत्तर प्रदेश में नौकरी में पदों को चिह्नांकन के दौरान की गई एडवोकेसी से बहुत से नए पदों को चिह्नांकित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं।
3. दिल्ली में दृष्टिबाधित बन्धु/भगिनी के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष आन्दोलन हुए ।
4. सक्षम के एडवोकेसी के कारण चेंगलपेट (तमिलनाडु) का जिला न्यायालय बाधारहित (Accessible) हुआ।
5. कन्याकुमारी में ईसाई मिशनरी के छात्रावास में बुद्धिबाधित छात्रा यौन शोषण का शिकार हुई। सक्षम द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लिया गया, धरना, प्रदर्शन आदि के माध्यम से उस पीड़ित को न्याय मिला और अपराध करने वाले दंडित हुए।
6. लातूर, महाराष्ट्र में सक्षम द्वारा सरकारी संस्थानों का एक्सटर्नल ऑडिट हुआ, सम्बन्धित जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी और कार्यवाही हुई ।
7. पुणे के सक्षम न्याय केन्द्र के कारण दिव्यांगजनों को विधिक सहायता प्राप्त हो रही है।

सक्षम जिला इकाई क्या कर सकती है !

प्रत्येक जिले में सक्षम इकाई को अपना दिव्यांग सेवा केन्द्र अवश्य स्थापित करना चाहिए ताकि दिव्यांगजन की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ अन्य विषयों पर चर्चा हो सके और अपनी सहभागिता कर सके।

दिव्यांगजन की स्थानीय समस्याओं, दिव्यांग प्रमाण पत्र, UDID, रोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता आदि विषय के लिए काम करें।

नेशनल ट्रस्ट सहित केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।

विकलांगता सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों, DDRC, DIET, विकलांग वित्त निगम इ. से संपर्क कर दिव्यांगजन को उनका सहयोग दिलाने का प्रयास करें।

Public Places जैसे बसस्टेशन, रेलवेस्टेशन और सरकारी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस इ. बाधारहित (Accessible) होने के लिए प्रयास करें।

सक्षम युवा

— श्री कमल कुमार

युवा पार्श्वभूमि

- युवा एक अवस्था नहीं मनःस्थिति है, 15 वर्ष के बाद 30 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति में बहुतायत ऊर्जा होती है, इस मनःस्थिति को समय पर सकारात्मक दिशा मिल जाए तो यह मनःस्थिति सुकृत्य की सर्वोच्च ऊँचाईयों पर पहुँच सकती है।
- युवा ऊर्जावान है शक्तिवान है, समय भी देते हैं तुरंत निर्णय भी लेते हैं। सृजनात्मक सोच भी रखते हैं, कर्तृत्ववान होते हैं, बस! केवल दिशा मिलने की आवश्यकता रहती है।
- सक्षम का कार्यक्षेत्र दिव्यांगता है, संवेदनशील है, कठिन भी है, व्यापक है, गहराई भी है। इस क्षेत्र में कार्य आगे बढ़ाना है तो युवाशक्ति को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

सक्षम युवा शक्ति के करणीय कार्य

1. दिव्यांग सर्वेक्षण
2. जागरूकता कार्यक्रम
3. प्रत्यक्ष सेवा कार्य
   (अ) **अस्थाई रूप में** नेत्रदान, रक्तदान, राइटर्स, शिविर अधिवेशन में प्रबन्धक नाते सेवा देना।
   (आ) **स्थाई रूप में** सेवा प्रकल्प, पुनर्वसन केन्द्र, विशेष पाठशाला आदि में अभ्यास करना (इंटर्नशिप), नियमित सेवा देना।
4. दिव्यांग सम्बन्धित कोर्सेज चुनकर, जीवन दिव्यांग सेवा में लगाना, यथा फिजियोथेरेपी , ऑक्यूपेशनलथेरेपी, स्पीचथेरेपी, साइकोलॉजी, विशेष शिक्षा इत्यादि।

संगठनात्मक पक्ष

- कॉलेज, युवा मंडली से संपर्क, मित्रता।
- प्रेरणादायी प्रसंग रखना, ध्येयवाद निर्माण।
- विश्वास बढ़ाने के लिए छोटे उपक्रम देना, इसमें सफलता मिलने के लिए सहयोग करना व आत्मविश्वास बढ़ाना।
- दायित्व देकर, प्रत्यक्ष कार्यशील करना ।
- प्रान्त, जिला स्तर पर युवा प्रमुख नियुक्ति एवं टोली निर्माण ।
- प्रशिक्षण / अभ्यास वर्ग आयोजित करना।

कुछ सफलतम प्रयोग

1. जयपुर प्रांत सक्षम ने युवा आधारित

अ) CAMBA सर्वे जयपुर जिले की तह. सांगानेर के चार ग्रामों के सम्पूर्ण घरों में 180 युवा 4 घंटे में सम्पर्क किया चिकित्सा शिविर लगाया।

आ) CAMBA सर्वे जयपुर महानगर की सभी 138 सेवा बस्ती के 15000 घरों में 1100 युवाओं ने 6 घंटे में सम्पर्क किया। 28 नेत्रचिकित्सा शिविर लगाये।

इ) **सेवायाम प्रकल्प**–राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त राहत देने हेतु तीन आयाम से सम्बन्धित सेवा होती है।

1) परिजन आयाम (Attendent) बड़ी आयु के समाज बंधु
2) नर्सिंग छात्र चिकित्सा आयाम (नर्सिंग कॉलेजों के छात्र)
3) रक्तदाता आयाम (अन्य डिग्री कॉलेजों के छात्र)

इस प्रकार से सेवासमूह अपने निर्धारित वार के अनुसार सेवा देते हैं। समूह में तीनों श्रेणी के दो–दो कुल 6 कार्यकर्ता सेवा देते है।

2. **बेंगलुरु** में 400 IT युवा CAMBA सर्वेक्षण, नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

3. **हैदराबाद** साइट–ए–थॉन (Sightethon) में 8000 छात्र ब्लाइंड फोल्ड वॉक माध्यम से नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया है। CAMBA प्रकल्प में 8 छात्रों ने इंटर्नशिप की है।
4. **दिल्ली** सैकड़ों छात्र नेत्रदान जागरूकता रैली में भाग लेते हैं।COVID के समय में एक हजार छात्र रक्तदान किया है।
5. **लातूर** संवेदना प्रकल्प में हर वर्ष MSW के छात्र इंटर्नशिप करते हैं।

युवाओं के दम पर जग की आजादी पलती है।
इतिहास उधर मुड़ जाता जिधर जवानी चलती है।।

सक्षम मातृशक्ति

सौ.स्वाती धारे

भुमिकाः नारी विमर्श की चर्चाओं में समग्र चर्चा के परिवेश में कुछ वर्ग उपेक्षित रह जाते हैं विशेषकर दिव्यांगता वर्ग। भले ही दिव्यांगता के अंतर्गत यह पहलू चर्चा का विषय बने तो भी नारी विमर्श के अंतर्गत यह संवेदनशील विषय अनिवार्यतः चर्चा की अपेक्षा रखता है ।

स्वस्थ शिशु और माँ : कुपोषित अस्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को जन्म कैसे दे सकती है? किशोरावस्था से ही बालिकाओं को पोषक आहार एवं स्वास्थ्य विषय में जागरूक करना होगा। उनके विकास के लिए अनिवार्य घटक पोषक आहार, आयरन, फोलिक एसिड की उपलब्धता देनी होगी।

दिव्यांग शिशु और पारिवारिक पृष्ठभूमिः हमारे समाज मे निशक्त शिशु के जन्म लेने पर स्वीकारोक्ति नहीं है। माता–पिता हताश हो जाते हैं। परिजनों एवं पड़ोसियों द्वारा पाप–पुण्य और अन्यान्य अंधविश्वास जनित कारणों की विवेचना की जाती है। इसलिए अभिभावक का मन सकारात्मक बनाने के लिए समुपदेशित करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के प्रति जिस प्रकार के संवेदनशील और समुचित व्यवहार की अपेक्षा होती है, अभिभावक को उसके प्रशिक्षण का अभाव है। शिशु को एक ओर कन्या होने का अपमान सहन करना होता है और दूसरी ओर निशक्तता उसकी स्थिति को और भी कठिन बना देती है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अनिवार्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना होगा।

शैक्षणिक विकासः दृष्टिबाधित, बुद्धिबाधित एवं श्रवणबाधित बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षित विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस तरह की सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ नगरीय क्षेत्रों में अभाव है। दिव्यांग महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा सुदूर स्वप्न है।

सुरक्षात्मक कदमः आज समाज में हिंसा और बलात्कार जैसे अपराधों से दिव्यांग महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न अत्यधिक गंभीर तथा संवेदनशील है। बुद्धिबाधित एवं दृष्टिबाधित बालिका अपने आसपास के वातावरण को नहीं पहचान पाती है। न केवल अभिभावकों को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है बल्कि स्वयं दिव्यांग महिलाओं को भी अधिक जागरूक होना पड़ेगा उन्हें विशेष तौर पर स्वसुरक्षा प्रशिक्षण देना होगा।

उपसंहारः दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूति की नही वरन अपनेपन की जरुरत होती है। उन्हें समान अवसर मिले। वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रुप से सक्षम बनें। दिव्यांग महिलाओं को जब–जब साधन संसाधन एवं अवसर प्राप्त हुए है उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। IAS ईरा सिंघल, दीपा मलिक, अरुणिमा सिन्हा (अस्थिबाधित), IAS प्रांजलि, IFS बीनू जैफिन (दृष्टिबाधित) इ.। शासकीय अशासकीय नियुक्तियों, खेल जगत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन विश्व स्तर पर किया है। बुद्धिबाधित गौरी गाडगिल विश्व स्विमिंग चौम्पियन बन गई।

सरकार और समाज से अपेक्षाः शैशव काल से ही निशक्तता को रोकने, उचित समय

पर सुधारने संबंधी उचित चिकित्सा की जाए। (Early Detection & Early Intervention)

दिव्यांग बालिकाओं के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संसाधन युक्त केन्द्र और छात्रावास उपलब्ध कराना आवश्यक है।

दिव्यांग महिलाओं को स्वावलम्बी होने के लिए योग्य साधन और उपकरण ADIP योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाना है।

विद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में विभिन्न विषयों में दिव्यांगता संबंधी विषयों का समावेश कर महिला विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा।

हमारी दिव्यांग बहने शिक्षित और स्वावलंबी हो जाती हैं उसके बाद उनके सामाजिक सुदृढ़ीकरण हेतु उनका उचित जीवनसाथी के साथ विवाह हो।

दिव्यांग महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ एक स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है।

मातृशक्ति की महत्वपूर्ण सहभागिताः

एक महिला निश्चित रूप से किसी अन्य महिला की वेदना, आवश्यकता को भलीभांति जान सकती है। इसलिए दिव्यांग बहनों को सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी प्रबुद्ध मातृशक्ति लेवे :––

1. सक्षम के शिक्षा, पुनर्विकास, समुपदेश (Counseling) संबंधित सेवा प्रकल्पों में गृहस्थ महिलाएँ हर दिन 2–3 घंटे समय दे सकती हैं।
2. दिव्यांग अभिभावकों के प्रशिक्षण वर्ग किये जाए।
3. दिव्यांग बच्चों के लिए संस्कार–केन्द्र, योग–केन्द्र, सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण–केन्द्र संचालित किए जा सकते हैं।
4. दिव्यांग महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों एवं संसाधनों संबंधित विषयों को लेकर जागरूक और एडवोकेसी करे।
5. ''स्वस्थ–माँ तो स्वस्थ–शिशु'' अभियान को लेकर कार्य करना।
6. विशेष शिक्षिका, Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech Therapy, Clinical Psychology के कोर्सेज पढ़ने के लिए बालिका छात्राओं को प्रोत्साहन करें।
7. महिला कार्य को गति देने के लिए प्रांत, जिला समितियों मे दिव्यांग महिलाओं, दिव्यांग महिला अभिभावकों और सेवा भावी महिलाओं को सम्मिलित किया जाए।

सक्षम प्रचार विभाग

केम्प लगाकर दिव्यांगों को बांटी ट्रायसाइकिल

दिव्यांग सेवा केंद्र का शुभारंभ

सक्षम का निःशुल्क नेत्र जांच संपन्न

श्री विपुल सोलंकी

समाज व राष्ट्र को दिशा देने में, प्रचार विभाग की महती भूमिका होती है। रामायण, महाभारत कालखंड में हम देखें तो महर्षि नारद धर्मसंरक्षण के लिए प्रचार भी करते थे और प्रसार भी करते थे।

सक्षम प्रचार विभाग का उद्देश्य दिव्यांगता सम्बन्धि विषय, दिव्यांगों की समस्या, और दिव्यांगजन हितार्थ कार्य को जनमानस तक पहुँचाना, साथ ही उन्हें इस विषय में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करना। दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने हेतु कार्य करनेवाले व्यक्ति, संस्था और संगठनों का कार्य समाज में ठीक पद्धति से पहुँचे।

ऐसे अनेक उदाहरण है कि मिडिया में प्रसारित सक्षम का कार्य समाचार के माध्यम से दिव्यांग बन्धु, भगिनी और उनके अभिभावक की पहुँच सक्षम तक बनी और उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान की राह मिली।

प्रचार विभाग ढाँचा

इस दृष्टि से सक्षम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार विभाग का सृजन किया राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रमुख प्रचार विभाग टोली का गठन, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, सोशल मिडिया (व्हाट्सआप,फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) वेब साईट एवं मासिक पुस्तक आदि का प्रभारी बनाये गए। इसी प्रकार से प्रांत स्तर पर भी रहे।

वर्तमान में सक्षम के 200 व्हाट्सऐप ग्रुप एवं 20 फेसबुक पेज चल रहे है। ट्विटर पर करीब 100 संख्या है। इस माध्यम से सक्षम की पहुँच करीब 3000 लोगों तक है। सक्षम का अपना सक्रिय वेबसाइट है। कुल मिलाकर सम्पूर्ण राष्ट्र में सक्षम की पहुँच लगभग 40 हजार लोगों तक हैं।

कोविड– 19 महामारी के काल में सक्षम का प्रचार विभाग सोशल मिडिया के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था करके कार्य में निरन्तरता बनाये रखी। विडियो कॉन्फरेंसिंग एवं वेबिनार के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में अपनी गतिविधि जारी रखी ।

करणीय कार्य एवं सावधानियाँ

प्रांत तथा जिला केन्द्रों में पत्रकार, लेखक, मिडिया सम्बन्धित संस्थाओं से संपर्क और मित्रता रखना ।

प्रचार–प्रसार का विषय प्रामाणिक हो। व्यक्ति का प्रचार ना हो बल्कि कार्य का प्रचार हो ।

प्रसिद्धि पराङमुखता सक्षम संगठन का मुलभूत आधार है। फोटो लेते समय, देखते समय, भेजते समय और जानकारी देते समय मिडिया कवरेज के बारे में सोचते समय यह विषय ध्यान में रखें।

कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान (CAMBA)

डॉ.पवन स्थापक
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सक्षम

पार्श्वभूमिः

विश्व के अन्धत्व का एक चौथाई अन्धत्व भारत में है। जिसमें से 92.9% अन्धत्व उपचार ऑपरेशन से ठीक होने वाला अन्धत्व है पर जागरूकता के अभाव में वे मरीज दृष्टि से वंचित है।

अन्धत्व निवारण कि योजना के तहत भारत सरकार ने 1976 में राष्ट्रीय अन्धत्व निवारण कार्यक्रम (NPCB) की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ संगठन, सभी अन्धत्व के क्षेत्र में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जिसमें भारत सरकार भी शामिल थी, Vision 2020 का उद्घोष "The Right To Sight" के नारे के साथ हुआ।

सक्षम के चिंतन बैठकः अगस्त 2015 कर्णावती में मा. सरकार्यवाह जी भैय्याजी जोशी के उपस्थिति में हुई सक्षम की चिंतन बैठक में "समस्या केंद्रित परिणामदायी योजना" के रूप में कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत (CAMBA) अभियान का प्रादुर्भाव हुआ।

कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान (CAMBA) को शुरू करने की आवश्यकता समयानुकूल है। अभी तक असंगत डेटा उपलब्ध हैं तथा कोई उचित प्रतीक्षा सूची नहीं है। समुदाय, नेत्र बैंक, सर्जन के बीच में समन्वय का अभाव है। कॉर्निया प्रत्यारोपण के बाद रिजेक्शन की अधिक सम्भावना है एवं पोस्ट ऑपरेटिव उचित देखभाल की कमी है। समाज में नेत्रदान जागरूकता की कमी है। इस हेतु कॉर्निया अन्धत्व को रोकने और कम करने के सभी प्रयासों में काम्बा ''उत्प्रेरक'' बनेगा।

उद्घाटनः 5 मार्च 2016 को दिल्ली के Constitution Club में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री. जे. पी. नड्डा, माननीय सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी, केन्द्रीय राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री कृष्णपाल गुर्जर की उपस्थिति में सक्षम ने कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान (CAMBA) को लॉन्च किया।

अभियान का लक्ष्यः

1. व्यवस्थित वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कॉर्निया अन्धत्व से प्रभावित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या जिन्हें नेत्रदान से दृष्टि प्राप्त हो सकती है उनका पता लगाया जा सके।

2. मौजूदा नेत्र बैंकों के साथ नेटवर्क बनाया जाए और नेत्र संग्रह केन्द्र शुरू करने के प्रयास किये जावें।

   जनता के बीच गहन जागरूकता के माध्यम से नेत्रदान की आवश्यकता को प्रसारित करें। कॉर्निया अन्धत्व की रोकथाम के लिए जो सावधानियाँ चाहिए उसको भी प्रसारित करें।

3. सुदूर ग्रामीण व वनवासी क्षेत्र में रहनेवाले मरीजों को उत्कृष्ठ प्रत्यारोपण केन्द्र या चिकित्सकों से जोड़ने के लिए नेत्र जाँच शिविरों का योजनाबद्ध प्रयास हो।

4. यह कार्य जमीनी स्तर पर '' नेत्र रक्षकों '' द्वारा नेटवर्किंग के माध्यम से पूरा किया जावे।

अभियान का क्रियान्वयनः

शुरुआत में 6 जिलों को अभियान के लिए चयनित किया गया। नागपुर, जबलपुर, मेहबूब नगर, करनाल, जयपुर, दिल्ली।

मानव संसाधन के रूप में सक्षम के पास कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों की एक अच्छी संख्या है। आधारभूत संरचना के रूप में ठाकुर हॉस्पिटल करनाल, देवजी नेत्रालय जबलपुर, पुष्पगिरी हॉस्पिटल हैदराबाद का सहयोग मिला। कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत Door to Door सर्वे व Key Informant Technique एवं शिविर आधारित सर्वे के माध्यम से पंचायत, गांव एवं शहर में बस्ती और वार्ड के स्तर पर सर्वे का कार्य शुरू किया गया, मरीजों का विधिवत डेटाबेस तैयार किया गया। जरुरतमंदों को निःशुल्क ऑपरेशन और नेत्ररक्षकों के माध्यम से पोस्ट ऑपरेटिव केअर की व्यवस्था की गई।

नेत्रदान जागरूकता के कार्यक्रम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितम्बर एवं परम पूजयनीय गुरूजी के जयन्ती सप्ताह फरवरी में हर साल व्यापक रूप से किया जा रहा है।

कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान (CAMBA) के अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं उत्तर – नयी दिल्ली, दक्षिण – हैदराबाद , पूर्व – गुवाहाटी एवं पश्चिम भारत – जबलपुर शहर में आयोजित की, जिसमे नेत्र शल्य चिकित्सक,

नेत्र बैंक के निर्देशक एवं सक्षम के सदस्य सम्मिलित हुए, नेत्रदान सम्बन्धित विभिन्न रणनीतिक मुद्दों पर कॉर्निया प्रत्यारोपण, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल, आँखों के सर्जन, आँखों के बैंकों और समुदाय के बीच अच्छे समन्वय के विकास पर चर्चा कि गयी।

वर्तमान में कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत का सघन अभियान देश के सभी सक्रिय जिलों में चल रहा है, देश के सभी जिलों में किसी न किसी रूप में अभियान विद्यमान है। कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान में जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कदम रखा तो समझ में आया की अवोइडेबल ब्लाइंडनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ऐसे कई कारण है जिनसे अन्धत्व बढ़ रहा है और मजबूरी में सक्षम को अवोइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री भारत अभियान भी शुरू करना पड़ा।

माधव नेत्रबैंक की श्रृंखला के सभी नेत्रबैंक माधव नेत्रबैंक नागपुर, माधव नेत्रबैंक करनाल, दादा वीरेंद्रपुरीजी नेत्रबैंक जबलपुर, माधव नेत्रबैंक अम्बाला, माधव नेत्रबैंक चंडीगढ़, डॉ. बी. एस. मुंजे नेत्रबैंक नाशिक, वासन नेत्रबैंक हैदराबाद एवं गुंटूर आईबैंक नेत्रदान, नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, इसके अलावा आठ नेत्र संग्रह केन्द्र भी क्रियाशील हैं।

परिणामः

कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान के कारण गाँवो में नेत्ररक्षक की व्यवस्था खड़ी हुई। पुरे देश में 400 नेत्र विशेषज्ञों एवं नेत्र अस्पतालों की एक बड़ी टीम भी खड़ी हो गई। काम्बा के प्रारंभ से देश में नेत्रदान एवं नेत्र प्रत्यारोपण के आँकड़ों में उछाल आया हैं। इस 3 वर्ष में काम्बा अभियान के तहत 58 जिलों के में 2017 गाँव या बस्ती में 44,43,816 आबादी का सर्वेक्षण किया गया। 1321 नेत्रजाँच शिविर में 1,11,656 दृष्टिबाधितों को चिह्नित किया गया। 378 नेत्रप्रत्यारोपण सहित 18,977 नेत्र सम्बन्धित ऑपरेशन हो चुके हैं।

सक्षम के लिए गौरव की बात है कि काम्बा अभियान का module तेलंगाना सरकार को इतना पसंद आया कि तेलंगाना में अन्धत्व निवारण के लिए **''कंटीवेलगु''** नाम से इस अभियान को सरकार ने ले लिया। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और हरियाणा में भी राष्ट्रीय अन्धत्व निवारण कार्यक्रम में सक्षम महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

कॉर्निया ट्रांसप्लांट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नियमों से अलग करने हेतु CAMBA के पदाधिकारियों ने केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री से मिलकर पॉलिसी में बदलाव का आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि कॉर्निया एक टिश्यू हैं ऑर्गन नहीं हैं अतः इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कठिन नियमों कि सूची से निकाला जाए विषय सरकार के पास विचाराधीन है। राज्य एवं केन्द्र सरकार की पॉलिसी मैकिंग में भी सक्षम अपने अनुभव और प्रभाव का उपयोग कर रहा हैं।

काम्बा राष्ट्रीय टोली

नेत्रकुम्भः 2019 का वर्ष कॉर्निया अन्धत्व मुक्त भारत अभियान के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव था जब प्रयाग के महाकुंभ में एक मेगा आई स्क्रीनिंग शिविर नेत्रकुम्भ का आयोजन हुआ। सेवा का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम एवं विविध सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा 52 दिन में कुल 2 लाख से अधिक लोगों की नेत्रजाँच कर डेढ़ लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। हजारों लोगों का नेत्र ऑपरेशन चयनित नेत्र अस्पतालों में करवाया गया। 400 नेत्र चिकित्सक एवं 700 ऑप्टोमेट्रिस्ट ने नेत्रकुंभ में सेवा दी।

नेत्रकुंभ से प्रेरणा लेकर केरला में महाशिवरात्री के दिन और मणिपुर में (6 दिवसीय) नेत्रकुम्भ का आयोजन किया गया।

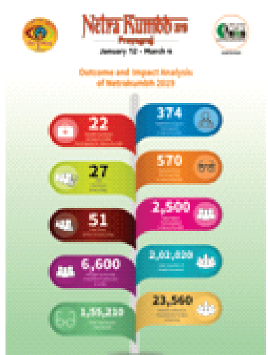

सक्षम प्रकल्प

उमेश अंधारे
राष्ट्रीय सहसचिव

1. **"समदृष्टि", कालिकट** (केरल) में चलने वाले आवासीय स्वरोजगार प्रकल्प में दीपक, केंडल, छत्री, फाइल्स, पेपर बैग्स बनाते हैं।

"धीमहि", तिरुअनंतपुरम (केरल) में बुद्धिबाधित बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल चलता है।

संत सूरदास भजन मंडली प्रकल्प, पलक्कड़ (केरल) के अंतर्गत दृष्टिबाधित बन्धुओं को संगीत सिखाते है और संगीत सामग्री देते है। वे भजन, कीर्तन से धनार्जन कर स्वावलंबी हो रहे है।

2. **त्रिपुर** (दक्षिण तमिलनाडु) में **गारमेंट्स उद्योंग प्रकल्प** दिव्यांग बन्धु चलाते है। **कन्याकुमारी एवं मदुरई** (दक्षिण तमिलनाडु) में दिव्यांग बन्धुओं के लिए **सिलाई केन्द्र और सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र** चलता है।
3. **प्रणव प्रकल्प, हैदराबाद** (तेलंगाना) में निलोफर हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं का श्रवण जाँच केन्द्र चलाया था जिसमें दो वर्ष में 24 हजार शिशुओं को श्रवण जाँच करने के कारण, इस प्रकल्प को विश्व हिअरिंग फोरम में सदस्यता मिली।

4. **नेत्र संकलन केन्द्र, कन्दुकुर एवं गुंटूर** (आंध्रप्रदेश) में सक्रिय है।

5. **छात्रवृत्ति, राशन वितरण एवं स्वरोजगार केन्द्र (कोंकण)** : सक्षम मुम्बई इकाई बेरोजगार हॉकर्स को मासिक किराने का सामान दिया जाता हैं । छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के माध्यम से इन फेरीवालों के बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । उनको स्वावलंबी करने के लिए सिलाई मशीन, वजनी स्केल मशीन, रेफ्रीजिरेटर, आटा चक्की आदि प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर कमाई में मदद मिल सके ।

6. **ब्रेल युनिट (गोवा)**: दृष्टिबाधित विद्यार्थिओं के सुविधा हेतु गोवा सरकार के सहयोग से ब्रेल बुक निर्माण एवं लाईब्ररी 2014 से प्रारंभ हुई। अभीतक 110 किताबों का निर्माण कर उसे विभिन्न संस्थाओं एवम लाईब्रेरी मे वितरित किया गया है।

   स्क्विंट (तिरछापन) सुधार केन्द्र (गोवा): गोवा मेडिकल कॉलेज की सहायता से अभीतक 110 स्क्विंट सुधार शल्यक्रिया की गई है।

7. **ब्रेल ग्रंथ निर्मिती केन्द्र, नागपुर महानगर (विदर्भ)**: दृष्टिबाधित विद्यार्थी एवम नागरिकों के लिये अभीतक कुल 250 ग्रंथों की निर्मिती हुई हैं, जिसमे शैक्षणिक, धार्मिक एवम् साहित्य की किताबें हैं।

   इ–बुक निर्मिती केन्द्र (ऑडिओ), नागपुर महानगर (विदर्भ): दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिये अभीतक 100 किताबों की निर्मिति हुई है।

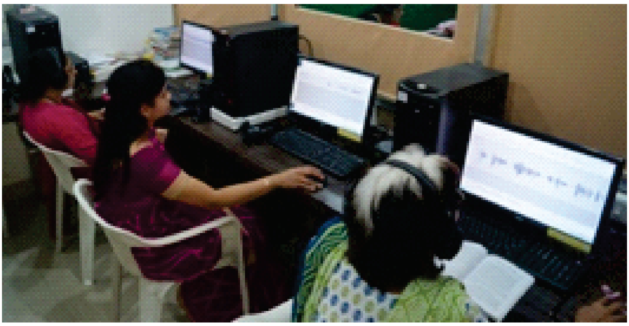

स्टडी सेंटर, नागपुर महानगर (विदर्भ): इस सेंटर मे दृष्टिबाधित विद्यार्थीओं को सभी प्रकार के फॉरमेट मे साहित्य उपलब्ध है।

सुदर्शन समदृष्टी प्रकल्प, नागपुर महानगर (विदर्भ): छोटे बच्चों के आँखों का तिरछापन (स्क्विंट) सुधार करने के लिये हर माह शिविर के माध्यम से बच्चों की जाँच और शल्यक्रिया की जाती है। अभीतक कुल 57 शिविरों में 1825 बच्चों की जाँच कर 740 बच्चों पर यशस्वी शल्यक्रिया की गई ।

दिव्यांग रोजगार प्रकल्प, नागपुर महानगर (विदर्भ): इस प्रकल्प के माध्यम से जिन दिव्यांगों को रोजगार चाहिए उनका पंजीकरण और जो लोग रोजगार दे सकते हैं उनसे संपर्क करके रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अभीतक 891 दिव्यांग यहाँ पंजीकृत हैं और 366 लोगों को रोजगार दिलाया गया है।

अल्पदृष्टि सुधार सेवा केन्द्र, नागपुर महानगर (विदर्भ) : निःशुल्क अल्पदृष्टि एवं आँखों की जाँच के लिये 100 शिविर आयोजित किये गये हैं। 3000 लोगों की अल्पदृष्टि समस्याओं की जाँच की गयी तथा 60 प्रतिशत से अधिक लोगों को समुचित अल्पदृष्टि उपकरण उपलब्ध करवाये गये हैं।

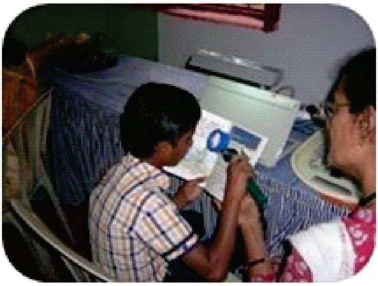

8. **सेवायाम प्रकल्प (जयपुर):** सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर की आपातकाल इकाई में प्रकल्प संचालित है। जिसमे किसी भी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त राहत देने हेतु चिकित्सा, अटेंडेंट, ओर रक्त इन तीनों की आवश्यकताए पूरा करने के लिए तीन आयाम चलाये जाते है।

   1. परिजन (अटेंडेंट) आयाम, (बड़ी आयु के समाज बंधु सेवा देंगे)
   2. नर्सिंग छात्र चिकित्सा आयाम (नर्सिंग कॉलेजों के छात्र सेवा देंगे)
   3. रक्तदाता आयाम (अन्य डिग्री कॉलेजों के छात्र सेवा देंगे)

   समूह में तीनों श्रेणी के दो–दो कार्यकर्ता कुल 6 अनिवार्य है। इस प्रकार से सेवा समूह अपने निर्धारित वार के अनुसार आकर सेवा देता है। अब तक 2 लाख लोग लाभांवित हुए तथा sdp फोर डेंगू के जरिये 1000 लोगों को 20 मिनिट के अंदर सेम ग्रुप का प्रिपेयर डोनर उपलब्ध करवाया गया व 200 लावारिश रोगी बचाये गए। प्रतिवर्ष 300 युवा सेवा करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं ।

9. **माधव नेत्र ज्योति सोसाइटी, अम्बाला (हरियाणा) :** कपिल आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगे हुए माधव नेत्र बैंक के माध्यम से सैकड़ों नेत्रदान होते हैं। नेत्र शिविरों के माध्यम से नेत्रजाँच, दवाइयाँ, चश्मा वितरण, भेंगापन इ. शल्यचिकित्सा करते हैं।

माधव आई बैंक, करनाल (हरियाणा) में लगभग 3 हजार नेत्रदान संपन्न हुए। विभिन्न नेत्रालयों में 2500 कोर्निया प्रत्यारोपण हुए। करनाल सक्षम के माध्यम से 110 नेत्रजाँच शिविर हुए और ठाकुर आई हॉस्पिटल में 400 कॉर्निया प्रत्यारोपण हुए।

10. सचल नेत्रदान संकलन केन्द्र, दिल्लीः

सक्षम दिल्ली प्रांत नेत्रदान संकलन केन्द्र के माध्यम से अब तक 1012 नेत्रदान हो चुके हैं। AIIMS दिल्ली एवं राजेंद्र प्रसाद सेंटर फार ऑफ्थेलमिक साइंसेज से सन् 2016 में मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। 2 टैक्नीशियन सहित कॉर्निया कलेक्शन वेन के माध्यम से नेत्रदान की कॉल आने के बाद 2 घंटे के अंदर कॉर्निया कलेक्ट करके आई बैंक तक पहुंच जाता है । 24X7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1800111090 व्यवस्था है।

दिल्ली मे सबसे अधिक नेत्रदान कराने वाली संस्था के तौर पर सक्षम की दिल्ली इकाई को 2015 से लगातार डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑफ्थेलमिक साइसेंज, एम्स की ओर से सम्मानित किया जा रहा है।

सक्षम से सम्बद्ध प्रकल्प

1. **कृष्णज्योति सेवाश्रय, पलक्कड़** (केरल) दृष्टिबाधित व्यक्तिओं का आवासीय केन्द्र है। अगरबत्ती स्वरोजगार प्रकल्प, कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं।

2. **श्री विवेकानंद महारोगी आरोग्य केन्द्र राजमंडरी (आंध्र):** कुष्ठबाधितों के किये आवासीय पुनर्वास प्रकल्प।

3. **श्रेया, अमलापुरम** (आन्ध्र) दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बुद्धिबाधित बच्चों का, छात्रों की विशेष पाठशाला है।
4. **प्रभातसिन्धुरी, गुंटूर** (आन्ध्र) बुद्धिबाधित छात्रों के लिए विशेष पाठशाला एवं थेरपी सेंटर है।
5. **संवेदना, लातूर** (देवगिरी) सेरेब्रल पाल्सी इ. बहुविकलांग बच्चों की विशेष पाठशाला एवं पुनर्वसन केन्द्र है। साथ साथ 18 वर्ष पूर्ण किये बुद्धिबाधित व्यक्तिओं का आवासीय केन्द्र भी है।

6. **दिव्यांग कल्याणकारी संस्था, पुणे** (प.महाराष्ट्र) चलनबाधित दिव्यांग छात्रों के लिए आवासीय छात्रालय एवं पुनर्वसन केन्द्र है।

7. **कोक्लिया, पुणे (प.महाराष्ट्र)** श्रवणबाधित छात्रों की विशेष पाठशाला है। मुख्यतः शिशुओं का शीघ्र पहचान और स्पीच थेरपी, वैद्यकीय चिकित्सा केन्द्र है।

8. **देवजी नेत्रालय,जबलपुर** (महाकौशल) सुसज्जित सम्पूर्ण नेत्र चिकित्सालय है।
9. **देवजी आईबैंक, जबलपुर** (महाकौशल)
10. **भारतीय कुष्ठ निवारण संघ, चाम्पा** (छत्तीसगढ़) कुष्ठ रोग मुक्त दिव्यांग बंधूओं का पुनर्वसन केन्द्र है। उनके माध्यम से MCR चप्पल, दरी, चौक बनाने का स्वरोजगार प्रकल्प भी है। खेती यहाँ का विशेष व्यवसाय है।

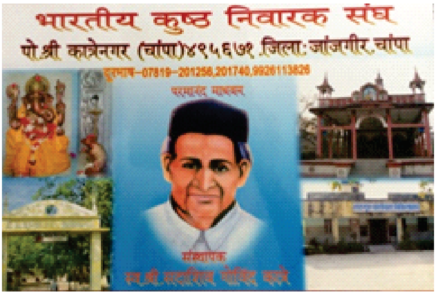

दिव्यांग सेवा केन्द्र

श्री दयालसिंह पँवार
सक्षम राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिव्यांग–बन्धुओं के सर्वांगीण विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनके अपेक्षित योगदान की पार्श्व–भूमि को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संगठन का ऐसा मानना है कि सक्षम की प्रत्येक जिला इकाई में दिव्यांग सेवा केन्द्र का संचालन किया जाए। दिव्यांग सेवा केन्द्र ही किसी भी इकाई की वास्तविक पहचान तथा प्राथमिक आवश्यकता है।

1. आदर्श दिव्यांग–सेवा–केन्द्र की परिकल्पना :

दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के लिए जिस आदर्श दिव्यांग सेवा केन्द्र की हम परिकल्पना करते हैं, उसमें ऐसा वातावरण निर्मित हो, जिसमें आकर दिव्यांग–बन्धु निकटता तथा आत्मीयता का अनुभव करें । जिस मुद्रा में वे केन्द्र में प्रवेश करें, वहाँ से लौटते हुए उनके मुख पर उसकी अपेक्षा अधिक सन्तोष एवं प्रसन्नता दिखाई दे ।

2. सेवा केन्द्र के प्रमुख कार्यकलाप :

इस केन्द्र में संचालित होने वाली गति–विधियाँ ही इस केन्द्र की हमारी परिकल्पना को सार्थकता प्रदान करती हैं ।

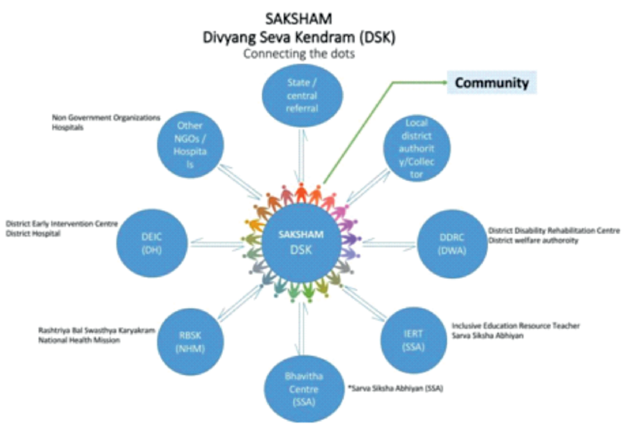

- दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, रेलवे पास, बस–पास तथा पहचान–पत्र आदि सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज केन्द्र में उपलब्ध हों तथा उनको प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन का मार्गदर्शन किया जा सके।
- District Early Intervention Center (DEIC), चिकित्सक, थेरेपिस्ट आदि से संपर्क स्थापित कर उनकी सभी जानकारी केन्द्र के पास हो और

समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिव्यांगों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो।

- विशेष पाठशाला एवं पुनर्वसन केन्द्र आदि से संपर्क स्थापित किया जाए और समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिव्यांग बच्चों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो।
- दिव्यांग विशेषज्ञ, अधिवक्ता, काउंसलर से संपर्क किया जाए और दिव्यांग बन्धुओं को उनका सहयोग मिले।
- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मन्त्रालय तथा मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय की ओर से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति दिव्यांग छात्र–छात्राओं को प्राप्त करने में केन्द्र सदा तत्पर रहे।
- District Disability Rehabilitation Center (DDRC) तथा अन्य सेवाभावी संस्थाओं से संपर्क कर दिव्यांगों के लिए सहायक सामग्री, उपयोगी उपकरण तथा सहायक तकनीक आदि उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जावे।
- आयकर आदि में विभिन्न प्रकार की छूट तथा विकलांगता पेंशन से सम्बन्धित समस्याओं में मार्गदर्शन और सहायता मिल सके।
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय में जनसाधारण तक जागरूकता उत्पन्न करने के सतत प्रयास किए जावें।
- दिव्यांगों के रोजगार संबंधी विविध प्रकार के मार्गदर्शन, स्वरोजगार तथा कुटिर उद्योग धंधों हेतु मार्गदर्शन एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिता–परीक्षाओं तथा सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन–पत्रों के प्रपत्र भी केन्द्र द्वारा भरवाने की व्यवस्था हो।
- दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनकर आवश्यकता अनुसार विकलांगता आयुक्त या अन्य सम्बन्धित विभागों तक पहुंचने के प्रयास किए जाएं।
- सम्पूर्ण जिले में दिव्यांग बन्धुओं का सर्वेक्षण हो और उनकी जानकारी केन्द्र के पास रहे।

3. व्यवस्था सम्बन्धित विषयः

- सेवा–केन्द्र का स्थान ऐसा हो, जहाँ दिव्यांग–बन्धु सुगमता से पहुंच सके । किसी समाजोपयोगी स्थान या किसी कार्यकर्ता के घर पर भी केन्द्र का संचालन किया जा सकता है ।

- केन्द्र के सुचारु संचालन के लिए 4–5 संवेदनशील, समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की टोली होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का व्यवहार आत्मीयतापूर्ण हो।
- किसी भी कार्यालय की तरह सेवा–केन्द्र में कुर्सियाँ, मेज, लेखन–सामग्री, पंजिकाएं (फाइल्स), कम्प्युटर, प्रिंटर, पेयजल सुविधाएँ आदि मूलभूत सामग्री का होना आवश्यक है। दिव्यांग–बन्धुओं के सामान्य आतिथ्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- समय–समय पर निर्गत होने वाले विकलांगता से सम्बद्ध केन्द्र सरकार तथा राज्य–सरकारों के विभिन्न विभागों के शासनादेश, दिव्यांगजन के लिए रोजगार–सूचना, आर.पी.डी. अधिनियम की प्रति, दिव्यांगजन को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की सूचनाएं आदि केन्द्र में उपलब्ध हों।
- केन्द्र का नियमित रूप से चलना बहुत आवश्यक है। यदि प्रतिदिन सम्भव न हो तो साप्ताहिक संचालन तो होना ही चाहिए।

4. संकल्पः

अपेक्षा है कि सक्षम के माध्यम से ऐसे दिव्यांग सेवा केन्द्रों का जाल जिले–जिले तक बिछाया जाए तो दिव्यांग बन्धु निश्चय ही समाज में सहभागी बनकर समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में निर्बाध रूप से अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे तथा समाज एवं राष्ट्र को भी उनके योगदान से अधिकाधिक लाभ मिलेगा।

5. सफल प्रयोगः

केशव दिव्यांग सेवा केन्द्र चण्डीगढ़

यहाँ वाक चिकित्सा (speech therapy) की व्यवस्था है, जिसका अब तक सैंकडों लोग लाभ उठा चुके हैं। इसके साथ दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहीं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु ऑडियो रिकार्डिंग की भी व्यवस्था है।

दक्षिण असम प्रांत में दिव्यांग विकास केन्द्र सिलचर एवं गोलवलकर दिव्यांग सेवा केन्द्र करीमगंज में दिव्यांगों के पेंशन इ. समस्याओं के निदान, पुनर्वास पहचान, उपकरण वितरण करते है। विभिन्न प्रकार के खिलौनें और मास्क बनाने में कार्यरत है। **तेलंगाना प्रान्त में निर्मल,**

गदवाल में सक्रिय दिव्यांग सेवा केन्द्र चल रहा है।

देवगिरी प्रान्त लातुर में संवेदना संस्था के माध्यम से चलनेवाले DDRC के साथ सक्रिय दिव्यांग सेवा केन्द्र चल रहा है।

मध्य भारत: भोपाल प्रांत कार्यालय, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में दिव्यांग केन्द्र का संचालन हो रहा हैं ।

मेरठ प्रान्त में गाजियाबाद एवं नोयडा में सक्रिय दिव्यांग सेवा केन्द्र संचालित किया जा रहा हैं ।

जिसमें विशेष शिक्षकों द्वारा सेवाएं दी जा रही है ।

ब्रज प्रांत में मैनपुरी एवं बदायूं में दिव्यांग सेवा केन्द्र संचालित किया जा रहा हैं।

।। सक्षम भारत – समर्थ भारत ।।

प.पू. सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत
राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर ३० सितम्बर २०१८

सक्षम के दशकपूर्ति कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की कुछ विशेषताओं का अनुभव करते हुए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, क्यों की 7–8 वर्ष पहले दिव्यांगों का विषय लेकर चिंतन, प्रयास, प्रयोग सब चले और बाद में सक्षम इस नाम से यह कार्य प्रारंभ हुआ और दस साल के अवधि में इसका एक सुन्दर, पर्याप्त बड़ा ऐसा अखिल भारतीय रूप इस अधिवेशन में हम सबको अनुभव हो रहा है। यह पहली विशेषता है। जो कार्य हाथ में लिया है वह बड़ा कठिन है तो भी कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण देशव्यापी संगठन खड़ा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में शासन और समाज को same page पर होना चाहिए, ऐसा मिलता नहीं है, यहाँ पर मिल रहा है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है और दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। यह दूसरी विशेषता है।

दिव्यांगों की समस्या केवल सक्षम की समस्या नहीं सारे समाज की समस्या है:

यह पहला चरण हो गया की अखिल भारतीय रचना खड़ी हो गई। परन्तु बहुत आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाना है की दिव्यांगता समस्या के रूप में हमारे समाज में ना रहे इसलिए कुछ बातों को समाज को समझना चाहिए कुछ बातें कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए। यह तो समाज का कर्तव्य है, समाज इसको करने के लिए सक्षम बने। (उदा. गाँव में सफाई करनेवाले स्वयंसेवी संस्था और समाज का दृष्टिकोण)। पहले हम करेंगे तो यह काम होगा, इसलिए हम पहले कर रहे है। इसके पीछे आत्मीयता की प्रेरणा है, ये हमारे समाज का अंग है, सारे समाज के साथ इनको बराबरी में खड़ा करना चाहिये। दिव्यांगों की समस्या होना यह हमारे लिए एक कलंक है। पूरे समाज का हाथ लगने से ही इस समस्या का पूर्ण निदान होगा। दिव्यांगों की समस्या केवल सक्षम की समस्या नहीं सारे समाज की समस्या है।

दिव्यांग कार्य की प्रकृति के अनुसार संगठन की कार्यपद्धति:

हर एक काम का स्वरुप अपनी–अपनी प्रकृति के अनुसार रहता है। इसके अनुसार कार्यकर्ताओं की आदते और कार्यपद्धति की स्वस्थता महत्त्वपूर्ण है (उदा. एक विद्यार्थी विषय रखते समय कमीज की बटन को घुमाने की आदत)। इसके लिए

1. संगठन का अनुशासन अनिवार्य पालन करना है।

2. हमारा काम संगठन का है, संगठन यानि सब मिलकर काम करें और मिलकर काम करते रहे। Coming together is beginning, working together is progress and staying together is success.

3. जैसा विनोबाजी ने कहा कार्यकर्ताओं की कार्यशीलता और चिंतनशीलता दोनों संतुलित परिणाम में साथ–साथ जब बढ़ती है, तब कार्य स्वस्थ रूप में चलता है और यशस्वी होता है।

4. प्रत्येक कार्यकर्ता में प्रतिबद्धता (commitment) आवश्यक है। प्रतिबद्धता यानि अपने आप को कार्य के साथ बांध लेना, कार्य के साथ हम बंध गए तो फिर कार्य होगा।

अपनत्व के भाव के बल पर ही कार्य होगा:

अब मै निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सक्षम का काम इस स्तर पर आ गया है कि उसकी बातें समाज में, शासन में, प्रशासन में और सहयोगी कार्यकर्ताओ में भी गंभीरता पूर्वक ली जायेगी। इस अनुकूलता में हम सर्वव्यापी बनें और दिव्यांगों की आवश्यकताएँ पूर्ण करें। इसके अनुसार हमारे संगठन की रचना कार्यक्रम योजना करें। इतना बड़ा अधिवेशन हमने कर लिया तो इतना बड़ा दायित्व भी हम चाहे या ना चाहे हम पर आ गया। अब उसको पूरा करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन यह compulsion नहीं है। It is a matter of love. अपनत्व के भाव के बल पर ही हम आगे की जिम्मेदारी निभा सकेंगे (उदा. छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगड किला और हिरकणी की घटना)। इस अपनत्व की संवेदना से सारा समाज एकत्रित होगा, वह दिव्यांगों तक सीमित नहीं रहेगी सम्पूर्ण विश्व के लिए हो जायेगी। इसी संवेदना में से विश्वगुरु भारत खड़ा करने का कतृत्व यह समाज दिखा सकेगा। अपने कार्य की सम्पूर्ण सफल परिणति भी शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो, ऐसा बल और प्रेरणा आपको भगवान दे।

मा. सरकार्यवाह श्री भैय्याजी जोशी

(अखिल भारतीय प्रांत सचिव बैठक रायपुर 16 फरवरी 2020)

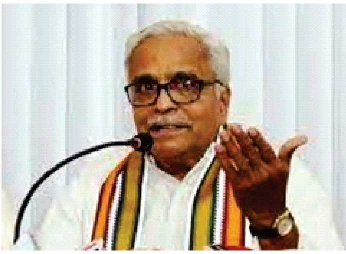

नेत्रहीन बंधुओं के लिए प्रारंभ हुआ कार्य आज सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए हो रहा है। साथ ही जैसे–जैसे शक्ति बढ़ती गई, कार्य भी बढ़ता गया। कार्य का विस्तार सिद्धांत की गंभीरता से ही नहीं बल्कि करने वाले से भी है।

कोई कार्य अगर किसी माँग को लेकर है, आंदोलन स्वरूप है तो वह उस माँग की पूर्ति तक ही है। कार्य किसी विशेष उद्देश्य को लेकर है तो वह उस उद्देश्य की पुर्ति तक के समय तक रहेगा। परन्तु कार्य किसी समस्या के समाधान के लिए है तो उसे उस समस्या के समाधान तक करते रहना होगा। दिव्यांगजनों के लिए कार्य उनकी माँग, सुविधा, साधन, संसाधन मिलने तक नहीं है, क्योंकि सक्षम के कार्य की शुरुआत उनके द्वारा कोई माँग रखे जाने पर नहीं हुई।

दिव्यांगता का विषय निरन्तर है इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जैसे पोलियो का समाधान अब हो गया है। पोलियो से ग्रस्त अब नहीं होते हैं परंतु उसके कारण जो दिव्यांगता है उनके लिए कार्य है। कुष्ठरोग खत्म हो गया परन्तु उसके कारण बाधिता हो गई, तो इनके लिए कार्य करना है। इसी प्रकार भिन्न श्रेणी दिव्यांगता कब समाप्त होगी यह पता नहीं है। जिन्होंने इनके लिए कार्य शुरू किया है उनकी ही जिम्मेदारी है कि इसे निरन्तर रखें। तो जो कार्य आरम्भ किया है और कर रहे हैं उसे आनंद और मन को संतुष्ट करते हुए कार्य करते रहना है।

कई प्रकार के प्रयोग करते हैं तो कई बातें ध्यान में आती हैं तो कभी कभी रास्ता भी बदलना पड़ता है। दिशा तो वही रहती है दिशा नहीं बदलती, पर कार्य का प्रकार बदलना पड़ता है।

दिव्यांगजनों के लिए कार्य करते समय पथ्य अपथ्य:

दिव्यांगजनों के मध्य कार्य करना, सामान्य जन के लिए कार्य करने से अलग है। दिव्यांगजनों के लिए कार्य करते समय कौन सी बातें ध्यान मे रखनी पड़ती हैं? हमे क्या पथ्य अपथ्य रखना होता हैं? हमे क्या करना हैं और क्या नहीं करना हैं?

- दिव्यांगजनों के लिए अधिक भावुक नहीं होना, तो कठोर भी नहीं होना।
- दिव्यांगजनों में हर कोई समान नहीं है । हर दिव्यांग एक दूसरे से अलग –अलग है । कार्य करते समय उनके बीच तुलना न हो । उनमें अन्तर नहीं

करना । जो जहाँ है उसे उसके उसी स्तर पर जाकर उठाना। हर दिव्यांग भिन्न है तो उसकी आवश्यकता और मनःस्थिति भी भिन्न है, उसे समझकर उसके अनुसार कार्य करना है।

- मेरी उपेक्षा हो रही है उसे ऐसा नहीं लगे। हमें हमारे शब्दों, हावभाव और क्रियाओं पर हमेशा ध्यान देना होगा। उसकी दिव्यांगता और कमजोरी को चिह्नित नहीं करना है। आपमे कोई कमी है इसलिए हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं ऐसा नही कहना और न ही उसे महसूस होने देना।
- आपको आपकी कोई गलती का अनुभव होता है तो वह गलती दुबारा ना हो।

समदृष्टि एवं क्षमता विकासः

सक्षम के नाम मे ही क्षमता विकास है और समदृष्टि भी है। दिव्यांगजनों के मध्य कार्य करते समय विकास की क्या संभावनाएँ हैं ? कौनसे बिन्दुओं पर हमें समदृष्टि और विकास की बात करनी चाहिए ? क्षमता विकास का क्या अर्थ है ?

दिव्यांग व्यक्ति के मन मे एक हीनभाव रहता है तो हमारा कार्य ऐसा हो कि वह हीनभाव समाप्त हो सके, तो ही वह क्षमता विकास है, सही परिणाम है। मै सभी के समान हूँ यह भाव उसके मन मे आये।

हर दिव्यांग मे कुछ प्रतिभा कुछ हूनर तो निश्चित होता है, वह शून्य नहीं होता। उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता को समझकर, उसे पहचानकर जैसे माँ को समझ मे आ जाता है, तो उसी भावनात्मक स्तर पर निकट जाकर उसकी विशेषता, प्रतिभा को ऊपर ले जाया जाए। उसका हीनभाव दूर हों, मैं भी किसी से कम नही हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ यह विश्वास बढ़ाने के प्रयास हों। उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आये। मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दिव्यांगता सौ प्रतिशत ठीक नहीं हो, पर स्वाभिमान जगे। क्षमता, ताकत, प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए स्वाभिमान आये।

सक्षम के संपर्क मे आने के बाद उन्हे संस्कार, व्यवहार और दृष्टिकोण जो मिलते हैं, इसके कारण मेरे पास भी समाज को देने के लिए कुछ है, यह भाव उसके मन मे आए। शारिरीक कमी हो सकती है पर दिव्य अंग भी है दिव्य अंश भी है। उनकी भी संवेदना है, मन है, दैवीय गुण है उसे पहचान कर क्षमता विकास करना, बढ़ाना ।

कार्यकर्ता को सीखने की मनःस्थिति चाहिए:

सक्षम का कार्य करते हुए हमको भी सक्षम बनाना होता हैं । समय समय पर विचार करते हुए करना होता है । प्रश्न रोज खड़े होते हैं । हर समस्या

भिन्न है तो रास्ता भी भिन्न है, करते करते कार्य को परिष्कृत करते जाना है।

कार्य की विशेषता है तो मर्यादा भी है । हमारी सिद्धता कि मै सक्षम का कार्यकर्ता हूँ तो इस कार्य के लिए योग्य भी बनते जाना है, गहराई में जाना होगा। समस्या के अध्ययन की, उसे समझने की आवश्यकता है।

प्रत्येक दिव्यांग की स्थिति जानने के लिए उसी धरातल पर जाना होगा, उनकी मानसिक स्थिति तक पहुँचना होगा कि वह अपने जीवन के लिए क्या सोचता है।

एक मन्दबुध्दि बालक के मन मे भी विचार तो आते ही होंगे, उसकी आँखों में आँसु क्यों और कब आते हैं? क्रोध आता है तो क्यो आता है? बिना किसी कारण के तो नहीं आ सकता। उसके बोलने की तो ताकत नहीं हैं, पर हमें ही उस स्तर पर जाकर समझना होगा ।

एक पिता बेटे को कुछ समझाते समय अगर वह नहीं समझ पा रहा तो पिता पूरा–पुरा दोष बेटे को देता है कि यह समझता नहीं है पर वास्तव मे पिता नहीं समझ पा रहा है कि बेटे को किस प्रकार समझाना है। कार्य करते करते ही यह अनुभव में आता है।

हर एक कार्यकर्ता एक सामाजिक अकाउंट खोले:

नेत्र कुंभ का स्वरूप देखते हुए लगता है कि, सक्षम बहुत ताकतवर संगठन है कि दो लाख चश्मों का वितरण हुआ। सक्षम को उसी सम्मान से समाज देखेगा। जबकि सारा श्रेय और गौरव सक्षम का नहीं है। हमे सावधान रहने की भी आवश्यकता है कि मेरा कार्य है तो मै करूंगा पर श्रेय मेरा नहीं। एक ऐसा अकाउंट खोल कर रखें की सारी प्रतिष्ठा उसमें जाएं। पत्रक में नाम छपता है तो कुछ दिन तो उदासीनता रहती है पर बाद में गर्व होता है और नहीं छपता है तो दुख होता है। स्मारिका मे हमारे कार्य का फोटो छपे तो मेरा भी छपेगा, इस भाव से बाहर आए। संगठन प्रवाहमान है नए चेहरे, नए कार्यकर्ता सामने आयेंगे तो मैं ही बना रहूँ इस भाव से बाहर आना होगा। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा के लिए मेरा कार्य न हो।

आर्थिक विषय में प्रमाणिक और पारदर्शिता हो:

आर्थिक विषय, लेनदेन, ब्यौरा भी प्रमाणिक और पारदर्शिता के साथ हो। जहाँ आवश्यक हो वही व्यय हो। हमारे कार्यकर्ता अप्रमाणिक नहीं, अव्यवस्थित होते हैं, सामाजिक जीवन मे यह नहीं चलता। कोई प्रश्न नही खड़ा हो, आर्थिक विवरण समाज और सरकार के लिए व्यवस्थित हो।

समाज विश्वास करता है तो उसे धोखा नहीं देना। प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ ही वर्णन करना। जो कर रहे हैं कर सकते हैं वही कहना, बढ़चढ़कर नहीं कहना और बताना।

समाज का विश्वास जब बनता है, तो बिना कारण जाने सहयोग करता है। सक्षम संघ का है, इस बात से भी सहयोग मिलता है। प्रतिष्ठा, परम्परा से चलने वाले कार्य की ओर देखने की दृष्टि भी समाज की उसी प्रकार होगी। हमें समाज में क्या करना और क्या नहीं करना यह ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। समाज सहयोग करता है तो परीक्षा भी लेता है कि क्यों और कैसा कर रहे हैं। हम कार्य को जितना विचार और योजना पूर्वक करेंगे उतना ही सहयोग मिलेगा और करने वाले भी मिलेंगे।

एक ने कहा है कि आज के आर्थिक विवरण मे एडजस्टमेंट शब्द आ गया है। परन्तु यहाँ एडजस्टमेंट नही चलेगा हमारे कार्य और आर्थिक पक्ष दोनों का ऑडिट, आकलन होना चाहिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

अन्य संस्थाओं से भी कुछ सीखने को मिलता है अनुभव आता है तो उस आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अन्य समविचारी संस्थाओं के साथ काम करें और उनको भी साथ लेके आगे बढ़ें। तब समाज भी जुड़ेगा और सक्षम का कार्य भी बढ़ेगा।

मानननीय सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबले

(राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बेंगलुरु 17 सितम्बर 2017)

सक्षम विकलांगता क्षेत्र में कार्यरत संगठन है। इस शब्द का स्पष्ट अर्थ है की कोई भी अक्षम नहीं अर्थात् सभी सक्षम हैं। विश्व में अनेक बदलावों के चलते विकलांगों के लिए अनेक शब्दों का व्यवहार होता रहा है, निशक्त, बाधित (challenged, differently abled), विशिष्ठ योग्यजन (specially abled persons) इत्यादि। इसी श्रृंखला में आजकल दिव्यांग शब्द का भी प्रयोग हो रहा है।

भगवान की रचना में सभी अपूर्ण हैं। शारीरिक दृष्टी से समर्थ होना पूर्णत्व की कसौटी नहीं है। मुनि अष्टावक्र शारीरिक दृष्टी से अपूर्ण थे परन्तु बुद्धि जगत में पंडित थे। श्रीमद् भगवद्गीता में जड़ चेतन को समदृष्टि से देखने की प्रेरणा देने वाला एक श्लोक है।

विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।।

दुर्भाग्य से आज समाज में बाहरी तौर पर दिखाई देने वाली असमानता को देखने की आदत हो गयी है। जो अपूर्णत्व हमें दिखाई दे रहा है हमें उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए किन्तु विकलांगता को पूर्व जन्म के पापों का परिणाम बताकर हमें अपने कर्तव्यों से भागने की आदत हो गई है। सैकड़ों वर्षों के मुगल और अंग्रेजी शासन के कारण समाज में शिथिलता आ गई। इसको दूर करने के लिए समाज में मानसिक क्रांति हेतु समय–समय पर महापुरुषों का धरती पर अवतरण हुआ। **सक्षम एक संगठन के दृष्टी से इस क्षेत्र में मानसिक क्रांति लाने के लिए कार्यरत है।**

सूर्य भगवान का सारथी **अरुण**, जिसके दोनों पैर नहीं थे, **भगवान वामन** बौने थे, मुनि **अष्टावक्र** का शरीर आठ जगह से टेढ़ामेढ़ा था, कृष्णभक्त महाकवि संत **सूरदास** दृष्टिबाधित थे, विनायक दामोदर सावरकर के मित्र प्रसिद्ध कवि **आबा** अस्थि–बाधित थे। शारीरिक न्यूनता व्यक्तित्व की न्यूनता नहीं है। भारत में कभी भी वैचारिक चिंतन में दोष नहीं था, कालांतर में सामाजिक व्यवहार में कुरीतियाँ पैदा हो गई।

अर्थशास्त्र में **चाणक्य** ने दिव्यांग बन्धुओं के लिए विशेष प्रावधान किये थे। **चन्द्रगुप्त** ने उनके राज्य में विकलांग पुनर्वसन केन्द्र की व्यवस्था की थी। 400 ई.पू. में भारत यात्रा करते हुए **फाह्यान** ने लिखा है की विकलांगों के लिए भारत में विशेष चिकित्सालय की व्यवस्था थी। सम्राट **अशोक** ने जनस्वास्थ्य

विषय में विकलांग बंधुओं के लिए विशेष सुविधाएँ दी थी। शासकों का मानना था की "प्रजा के संकट मेरे संकट हैं"। हमारे समाज में रंतिदेव, दधीचि, राजा शिबि आदि की भव्य परंपरा रही है।

वर्ष 1981 को संयुक्त राष्ट्र (U.N.) ने **विश्व विकलांग वर्ष** घोषित किया था। मेरे विद्यार्थी जीवन में अ.भा.वि.प. के छात्र दृष्टीबाधित छात्रों को किताबें पढ़कर सुनाया करते थे और मैंने भी अपने दृष्टीबाधित मित्रों को पुस्तक पढ़कर सुनाई थी। कर्नाटक अ.भा.वि.प. ने **विकलांग छात्र अधिवेशन** की योजना की थी जिसमें 250 छात्रों ने भाग लिया।

1985 से भारत में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ, 1995 में विकलांगता से सम्बंधित PwD (Persons with Disability Act) विकलांग व्यक्ति अधिनियम) कानून बनाया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों की संख्या ज्यादा थी, परन्तु 2011 में शहरी क्षेत्र में भी यह संख्या बहुत अधिक हो गई। शायद accidents, autism (स्वमग्नता) आदि इसके कारण होंगे।

विकलांगता के विषय में पहले दान आधारित अवधारणा (charity based) थी जब कि आज सभी अधिकार आधारित (Right based) अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी हो विकलांगों के सशक्तिकरण का कार्य भी राष्ट्र पुनर्निर्माण का कार्य है।

सक्षम में दो प्रकार के कार्यकर्ता है। स्वयं दिव्यांग बंधु और दिव्यांगों के लिए संवेदना से काम करने वाले सामान्य बन्धु। सामाजिक दायित्व से सोचने वाले Professionals भी हैं।

हम सभी को कुछ विषयों पर ध्यान देना आवश्यक हैं।

1. मैं किसी पद से सम्बन्धित नहीं हूँ, मैं मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं जीवनव्रती हूँ।
2. दिव्यांग बन्धु आत्मनिर्भर हों अतः उन्हें सेवित ही नहीं रहना है, सेवक भी बनना है। सहायता नहीं, सहयोग दृष्टी से काम करना है, कर्तव्य पालन करना है।
3. मेरी बात व व्यवहार से दिव्यांग बन्धु को कष्ट नहीं देना, sensitive दृष्टी, सूक्ष्म दृष्टी चाहिए। Behave in right manners- सही अर्थ में उचित व्यवहार करें।
4. हर एक कार्यकर्ता विकलांगता से सम्बन्धित एक आयाम व विषय में निपुणता के लिए प्रयास करे, इसके लिए यथासंभव विषयों का अध्ययन करना आवश्यक है।

5. परिवार के सदस्य को भी सक्षम में जोड़ना।

6. भावनात्मक होते हुए, व्यवहारिक दृष्टी से काम करना (एक अ.भा.वि.प. के पूर्णकालिक कार्यकर्ता ने दायित्वमुक्त होने के बाद अस्थिबाधित से विवाह किया और एक अन्य कार्यकर्ता ने श्रवणबाधित से विवाह किया, पूछने पर उस कार्यकर्ता ने बताया की मैंने उसकी चित्रकला से प्रभावित होकर विवाह किया)।

7. Work with empathy, not sympathy, no compassion, be passionate, no pity, make them self reliant and confident-

8. To bring change in attitudinal aspects, inaccessibility and discriminatory attitude.

9. Men may come, Men may go, Karyakarta may come and go. But Organisation will be forever, Best example of team spirit is cricket-सामूहिक और संगठित प्रयास से सब कुछ सफल होगा। संगीत में भी स्वर, राग, ताल, लयबद्ध होता है।

10. Workout minute details. Take care of small things. Take care of pennies, it will look after pounds.

11. रचनात्मक, आंदोलनात्मक काम करने के लिए सुदृढ़ संगठनात्मक कार्य खड़ा करना महत्वपूर्ण है।

12. लक्ष्य तय करो, इच्छाशक्ति से परिश्रम करो, विजय निश्चित है। सागर मंथन में अल्पवस्तु पाकर संतृप्त नहीं होना है।

हमारे सामने कई क्षमतावान celebraties है, इंटरनेशनल चौम्पियन मालती हुडा, Educationalist एम. के. श्रीधर, पैर से गाड़ी चलाने वाले विक्रम अग्निहोत्री, अधिवक्ता अशोक द्विवेदी, केवल सिर हिलाकर judgement देनेवाले हेग का न्यायाधीश (बाकि शरीर निशक्त) है। प्रतिभा और क्षमता को समग्रता से सोचना। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर अनुसन्धान भी करना है।

मूकं करोति वाचालम् पंगुम् लंघयते गिरिं।
यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्।।

समाज रूपी परमात्मा के माध्यम से विकलांग बन्धु बोलेंगे और पर्वतों की चोटियाँ पार करेंगे। यह ईश्वरीय कार्य है, इसमें ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग शामिल है, हिम्मत से काम करो।

अपने प्रयासों से दिव्यांग बन्धुओं को सक्षम बनाकर, **सत्यम शिवम सुन्दरम्** समाज स्थापित करना हमारा लक्ष्य है।

।। सक्षम भारत, समर्थ भारत ।।

मा. सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपालजी

प्रान्ताध्यक्षों की बैठक में 28.06.2020

हर संगठन को समय–समय पर संगठन के द्वारा संचालित कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। भविष्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए संकल्प करें तथा योजना तैयार करें। नए–नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगे बढ़ें। स्थिर मन से, बुद्धिपूर्वक सातत्य के साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना होगा। धीरे–धीरे एक–एक कदम आगे बढ़ें।

2011 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण देश में 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांग हैं। इस दृष्टि से आपके प्रान्त में क्या स्थिति है? वह दृश्य आपके आँखों के सामने आना चाहिए। अतः आवश्यक है कि आपकी प्रान्त–टोली बैठे, प्रान्त का दिव्यांगता–चित्र सामने रखे और फिर अध्ययन तथा विश्लेषण करे। प्रान्त की आवश्यकता के अनुसार जो उपक्रम चाहिए, उस पर चिन्तन–मन्थन करे। उस योजना को सफल बनाने के लिए यथावश्यक कार्यकर्ताओं, सामग्री तथा धन का संग्रह करें। योजना का सम्यक् क्रियान्वयन हो, इसके लिए आपमें संवेदना चाहिए। दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए आप में करुणा का भाव चाहिए। उनके दुःख से आपको भी पीड़ा होनी चाहिए। यह संभव है एकात्मबोध से। मेरा समाज, मेरे भाई–बहन पीड़ित हैं, इस भावना से संवेदना प्रवाहित होती है। संवेदना से करुणा और उसके कारण अपेक्षित तत्परता जाग्रत होती है। यानि समस्या–निवारण के लिए प्रभावी चिन्तन आवश्यक है। इन विषयों के परिणामकारी क्रियान्वयन के लिए शरीर, मन तथा बुद्धि की सिद्धता आवश्यक है।

भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ करुणा समाज की पूँजी है। समाज में सेवा–भावना सहज है। यदि समाज की इस शक्ति को एकत्रित करेंगे तो योजनाएं साकार होंगी। नेत्र–कुंभ इसका एक सफल उदाहरण है। देशभर के 450 नेत्र–चिकित्सकों ने प्रबल सेवा–भाव से समय दिया। परिणामतः 2 लाख से भी अधिक लोगों की नेत्र–जाँच हुई तथा डेढ़ लाख से अधिक लोगों को चश्मे वितरित किए गए। हर प्रान्त संकल्पबद्ध हो। यदि आप सक्रिय हुए तो आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए तथा योजना को सफल बनाने के लिए ईश्वर तैयार हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD Act)

संदीप रजक,
राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश

भारत ने 1 अक्तूबर 2007 को UNCRPD (United Nations Convention on Right of Persons with Disabilities) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये बनाई गई अंतराष्ट्रीय सन्धि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संन्धि में कही गई बातों को लागू करने के लिये भारत कानूनी रुप से बाध्य हो गया।

UNCRPD में कही गई बातों को लागू करने के लिये Persons with Disabilities Act 1995 पर्याप्त नहीं था। इसलिए भारत द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया जिसे राज्यसभा ने 14 दिसंबर 2016 को एवं फिर लोकसभा ने 16 दिसंबर 2016 को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन गया और सरकार ने इस नये कानून को 28 दिसंबर 2016 को नोटिफाई भी कर दिया। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत 15 जून 2017 को **दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017** भी भारत राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया गया।

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 का महत्वपूर्ण बिन्दुः

अ) सूचीबद्ध दिव्यांगताओं की संख्या को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, जो इस प्रकार है –

1. Blindness पूरी तरह से दृष्टिहीनता
2. Low Vision कम दिखाई देना
3. Hearing Impairment-Deaf आवाज न सुन पाना
4. Hard of Hearing - आवाज कम सुन पाना
5. Speech and Language Disability अभिवाक और भाषा निशक्तता

6. Locomotor Disability चलने फिरने में समस्या
7. Leprosy Cured कुष्ट रोग के प्रभाव से मुक्त हुये लोग
8. Dwarfism शरीर की ऊंचाई का कम रह जाना
9. Muscular Dystrophy
10. Acid attack Victim आम्ल आक्रमण पीड़ित
11. Intellectual Disability बौद्धिक विकलांगता
12. Autism Spectrum Disorder स्वलीनता
13. Cerebral Palsy प्रमस्तिष्कघात
14. Specific Learning Disability विनिर्दिष्ट विद्या निशक्तता
15. Mental illness मानसिक रुग्णता
16. Multiple Sclerosis
17. Parkinson's Disease
18. Thalassemia
19. Hemophilia
20. Sickle Cell Disease
21. Multiple Disabilities बहुनिशक्तता

इसके अलावा भी विधिवत् प्रक्रिया करके अन्य दिव्यांगताओं को भी इस सूची में शामिल करने के लिये सरकार अधिकृत है। बेंचमार्क (Benchmark) दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत को माना गया है। साथ ही धारा 58 (2) के तहत गंभीर एवं उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन को परिभाषित किया गया है।

आ) "अधिकार": धारा 3 के तहत समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तिओं के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन जी सके और उसकी सत्यनिष्ठा के लिये सम्मान का अधिकार प्राप्त हो। दिव्यांगजन की क्षमताओं के उपयोग के लिये बाधा रहित वातावरण प्रदान करना, किसी भी क्षेत्र में विभेद नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा एवं युक्तियुक्त आवासन प्रदान करने हेतु सरकार योजनाओं में प्रावधान करेगी। दिव्यांग महिला एवं बच्चों को भी समान अवसर और सहायता दी जायेगी साथ ही सामुदायिक जीवन में दिव्यांगजन को पूर्ण अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

धारा 8 के तहत जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की गयी है। दिव्यांगजन को प्रजनन का

अधिकार दिया गया है। सुगम्य मतदान, न्याय प्राप्त करने में सुगमता हेतु प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य को मान्यता दी गई है जिसके तहत संपत्ति एवं वित्तीय अधिकार उन्हें प्राप्त हुये है। गंभीर दिव्यांगजनों को सहायता हेतु सीमित संरक्षकता का प्रावधान किया गया है।

इ) **अपराध और शास्तियाँ:** धारा 6 के तहत दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। धारा 7 के तहत दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षण करने हेतु उपाय करने का प्रावधान है। धारा 92 के तहत ऐसे अपराधों के लिये दोषी को छः माह से पांच वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माने से दंडनीय करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के अधिकारों के हनन के मामलों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में विशेष कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को प्राप्त सुविधाओं का लाभ, गलत प्रमाण पत्र बनाकर उठाना भी दंडनीय है।

ई) **समावेशित शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार** के लिये भेदभाव रहित वातावरण दिया जाना है। बेंचमार्क दिव्यांग बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें इसलिये इस अधिनियम में 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल उपाय, बीमा योजना और पुनर्वास कार्यक्रम भी लागु किये जाना है। दिव्यांगजन का सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन व खेल गतिविधियों का ध्यान रखना है।

समुचित सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को समुदाय में सुरक्षित व आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन कार्यक्रम किये जाना है। दिव्यांगजनों के लिये शासकीय सेवा में आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। विशेष रोजगार के साथ ही निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को दिव्यांगजनों की सेवा करने के अवसर प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना है।

उ) **मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त** के अधिकारों को इस कानून में बढ़ा दिया गया है। दिव्यांगजनों की स्थानीय समस्याओं का हल निकालने के लिये राज्य सरकारें जिला स्तर की कमिटियाँ बनायेंगी।

ऊ) दिव्यांगजनों की सहायता के लिये **राष्ट्रीय और राज्य स्तर के फंड**

स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

ए) इस अधिनियम में निर्धारित समयसीमा के अंदर शासकीय एवं निजी सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजन आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम्य बनाये जाने का प्रावधान है।

इस तरह निशक्त व्यक्ति अधिकार कानून 2016 के जरिए भारत ने UNCRPD के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने हेतु एक मजबूत कदम उठाया है।

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम २०१६ के अंतर्गत निशक्तता के प्रकोष्ठ श: २१ प्रकार एवं उनके पहचान के लक्षण

1. धीमहि : बुद्धिबाधित (Intellectually Challenged)

ऑटिज्म

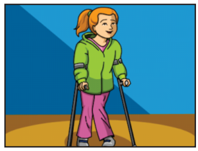

सेरब्रेल पाल्सी

मंदबुध्दि (डाउन्स)

लर्निंग डिसेबिलिटी

बहुविकलांगता

2. चेतना : मानसिक रूग्णता (Disability to Mental Illness)

Mental Behaviour
Mental Illness

Schizophrenia

3. दृष्टि : दृष्टिबाधित (Visually Challenged)

अन्धत्व

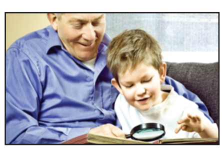

अल्पदृष्टि

4. प्रणव : श्रवण बाधित (Hearing Challenged)

Hearing Impairment-Deaf

Hard of Hearing

Speech & Language Disability

5. चरैवेति : अस्थिबाधित / शारीरिक दिव्यांगता
(Orthopedic / Physically Challenged)

Acid Attack Victims

मल्टीप्ल स्क्लेरोसिस

बौना

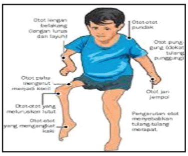
पोलिओ

स्पाइनल इंजुरी

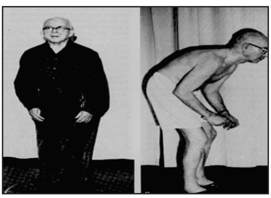
Parkinson's Disease

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

6. सविता : कुष्ठबाधित (Leprosy Cured but Disabled)

Leprosy Cured Person

Loss of Sensation
in Hands or Feet

7. प्राणदा : रक्तबाधित (Blood Disorder)

Haemophilia

Thalassemia

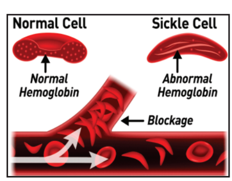

Sickle Cell

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

www.disabilityaffairs.gov.in

कमलाकांत पाण्डेय

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने और सम्बन्धित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। यह विभाग विभिन्न पणधारकों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वयन सहित दिव्यांग व्यक्तियों एवं विकलांगता से सम्बन्धित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

विभाग के अंतर्गत सांविधिक निकाय संस्थान और संगठन

अ) सांविधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद (विस्तृत लेख जुड़ा है)

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (CCPD)

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों, नियमावली आदि को लागू न करने और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मना करने से सम्बन्धित शिकायतों को देखने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गयी है।

(iii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (विस्तृत लेख जुड़ा है)

आ) राष्ट्रीय संस्थान

विकलांगता के क्षेत्र में डिसैबिलिटी विभाग के अंतर्गत कुल नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय है और

विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसन्धान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये नौ संस्थान निम्नलिखित हैं:–

क्र.सं.	**राष्ट्रीय संस्थान**	**स्थापना का वर्ष**	**क्षेत्रीय केन्द्र (RC / क्षेत्रीय खंड)**	**संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (CRC)**
1	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान (NIEPVD), देहरादून	1979	क्षेत्रीय केन्द्र (चेन्नई) क्षेत्रीय खंड (कोलकाता एवं सिकंदराबाद)	सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश)
2	अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान (AJNIEPHD), मुंबई	1983	क्षेत्रीय केन्द्र (कोलकाता, सिकंदराबाद, नई दिल्ली एवं भुवनेश्वर)	भोपाल एवं अहमदाबाद
3	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (NILD), कोलकाता	1978	क्षेत्रीय केन्द्र (देहरादून एवं ऐजवाल)	पटना
4.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान (NIRTAR), कटक	1975	कोई नहीं	गुवाहाटी
5	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान (PDUNIPPD), नई दिल्ली	1960	सिकंदराबाद	लखनऊ एवं श्रीनगर
6	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIEPID), सिकंदराबाद	1984	क्षेत्रीय केन्द्र (दिल्ली, मुंबई और कोलकाता)	नेल्लोर
7	राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान (NIEPMD), चेन्नई	2005	कोई नहीं	कोझीकोड़, गोरखपूर
8	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (ISLRTC), दिल्ली	2015		
9	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वस संस्थान (NIMHR), सीहोर, मध्यप्रदेश	2019		

मेरुदंड क्षति केन्द्र, नई दिल्ली (स्पाईनल इंजुरी केन्द्र)

Indian Spinal Injury Center (ISIC), नई दिल्ली भारत सरकार की मदद से चलने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, जो स्पाईनल कॉर्ड इंजुरी और सम्बन्धित बीमारीयों के मरीजों को, पुनर्निर्माण सर्जरी एवं भौतिक, मनोसामाजिक, व्यावसायिक पुनर्वास आदि व्यापक पुनर्वास प्रबंध सेवाएँ प्रदान

करता है।

इ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

(I) राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय विकलांग–जन वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) की स्थापना 24 जनवरी 1997 को विकलांग व्यक्तिओं के लाभ हेतु आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों और स्वरोजगार के संवर्धन की दृष्टि से की गई थी। यह विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है ताकि वे व्यावसयिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर व्यावसायिक पुनर्वास व स्वरोजगार हेतु सक्षम हो सके। यह विकलांगता से ग्रस्त स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सहायता भी करता है ताकि वे अपने उत्पादों और वस्तुओं का विपणन कर सके।

(ii) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (ALIMCO)

एलिमको एक गैर लाभ प्राप्त करने वाली मिनी रत्न कंपनी है। यह बड़े पैमाने पर सबसे किफायती ISI चिह्न वाले विभिन्न प्रकार के सहायता उपकरणों का निर्माण करती रही है। इसके अलावा एलिमको,सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे–पूरे देश में ऑर्थोपेडिक बाधिता, श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता और बौद्धिक विकास की माँग को पूरा करने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करने और उनका आत्मसम्मान वापस दिलाने के लिए, इन सहायता उपकरणों का वितरण करता रहा है।

विभाग की योजनाएँ

1. दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)

इस योजना का संचालन भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर रहा है, इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 600 गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता राशि दी जाती है, NGO इसका उपयोग दिव्यांगों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए करते है।

दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए शीघ्र हस्तक्षेप, दैनिक जीवन–यापन, कुशलता, शिक्षा, रोजगारोन्मुख कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है।

2. विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों/उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना (ADIP)

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जरुरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता के प्रभाव को कम कर और साथ ही उनकी आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि कर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, प्रमाणिक सहायता तंत्र और

त्रिपुर में आयोजित ADIP कैम्प

उपकरण यथा ब्रेल किट, स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र, कोक्लिअर इम्प्लांट, मोटरीकृत ट्राईसाईकिल, व्हील चेअर्स, TLM किट इ. की खरीद में सहायता देने के लिए अनुदान देना है।

3. जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र (DDRC)

जागरूकता पैदा कर पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास व्यवसायों के दिशा निर्देशन हेतु जिला स्तर पर अवसंरचना के सृजन एवं क्षमता निर्माण में सहायता करने के उद्देश्य से देश के सभी अपेक्षित जिलों में जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने में सहायता कर रहा है ताकी दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें।

यह योजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास है। प्रारंभ में तीन वर्षों के लिये वित्त पोषित किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा DDRC को वित्तीय ढाँचागत, प्रशासन और तकनीकी सहायता मुहैया कराते है। राज्य सरकारों से DDRC के सुचारू संचालन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय न्यास एवं योजनाएं
(NATIONAL TRUST)
www.thenationaltrust.gov.in

पंकज मारू
संस्थापक 'स्नेह', नागदा

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत की गयी थी, जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष में है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy), मानसिक मंदता (Mental Retardation) एवं बहुदिव्यांग व्यक्तियों (Multiple Disabilities) के कल्याण हेतु बनाया गया था।

राष्ट्रीय न्यास के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सभी कार्यों के लिए इसका 21 सदस्यीय बोर्ड होता है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, तीन सदस्य स्वयंसेवी संस्थाएँ जो राष्ट्रीय न्यास से सम्बन्धित दिव्यांगताओं में कार्य करती हों, के प्रतिनिधि तीन सदस्य अभिभावक संघों के प्रतिनिधि, एवं तीन सदस्य दिव्यांगों के संघों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। बोर्ड के 8 सदस्यों, जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं तथा निर्दिष्ट मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। व्यापार संघ,वाणिज्य संघ एवं उद्योग संघ के एक–एक प्रतिनिधि का बोर्ड द्वारा मनोनयन किया जाता है। न्यास का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय न्यास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. राष्ट्रीय न्यास से सम्बन्धित दिव्यागजनों को अधिकार प्रदान कर समाज में स्वतंत्र रूप से जीने हेतु सक्षम बनाना।
2. दिव्यांगजनों को परिवार के साथ रहने के लिए सहायक आवश्यक सुविधाओं में अभिवृध्दि करना।
3. दिव्यांगजनों के परिवार में विपत्ति आने पर राष्ट्रीय न्यास से पंजीबध्द संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक सेवाओं को प्रदाय करने में सहयोग प्रदान करना।
4. परिवार विहीन दिव्यांगजनों की समस्याओं को हल करना।
5. दिव्यांगजनों के अभिभावक या माता–पिता की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करना।
6. ऐसे दिव्यांगजन जिनके लिए अभिभावक या न्यासी की संरक्षा आवश्यक है,

उन्हें नियुक्त करने की प्रकिया स्थापित करना।

7. दिव्यांगजनों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, एवं पूर्ण भागीदारी के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करना।

राष्ट्रीय न्यास का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय न्यास में संस्थागत दो स्तर है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय तथा दूसरा स्थानीय स्तर पर पंजीकृत संस्था। राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रदेश स्तर पर सुचारू संचालन हेतु बोर्ड के अनुमोदन से एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SNAC) का मनोनयन किया जाता है,जो राज्य की समस्त पंजीकृत संस्थाओं, राज्य सरकार एवं केन्द्रिय कार्यालय के मध्य समन्वय का कार्य करता है।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत इसमें आनेवाली चार प्रकार की दिव्यांगताओं के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात कानूनी संरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु जिला स्तर पर "स्थानीय स्तर समिति" (LLC) का गठन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है । स्थानीय स्तर समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है तथा इसमें राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत संस्था एवं एक दिव्यांग व्यक्ति आवश्यक सदस्य होते हैं। सामाजिक न्याय विभाग के जिला स्तर के अधिकारी इसके समन्वयक होते हैं। इस समिति में कलेक्टर द्वारा अभिभाषक, सिविल सर्जन आदि को भी लिया जा सकता है। समिति की हर तीन माह में एक बैठक आवश्यक है जिसमें कानूनी संरक्षकों का मनोनयन एवं दिव्यांगों से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय न्यास द्वारा देश में निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ।

दिशा एवं विकास :– यह राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं वाले हितग्राहियों को दिन में देखभाल करने वाली योजना है जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।

समर्थ एवं घरौंदाः इस योजना के तहत राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं वाले हितग्राहियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने वाली पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।

सहयोगीः इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों की देखभाल करने हेतु, केयर बिगर तैयार करने हेतु 3 माह एवं 6 माह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से चलाए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

निरामयः यह राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगजनों को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष का

स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली प्रमुख योजना है। इस योजना में नाम मात्र शुल्क का भुगतान कर दिव्यांगजन पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए उम्र, आय एवं जाति का कोई बंधन नहीं है तथा देश के किसी भी अस्पताल में उपचार कराने के साथ साथ बाह्य रोगी के रुप में किए खर्च, थैरपी खर्च, परिवहन खर्च आदि की एक निश्चित सीमा तक पुनर्भुगतान का प्रावधान है।

प्रेरणाः इस योजना के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं को दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन हेतु अनुदान एवं विक्री के 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन राशि के रुप में प्रदान किया जाता है।

बढ़ते कदम : राष्ट्रीय न्यास के दिव्यांगजनों एवं परिवार, समाज के विभिन्न घटक जैसे स्कूल, बैंक, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक आदि को योजनाओं एवं नियमों की जानकारियाँ देने हेतु पंजीकृत संस्थाओं को कार्यशाला, परिपत्रों आदि हेतु अनुदान दिया जाता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI)

www.rehabcouncil.nic.in

श्री मुकेश गुप्ता

भारतीय पुनर्वास परिषद् को एक पंजीकृत सोसायटी के रुप मे 1986 में स्थापित किया गया था। सितम्बर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रुप में 22 जुन 1993 को अस्तित्व मे आयी। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमे संशोधन की गई।

भारतीय पुनर्वास परिषद् का उद्देश्य :–

- दिव्यांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना।
- दिव्यांगों से सम्बन्धित व्यावसायिक/कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
- दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे व्यावसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना।
- देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना।
- निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
- विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा डिग्रि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना।
- मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों/कार्मिकों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना।
- भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना।
- देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।

- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कर्मिकों को पंजीकृत करना।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को पंजीकृत करना।
- अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करना।
- देशभर में 642 संस्थाएँ भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ जुड़ी हैं जिनके माध्यम से 58 कार्यक्रमों के तहत छात्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2018 तक 16 श्रेणियों में विभाजित, पंजीकृत योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षक की संख्या कुल 1,30,011 थी।

IAMR रिपोर्ट द्वारा अनुमानित 8,76,270 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि, विशेष जरूरतों (CWSN) वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की माँग को पूरा करने के लिए गहन प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए, RCI के अनुमोदित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संभावित संस्थानों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

सुप्रसिद्ध विजयी दिव्यांग (सेलेब्रिटीज)

श्रीमती स्वाती धारे

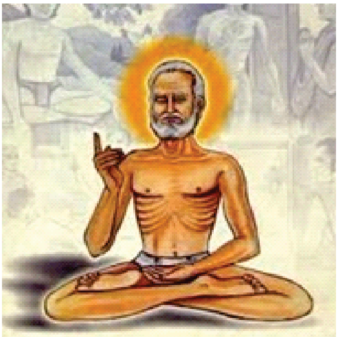

स्वामी विरजानंद जी

चेचक के कारण दृष्टिबाधित हुए स्वामी विरजानन्द (1778–1868) संस्कृत विद्वान, वैदिक गुरु और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरु थे। इनको मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता था। उनका मूल नाम कलिकृष्ण बसु था। घर से विद्याध्ययन के लिए निकले कुछ काल तक भटकने के उपरांत ये आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार मे स्वामी पूर्णानन्द से मिले। स्वामी पूर्णानन्द जी ने इन्हें वैदिक व्याकरण और आर्ष शास्त्रों से अवगत कराया। इसके बाद वे काशी (बनारस) आए जहाँ 10 सालों तक उन्होंने 6 दर्शनों तथा आयुर्वेदादि ग्रंथों का अध्ययन किया। गया (बिहार) आकर उपनिषदों के तुलनात्मक अध्ययन का काम जारी रखा। तत्पश्चात् कलकत्ता गये जहाँ अपने संस्कृत ज्ञान के लिए उन्हे प्रशंसा मिली। इसके बाद ये निमंत्रण पर अलवर आए और यहाँ उन्होंने शब्दबोध ग्रंथ की रचना की।

पंडित पुट्टराज गवई गदग (कर्नाटक)

कर्नाटक के हावेरी जिले मे जन्मे दृष्टिबाधित पंडित पुट्टराज गवई (3 मार्च 1914–17 सितंबर 2010) हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में एक भारतीय संगीतकार थे, एक विद्वान जिन्होंने कन्नड़, संस्कृत और हिंदी में 80 से अधिक किताबें लिखीं, एक संगीत शिक्षक और एक सामाजिक सेवक। उन्हें ''उभय गायन विशारद'', ''गणयोगी'', ''शिवयोगी'', ''कविशिरोमणि'', ''त्रिभाषा कविरत्न'', आदि नामों से भी जाना जाता है। वह कई वाद्ययंत्रों जैसे कि वीणा, तबला, मृदंगम, वायलिन आदि बजाने की अपनी क्षमता के साथ–साथ भक्ति संगीत (भजनों) के अपने लोकप्रिय गायन के लिए प्रसिद्ध हैं।

हिंदी में ''बसवा पुराण'' के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया।

कन्नड़ विश्वविद्यालय से ''नादोजा पुरस्कार'', बसवश्री पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, ''सिद्धश्री अवार्ड'',कर्नाटक सरकार द्वारा तिरुमकुदालु चौदिया पुरस्कार, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से संगीत, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र मे उनकी भूमिका हेतु सम्मानित किया गया।

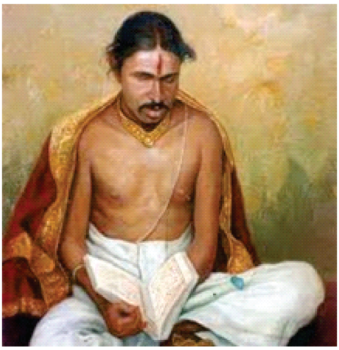

संत गुलाब राव महाराज

संत गुलाबराव महाराज का जन्म अमरावती जिले के माधान गांव में हुआ था। 9 माह की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने वेद, पुराण और शास्त्रों सहित अन्य ग्रंथों को सुना। उन्हें सुनकर एक बार में याद हो जाता था। इसके बाद हिन्दी, संस्कृत, ब्रज और मराठी में 134 ग्रंथ लिखे, जिसमें 32 संस्कृत में थे। विषय–सूत्र, भाष्य, अध्याय, निबंध ,उपाख्यान, नाटक, लोक गीत, भजन, व्याकरण।

34 वर्षों के अपने छोटे जीवनकाल में 6000 से अधिक पृष्ठों, 130 टिप्पणियों और लगभग 25,000 श्लोक वाले विभिन्न विषयों पर 139 पुस्तकें लिखीं। प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर के अलौकिक शिष्य थे।

भीम भोई

उड़िशा के जन्मांध दिव्यांग संत भीम भोई (1850–1895) ने अपनी साधना से दिव्यज्ञान की प्राप्ति की थी। वे महान कवि, संगीतकार और गायक थे। दुनिया की मानवता और मुक्ति उनकी काव्य रचनाओं का केन्द्रीय विषय था। उनके कथन ''मो जीवन पाछे नरखे पदिथौ, जगता ओधरा हेउ'' (मेरे जीवन को अडिग रहने दो, दुनिया को मोक्ष प्राप्त करने दो) अपने जीवनकाल के दौरान सामाजिक–आर्थिक बहिष्कारों की स्थितियों का स्पष्ट प्रतिबिंब होते हुए अपनी व्यापक सोच को प्रदर्शित करते हैं।

भीमा भोई के सम्मान में, बोलंगीर मेडिकल कॉलेज का नाम भीमा भोई मेडिकल कॉलेज है।

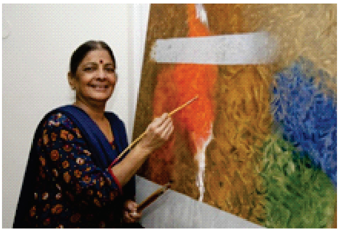

प्रभा शाह

बधिर दिव्यांग प्रभा शाह आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से एक हैं। उनकी पेंटिंग खुद को व्यक्त करने का उनका तरीका है। उनकी पेंटिंग हमेशा वास्तविकता और कल्पना के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करती हैं,आत्म–खोज और आत्म–विकास के बीच प्रभाव और प्रेरणा का अद्भुत संयोजन। उन्होनें भारत सरकार के संस्कृति विभाग में फैलोशिप की और 1970 से 2000 तक नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के दौरान कई पुरस्कार अर्जित किए। उनकी पेंटिंग राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट सचिवालय और नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के संग्रह में प्रदर्शित हैं।

रविन्द्र जैन

जन्म से दृष्टिबाधित रविन्द्र जैन (28 फरवरी 1944– 9 अक्टूबर, 2015) हिन्दी फिल्मों के जाने–माने संगीतकार और गीतकार थे। वे शुरुआत मे भजन गायक के रुप मे जाने जाते रहे पश्चात् वे सिनेमा जगत में भी प्रसिद्ध गायक हुए। वर्ष 2015 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन् 1985 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार भी मिला। रविंद्र जैन को भारतीय सिनेमा जगत में कर्णप्रिय और भावपूर्ण गीतों के लिए हमेशा जाना जाता रहेगा।

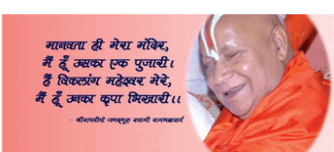

जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य

दृष्टिबाधित दिव्यांग जगद्गुरु रामभद्राचार्य पूर्वाश्रम नाम गिरिधर मिश्र चित्रकूट (उत्तर प्रदेश, भारत) में रहने वाले एक प्रख्यात

विद्वान, शिक्षाविद्, बहुभाषाविद्, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और धर्मगुरु हैं। वे रामानन्द सम्प्रदाय के वर्तमान चार जगद्गुरु रामानन्दाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर सन् 1988 से प्रतिष्ठित हैं। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे चित्रकूट स्थित चतुर्विध विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय ''जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय'' के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं।

श्री कृष्ण गोपाल जी तिवारी

मध्यप्रदेश के छोटे से आदिवासी गांव में किसान के घर जन्म लेने वाले श्री कृष्ण गोपाल जी तिवारी जैसे–जैसे बड़े होते गए उनकी आंखों की रोशनी कम होती गई। कक्षा बारहवीं के पश्चात् तो उनकी आँखों की रोशनी पूर्णतया चली गई। अन्य को सुनकर एवं टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और आई.ए.एस. परीक्षा में सफल हुए। वे सामान्य अफसरों से ज्यादा सक्रिय हैं जैसे आवाज, आहट, खुशबू और आसपास के वातावरण से चीजों का सटीक अंदाजा लगा लेते हैं प्रशासनिक मसलों को कैसे और किस स्तर पर हल किया जाना है। इसकी जबरदस्त आंतरिक शक्ति उनमें है।

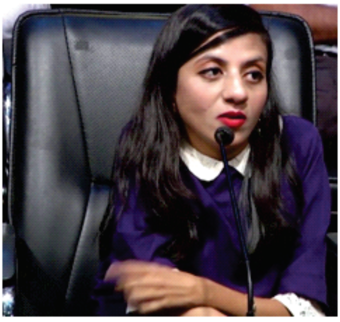

सुश्री ईरा सिंघल

ईरा सिंघल का जन्म मेरठ में हुआ था। इरा स्कीलोरोसिस से जूझ रही है जिसके कारण रीढ़ की हड्डी प्रभावित है और उससे बाजुओं की गति ठीक नहीं होती। दिल्ली से स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात् कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और फॅकल्टी ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, दिल्ली विश्व विद्यालय से एम. बी. ए. करने के बाद आई.ए.एस.की तैयारी शुरु की। बार–बार फिजिकल फिटनेस राउंड में डिसक्वालीफाई होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुश्री ईरा सिंघल भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत हैं।

सुधा चन्द्रन

भरत नाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधा चन्द्रन का 16 वर्ष की आयु में दुर्घटना मे एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। संक्रमण पूरे शरीर मे न फैले इसलिए उस पैर को काटना पड़ा। भरत नाट्यम नृत्य साधिका ने कृत्रिम पैर लगाकर नृत्य में महारत हासिल की और 50 से अधिक फिल्मों और टी.वी. सिरियल्स में अभिनय किया। नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड, सिल्वर लोट्स अवार्ड जैसे कई अवार्ड प्राप्त किए।

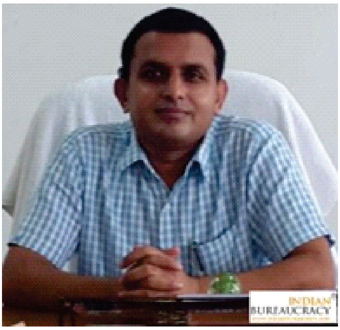

श्री मनीराम शर्मा

पिता मजदूर, माँ नेत्रहीन और स्वयं सौ प्रतिशत बहरेपन के शिकार जिला अलवर (राजस्थान) के बंदीगढ़ गाँव के रहने वाले मनीराम शर्मा ने आईएएस में आने के लिए जो संघर्ष किया है उसकी मिसाल दी जा सकती है। अपने गाँव से 5 किमी. दूर जाकर स्कूली शिक्षा अव्वल आते हुए पूर्ण की। मनीराम शर्मा का आईएएस बनने का सपना वर्ष 1995 में शुरू हुआ, जिसे पूरा करने में 15 वर्ष का समय लग गया। 2005, 2006 और 2009 में आईएएस की परीक्षा पास की। 2006 में उन्हें बताया गया कि सौ प्रतिशत बधिर होने के कारण उनका चयन नहीं हो सकता। वर्ष 2009 मे पुनः परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए और अपने होसलों से आईएएस ऑफिसर बने।

श्री राजेश कुमार सिंह

श्री राजेश कुमार देश के ऐसे पहले दृष्टिबाधित है जो किसी उपायुक्त के पद पर नियुक्त किए गए। आइ.ए.एस. बनने पर तमाम अड़चनें आई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़कर यह उपलब्धि हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कहा– दृष्टि नहीं,

दृष्टिकोण जरूरी, देखेगा जमाना। राजेश कुमार सिंह उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव के तौर पर काम कर रहे है। राजेश जी 1998, 2002 और 2006 में दिव्यांगों के लिए आयोजित विश्व कप क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। राजेशजी ने अपने संघर्ष की कहानी 'पुटिंग आइ इन आइएएस' नामक पुस्तक भी लिखी।

दीपा मलिक

दीपा मलिक (जन्म 30 सितंबर 1970), शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ–साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 पेराओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 30 की उम्र में तीन ट्यूमर सर्जरी और शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाने के बावजूद उन्होंने न केवल शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, बल्कि तैराकी एवं मोटर रेसलिंग में भी कई स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक प्राप्त किये हैं। वे भारत की पहली महिला हैं जिन्हें हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया। वर्ष 2008 तथा 2009 में उन्होंने यमुना नदी में तैराकी तथा स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर दो बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। यही नहीं, सन् 2007 में उन्होंने ताइवान तथा 2008 में बर्लिन में जवेलिन थ्रो तथा तैराकी में भाग लेकर रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में भी वे चयनित की गई। पेराओलम्पिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया।

श्री भावेश भाटिया

भावेश भाटिया का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। 23 वर्ष की आयु में पूर्ण दृष्टिबाधित हो गए। NAB से मोमबत्ती बनाने, एक्यूप्रेशर थैरेपी और ब्रेललिपि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपनी अक्षमता को अपनी शक्ति का साधन बनाया, सीमित साधनों से घर पर मोमबत्तियां बनाकर ठेले पर बेचते–बेचते अपने जुनून और कड़ी मेहनत से सन राइज कैंडल कंपनी

महाबलेश्वर में स्थापना की, जो आज करोड़ों की कम्पनी है। यह कंपनी Visually Disabled लोगों द्वारा ही चलायी जाती है।

श्रीकांत बोल्ला

ज्न्म से दृष्टिबाधित श्रीकांत बोल्ला ने अपनी चेतना और ज्ञान के बल पर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। वे 'बोलांट इंडस्ट्रीज' के सीईओ हैं। 2012 में हैदराबाद में एक टिन की छत के नीचे उन्होंने कंपनी की नींव रखी थी। इको फ्रेंडली और डिस्पोजेबल कंज्यूमर पैकेजिंग सॉल्यूशंस की मैन्यूफैक्चरिंग का काम करने वाली इस कंपनी में अब करीब 150 निशक्त काम करते हैं। स्कूली शिक्षा मे अव्वल रहे परन्तु आई.आई.टी.मे प्रवेश से नकारे गए श्रीकांत बोल्ला ने अमरीकी विश्वविद्यालयों में आवेदन करना शुरू किया। अमरीका की प्रतिष्ठित मैसेचुएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में एडमिशन मिल गया। वे एमआईटी में प्रवेश पाने वाले पहले दृष्टिबाधित छात्र थे जिन्हें स्टैनफोर्ड, बर्कले व कार्नेजी मेलॉन में भी प्रवेश मिला।

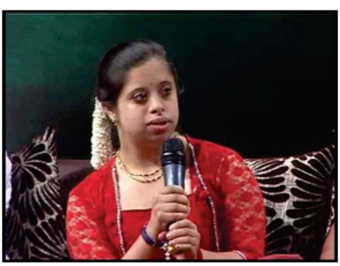

गौरी गाडगिल

डाऊन सिन्ड्रोम ग्रस्त गौरी गाडगिल ने पुणे से मनोविज्ञान विषय से स्नातक शिक्षा पूर्ण की। तैराकी और विभिन्न प्रतियोगिताओं मे भाग लेते हुए प्रेरक उदाहरण बनी। अपने जीवन पर आधारित फिल्म ''यलो'' मे स्वयं का अभिनय किया और राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड मे विशेष जुरी अवॉर्ड भी प्राप्त किया।

जस्टिस श्री ब्रह्मानंद शर्मा

श्री ब्रह्मानंद शर्मा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मोट्रास गांव से हैं। वे अजमेर जिले के सरवर शहर में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर हैं। उनकी आँखों की रोशनी 22 साल की उम्र में ग्लूकोमा बीमारी की वजह से चली गई थी।

2008 में आरजेएस की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। कई कोचिंग सेंटर से बात की, लेकिन सभी ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। अपनी पत्नी की सहायता से रिकॉर्डिंग सुनकर परीक्षाओं मे सफलता प्राप्त की। वर्ष 2013 मे राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विसेज (आरजेएस) की परीक्षा में 83वीं रेंक हासिल की। सैकड़ों वकीलों में भी वे किसी को पहचानने में धोखा नहीं खाते। हर पक्ष की बातों को सुनने के लिए ई–स्पीक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं।

अरूणिमा सिन्हा

अरूणिमा सिन्हा (जन्मः1988) भारत से राष्ट्रीय स्तर की वालीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं । नई दिल्ली के AIIMS में अरुणिमा सिन्हा अपने जिंदगी और मौत से लगभग चार महीने तक लड़ती रही और इस जंग में उसकी जीत हुई। फिर अरुणिमा सिन्हा के बायें पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने दुनियाँ के सभी सातों महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया। 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (29028 फीट) इसके बाद किलीमंजारो (अफ्रीका), एल्ब्रूस (रूस), कास्टेन पिरामिड (इंडोनेशिया), किजाश्को (ऑस्ट्रेलिया) और माउंट अंककागुआ (दक्षिण अमेरिका) पर्वत चोटियों को फतह कर चुकी है। वे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में हेड कानिस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत हैं।

अभिषेक बच्चन

सुपर स्टार अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के बेटे अभिषेक बचपन में डिस्लेक्सिक थे, जिससे वे बाद में बड़ी कठिनाई से उबरे। उन्होंने नई दिल्ली से स्कूल और स्विट्जरलैंड के एग्लों कॉलेज से स्नातक शिक्षा पूरी की। फिर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ने गए पर जब उनके पिता की कंपनी ऐ बी सी एल संकट में थी तब बीच में ही

उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर अभिनय को अपना लिया और फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड जीते।

मेजर देवेंद्र पाल सिंह

करीब 20 साल पहले पाकिस्तानी सेना की शेलिंग के कारण अपना पैर गंवा देने वाले रिटायर्ड मेजर देवेंदर पाल सिंह ने न उस वक्त हार मानी थी और न अब किसी और को हार मानने देते हैं। 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान जम्मू–कश्मीर के पल्लांवाला के अखनूर सेक्टर में तैनात देवेंदर सिंह पाकिस्तानी सेना के मोर्टार शेल से घायल हो गए थे। घटना में उनकी जान तो बचा ली गई लेकिन गैंगरीन के कारण उनका दायां पैर काटना पड़ा। सिंह ने हार नहीं मानी और कृत्रिम पैर लगाकर दौड़ना शुरू किया और भारत के ब्लेड रनर कहलाए। देवेंद्र सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में दर्ज है और स्काइडाइविंग करने वाले विलक्षण दिव्यांग भारतीय हैं।

आरती डोगरा IAS

उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी आरती डोगरा 2006 बेच की आईएएस अफसर है। आरती का कद मात्र 3 फुट 6 इंच है। उन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद समाज में बदलाव के लिए कई मॉडल पेश किए हैं।

वर्तमान में आरती राजस्थान में प्रशासनिक सेवाएँ दे रही हैं। उनके सैन्य अधिकारी पिता कर्नल राजेन्द्र डोगरा व प्रिंसिपल माता कुमकुम ने आरती को देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी शिक्षा जारी रखी। आरती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कालेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुऐशन किया फिर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और आज शारीरिक दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।

दिव्यांगों के लिए जीना सीखें...

धीमहि

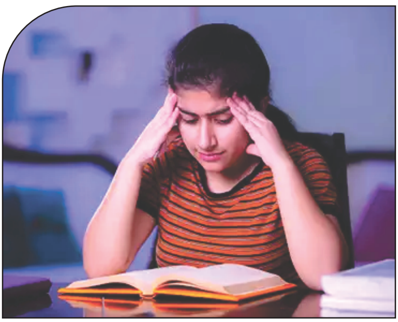

चेतना

दृष्टि

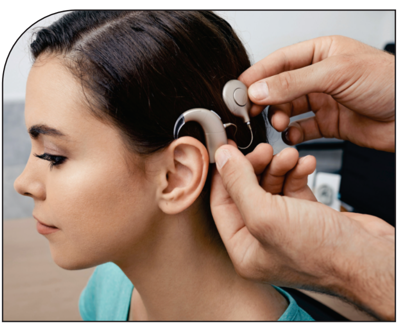

प्रणव

चरैवेति

सविता

प्राणदा

समदृष्टि, क्षमताविकास एवं अनुसन्धान मण्डल

8, शिवम, रवीन्द्रनगर, नागपुर (महाराष्ट्र) - 440 022.

दूरभाष / फॅक्स क्र. 0712-2244918

saksham.co2008@gmail.com

www.sakshamseva.in